Secy

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक ~~[illegible]~~ 1995

को नवम्बर 9, 1995

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 7 अक्तूबर,1995 में विचारणीय प्रस्तावों की विषय-सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 13 मई,1995 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 13 मई,1995 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	14
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक 1995-96	37
4.	अभियन्त्रण कार्यो की भौतिक प्रगति आख्या।	38
5.	ल.वि.प्रा. की योजनाओं में लीज पर आवन्टित भवनों/ भूखण्डों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने से सम्बन्धित।	39
6.	डाकूमेन्टेशन ऐण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि आवन्टन से सम्बन्धित।	46
7.	कानपुर रोड योजना/शारदा नगर योजना में प्राइवेट बिल्डर्स को लाइसेन्स पर आवन्टित भूमि से सम्बन्धित।	47
8.	गोमती नगर योजना में टेनिस काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।	49
9.	नेहरू इन्क्लेव स्थित गोमती नगर के भवनों की हायर परचेज त्रैमासिक किश्त की प्रारम्भ तिथि का समय बढ़ाये जाने से सम्बन्धित।	57
10.	गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-1 व 2 में भूखण्डों पर अनाधिकृत कब्जेदारों को विनीत खण्ड में ई.डब्लू.एस. भवनों में समायोजन।	58
11.	श्री राजबीर सिँह, अवर वर्ग सहायक, आवास विभाग को कर्मचारी कोटे के अन्तर्गत भवन आवन्टन।	59
12.	श्री वी.सी.पाण्डे को अलीगॅज के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।	60
13.	श्री ए.सी.पान्डे को अलीगॅज योजना के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।	61
14.	छत्रपति साहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन।	62
15.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय सँख्याः 1 पृष्ठ सँख्याः 1

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 13 मई, 1995 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास

प्राधिकरण की बैठक

दिनाँक 13 मई, 1995 का

का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु

सँलग्न किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 मई, 1995
का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1.	श्री प्रीतम सिंह,	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2.	श्री गँगादीन यादव,	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री राजीव खेर	जिलाधिकारी, लखनऊ
4.	श्री एस.के.सिन्हा	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।
5.	श्री एम.पी.बनेजा	वरिष्ठ नगर नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि।
6.	श्री पी.के.पान्डे	मुख्य अभियन्ता, जलनिगम, लखनऊ।
7.	श्री हरिश्चन्द्र	आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश। विशेष आमन्त्री।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

अन्य उपस्थिति:

	डा. एम.ए.ए.खान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व उपस्थित सदस्यों को उपाध्यक्ष व्दारा अपना परिचय दिया गया तथा सदस्यों का अभिवादन किया गया।

कार्य-सूची विलम्ब से प्राप्त होने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष व्दारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में समय से कार्य-सूची उपलब्ध कराने का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जायेगा।

विषय सँख्याः 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 9·2·95 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 9·2·95 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय सँख्याः 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 29 दिसम्बर, 1994 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 29 दिसम्बर, 1994 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष निर्देश दिये गयेः-

(1) ल·वि·प्रा· की बैठक दिनाँक 21 जनवरी, 1994 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि नैपियर रोड कालोनी में डा· अतुल खन्ना को आवन्टित किये गये भूखण्ड से अनधिकृत अतिक्रमण को एक सप्ताह के अन्दर हटवाकर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जाये।

उपरोक्त क्रम में यह भी निर्देश दिये गये कि अतिक्रमण कर्ताओं के विरुध्द सख्त कार्यवाही की जाये, उनसे जुर्माना वसूल किया जाये। इस सम्बन्ध में उ·प्र·आवास एवँ विकास परिषद व्दारा कुछ प्राविधान किये गये हैं, उनका अध्ययन कर, इस प्रकरण पर शीघ्र नियम बनाकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(2) अवगत कराया गया कि अलीगँज योजना के हाइटेन्शन लाइन से आच्छादित क्षेत्र को ग्रीनबेल्ट में परिवर्तित करने हेतु ले-आउट तैयार करा लिया गया है। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण शीघ्र करा दिया जाये।

(3) दिनाँक 15 अप्रेल, 1993 की प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कालविन कालेज के पीछे की भूमि की इकोनामिक वायबिल्टी उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियन्ता,लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक माह का और समय प्रदान किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि इस अवधि में आवश्यक रुप से वायबिल्टी प्रस्तुत कर दी जाये।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 29·12·94 के विषय सँख्याः 11 के क्रम में निर्देश दिये गये कि श्री राम व्यवसायिक केन्द्र के प्रकरण पर,29·12·95 की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 15 दिनों में कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

(5) ल·वि·प्रा· की बैठक दिनाँक 29·12·94 के विषय सँख्याः 19 के क्रम में सँयुक्त सचिव, वित्त व्दारा अवगत कराया गया कि पुराने हलके वाहन के स्थान पर नया हलका वाहन क्रय करने के लिये शासन का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और न ही इस हेतु शासन की अनुमति की आवश्यक्ता है। अतः दो पुराने वाहनों के स्थान पर दो नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(6) ल·वि·प्रा· की बैठक दिनाँक 29·12·94 के विषय सँख्याः 22 के अर्न्तगत गोमती नगर योजना के अर्न्तगत स्थित भूमि का अधिग्रहीत किये जाने के प्रकरण पर गठित उपसमिति की बैठक एक माह के अन्दर किये जाने के निर्देश दिये गये।

(7) ल·वि·प्रा· की बैठक दिनाँक 29·12·94 के विषय सँख्याः 24 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड सँख्याः 4 पर ग्रुप-हाउसिँग की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित उपसमिति की बैठक एक सप्ताह में किये जाने के निर्देश दिये गये।

(8) ल·वि·प्रा· की बैठक दिनाँक 29·12·94 के अनुपूरक विषय सँख्याः 9 के अर्न्तगत लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि क्लार्क अवध में आने वाली गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी की जाती हैं जिससे ट्रैफ़िक के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है, अतः स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरुप पार्किँग व्यवस्था सुनिश्चित कराकर अवगत कराया जाये।

(9) ल०वि०प्रा० की बैठक दिनॉक 29.12.94 के अनुपूरक विषय सॅख्या:10 के अन्तर्गत लखनऊ नगर की भविष्य की जलापूर्ति हेतु अन्डर-ग्राउन्ड वाटर के अध्ययन से सम्बन्धित लिये गये निर्णय के क्रम में यह भी सुझाव दिया गया कि मु०अ०, आवास विकास परिषद, मु0अ0, जल निगम एवं नगर निगम को भी एसोसियेट कर लिया जाये।

(10) ल०वि०प्रा० की बैठक दिनॉक 29.12.94 के अनु०वि०स०:11, गाजियुद्दीन हैदर कैनाल के ऊपर एलीवेटेड ऐक्सप्रेस निर्माण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये एक माह के अन्दर इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये एवं बोर्ड के समक्ष प्रेजेन्टेशन भी कराया जाये।

विषय सॅख्या: 2"अ" — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 9 फरवरी, 1995 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय सॅख्या: 3 — उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की इन्दिरा नगर, विकास नगर एवं राजा जी पुरम योजनाओं के नगर निगम को स्थानान्तरित भाग को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सॅशोधित अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में नगर निगम को जो अधिकार मिले हैं, उनका भी परीक्षण करा लिया जाये। तदुपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय सॅख्या: 4 — अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु सॅशोधित शमन उपविधि 1994 पर प्राधिकरण का अनुमोदन।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इन सुझावों पर विचार हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक श्री अनेजा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसके सदस्य आवास आयुक्त के प्रतिनिधि तथा मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० होगें। यह समिति 15 दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

विषय सँख्याः 5 संशोधित मडायोजना 2001 में चिन्हित बाजार मार्ग पर स्थित भूखण्डों के अन्तर्गत निर्माण विकास हेतु मार्गदर्शक सिध्दान्त।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय सँख्याः 6 लखनऊ विकास प्राधिकरण की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों पर विचार।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त सिध्दान्त रुप में स्वीकार किया गया तथा निर्देश दिये गये कि गठित समिति की बैठक शीघ्र कराई जाये।

विषय सँख्याः 7 इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के पट्टागत भूमि को नजूल के अनुरुप फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की लीज पर दी गई भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है। अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लीज की भूमि के सम्बन्ध में जो शासनादेश प्राप्त हो, उसी के अनुरुप कार्यवाही की जाये।

विषय सँख्याः 8 गोमती नगर योजना में गोल्फ कोर्स विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि मे इण्डियन होटल्स क०लि० को उनके अनुरोध पर कनसेप्चुअल प्लान उपलब्ध कराने हेतु दिनाँक 5.5.95 से तीन सप्ताह का समय अन्तिम रुप से दे दिया जाये। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपसमिति की सँस्तुति एवं एग्रीमेन्ट का प्रारुप बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

विषय सँख्याः 9 गोमती नगर योजना में क्लब के निर्माण से सम्बन्धित।

निर्णय : श्री दिव्य ज्योति, लखनऊ, मे० ओपीसस इण्डिया लि०, नई दिल्ली, मे० हैरिटेज क्लब लि० तथा श्री मेहरुस मिर्जा (सँगम फिल्मस प्रा०लि० बाम्बे) व्दारा माननीय सदस्यों के समक्ष प्रेजेन्टेशन किया गया तथा विचारोपरान्त

जिलाधिकारी, लखनऊ श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसके सदस्य (1) रीजनल डाइरेक्टर, हुडको, (2) श्री एम॰पी॰अनेजा, वरिष्ठ नगर नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के प्रतिनिधि तथा जिमखाना क्लब, नई दिल्ली एवं कलकत्ता या बँगाल क्लब, कलकत्ता के एक-एक प्रतिनिधि भी रखे जायेगें।

यह समिति प्रकरण के समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर यथा-शीघ्र अपनी सँस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विषय सँख्याः 10 अनुभाग अधिकारी एवं प्रवर वर्ग सहायकों के अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्य प्राधिकरणों से भी वहाँ के स्टाफ के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र कर ली जाये, तदुपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय सँख्याः 11 इनके वाहनों हेतु अनुबन्ध के आधार पर वाहन चालकों को रखे जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, अनुबन्ध के आधार पर 7(सात) वाहन चालक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय सँख्याः 12 प्रर्वतन विभाग (आर॰बी॰ओ॰) हेतु एक अतिरिक्त जीप क्रय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की सँस्तुति शासन को भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

विषय सँख्याः 13 अवध जिमखाना क्लब के निकट रानी लक्ष्मी बाई मार्ग स्थित नजूल भूमि क्षेत्रफल 38,636 वर्गफुट को लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान में प्राविधानित उपयोग के अनुसार ही किया जाये।

विषय सँख्याः 14 माननीय मुख्य मन्त्री जी की घोषणा दिनाँक 6·4·94 के क्रम में महाराजा बिजली पासी स्मारक सांस्कृतिक ट्रस्ट को कानपुर रोड योजना में भूमि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत 19·327 एकड़ भूमि को आवासीय से हरित पट्टी में तथा प्रस्तुत प्रस्ताव में से उतने ही क्षेत्रफल की हरित पट्टी की भूमि को आवासीय किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये।

हरित पट्टी को पट्टे पर दिये जाने की शर्तो के सम्बन्ध में विशेष सचिव, मुख्य मन्त्री के पत्र दिनाँक 27·4·95 द्वारा दिये गये तीन सुझावों पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 29·12·94 में निर्धारित शर्तो में निम्न संशोधन कर लिया जाये:-

(1) पत्र के बिन्दुः 1 में दिये गये सुझाव के अनुसार 90 वर्ष के लिये दिये जाने वाले पट्टे का दो बार 30-30 वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण का प्राविधान रक्खा जाये।

(2) पत्र में दिये गये बिन्दुः 2 में दिये गये सुझाव के अनुसार पट्टे पर दी जाने वाली हरित पट्टी की भूमि के 10 प्रतिशत भाग पर महायोजना के प्राविधानों के अनुसार निर्माण की अनुमति प्रदान की जाये।

(3) उपरोक्त पत्र के बिन्दु-3 में यह सुझाव दिया गया था कि "प्रस्तावित पट्टे की शर्तो में यह लिखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर विकास प्राधिकरण भूमि वापस ले सकता है, को हटा दिया जाये" इस शर्त को हटाये जाने का बिन्दु बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

विषय सँख्याः 15 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय भवन, 104-महात्मागाँधी मार्ग स्थित, के भवन निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय सँख्याः 16 रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्युट आफ् यूनानी मेडिसिन्स को अलीगँज योजना के सेक्टर "ओ" में ग्रीन-बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि औषधि पौध रोपड़ हेतु दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तथा यदि अन्य वैकल्पिक भूमि की माँग की जाती है तो नियमानुसार विचार किया जायेगा।

विषय सँख्याः 17 डा॰ बी॰आर॰अम्बेदकर विश्वविद्यालय के परिसर हेतु 226·45 एकड़ भूमि की व्यवस्था, भू-उपयोग परिवर्तन के के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त सिध्दान्त रूप में प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि अम्बेदकर विश्वविद्यालय व्दारा भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की सँस्तुति शासन को प्रेषित की जाये।औपचारिकतायें पूर्ण करने अथवा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु यदि विश्वविद्यालय व्दारा प्रमाणपत्र माँगा जाता है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा।

विषय सँख्याः 18 अविकसित भूखण्ड सँख्याः 285 क्षेत्रफल 3-10-8-14 मौजा इरादत नगर हेतु प्राप्त निविदा रु0 17·00 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल से अनधिकृत कब्जे को हटाये जाने की कार्यवाही की जाये। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय सँख्याः 19 बटलरगँज योजना के भूखण्ड सँख्याः 23 को धारा-48(1) के अन्तर्गत अर्जन से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्थगन आदेश की नवीनतम स्थिति ज्ञात कर, परीक्षण के उपरान्त, बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय सँख्याः 20 श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल एवँ श्री हर प्रसाद अग्रवाल को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड सँख्याः डी-104/पी के स्थान पर गोमती नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पक्ष को गोमती नगर योजना में उतने ही क्षेत्रफल का वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध करा दिया जाये परन्तु इस हेतु उत्तरदायी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डित किये जाने की भी कार्यवाही की जाये।

विषय सँख्याः 21 गोमती नगर योजना में आवन्टित भवन सँख्याः 3/71, आशीष का विपुल खण्ड के भूखण्ड सँख्याः 2/108 में परिवर्तित किये जाने विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय सँख्याः 22 श्रीमती नीमिता चन्द्रा को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड में देय दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज 50 प्रतिशत तक उपाध्यक्ष व्दारा माफ़ किया जा सकता है। शेष धनराशि को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ किश्तों में प्राप्त करने हेतु उपाध्यक्ष अपने स्तर पर विचार कर निर्णय ले लें।

विषय सँख्याः 23 मनीषा मन्दिर को आवन्टित भूमि के सम्बन्ध में देय धनराशि पर दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त मनीषा मन्दिर की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय सँख्याः 24 श्रीमती मीना कुमारी को आवन्टित भूखण्ड सँख्याः बी-2/62(एस) विशाल पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त श्रीमती मीना कुमारी की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय सँख्याः 25 श्री एम॰डी॰ कर्णधार को प्रियदर्शनी योजना के अन्तर्गत आवन्टित भूखण्ड सँख्याः बी-2/122 प्रियदर्शनी को विनीत खण्ड, गोमती नगर में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय सँख्याः 26 लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा "लखनऊ विकास सँस्थान" के अन्तर्गत लखनऊ शहर में दो बिल्डिँग सेन्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त सिध्दान्त रुप में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि जो सदस्य बनाये गये हैं उन्हे नाम से न रख कर पद्नाम से रखा जाये तथा प्रस्तुत मेमोरेन्डम का विधिक परीक्षण कराकर आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

अनु0 विषय सँख्या:1 भूखण्ड सँख्या: बी-5/58 विनीत खण्ड के विरुद्ध परिवर्तन शुल्क व ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 50 प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ करके अवशेष 50 प्रतिशत दण्ड ब्याज की धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज दर से किश्तों में प्राप्त कर ली जाये। परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण इसे माफ़ किये जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई।

अनु0 विषय सँख्या:2 भवैय्या योजना{ट्रस्ट} के अन्तर्गत भूखण्ड सँख्या: 163-ए-14 के आक्टन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:3 श्री लालजी सिँह यादव को गोमती नगर विराट खण्ड में आवन्टित भवन सँख्या: 4/62 के स्थान पर विपुल में भूखण्ड आक्टन।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:4 श्री सन्तोष कुमार को भूखण्ड सँख्या: ए-1/47 जानकीपुरम के स्थान पर विपुल खण्ड गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:5 श्री वी॰पी॰सिँह को शारदानगर में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:6 गोमती नगर में आवन्टित भूखण्ड सँख्या:बी-4/66 विजयन्त के स्थान पर सी-4/52 विपुल की नई दर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

Mean

अनु0 विषय सँख्या:7 — श्री सुरेन्द्र नाथ सिँह यादव को ए-5/26 विनीत की गणना पुरानी दर से किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:8 — श्री सुमित अग्रवाल को आवन्टित भवन सँख्या: ई-5/804, विकास को विपुल खण्ड में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:9 — श्री आर·के·खण्डेलवाल को 1/14 रीश्म के स्थान पर गोमती नगर विपुल खण्ड में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:10 — श्री अशोक कुमार को बी-2/78 सीतापुर रोड के स्थान पर गोमती नगर विपुल खण्ड में भूखण्ड का परिवर्तन।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:11 — श्री एम·ए·हफीज़ को पत्रकारपुरम में बी-2/92 पर लगाये गये दण्ड ब्याज का 50 प्रतिशत माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु0 विषय सँख्या:12 — सिन्डर्स हम्प योजना, आलमबाग में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस के निर्माण से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 9·2·95 के विषय सँख्या: 2 के अन्तर्गत गठित उपसमिति की अध्यक्षता हेतु श्री एम·पी·अनेजा, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवँ ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को नामित किया गया। समिति के अन्य सदस्य पूर्ववत् रहेगें। यह भी निर्देश दिये गये कि यह समिति 15 दिनों के अन्दर अपनी सँस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दें।

अनु0 विषय सँख्या:13 नजूल के रिक्त/समाप्त गार्डेन लीज के भूखण्डों की नीलाम/निविदा से फ्री-होल्ड किये जाने हेतु प्राप्त धनराशि को किश्तों में किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण की सँस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

अनु0 विषय सँख्या:14 इनकेन कन्स्ट्रक्शन लि0 एवं मेरिट डेवलपमेन्ट ऐण्ड कन्स्ट्र. प्रा.लि. व्दारा 5-लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर प्रस्तावित ग्रुप-हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त सिध्दान्त रूप में प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि पत्रावली पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत कर अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

अनु0विषय सँख्या:15 श्री श्याम लाल बाजपेयी, भूतपूर्व मन्त्री, उत्तर प्रदेश को आवन्टित भूखण्ड सँख्या:3/206, विनय खण्ड की निर्माण अवधि दिनाँक 7.5.97 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु0विषय सँख्या:16 श्रीमती नीति सेन को आवन्टित भूखण्ड सँख्या: 2/37 ए, विपुल खण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनु0विषय सँख्या:17 विपुल खण्ड के अर्न्तगत 21 मामलों में भूखण्ड से भूखण्ड परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना के अर्न्तगत भूखण्ड से भूखण्ड परिवर्तित किये जाने में कोई रोक नहीं है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित सामान्य निर्णय भी लिये गये:-

(1) सुझाव दिया गया कि भविष्य में प्राधिकरण की बैठकों में वित्तीय/भौतिक उपलब्धि के आकड़े भी प्रस्तुत किये जायें।

(2) परिवर्तन शुल्क तभी माफ़ किया जाये जब प्राधिकरण की "चूक" के कारण भवन/भूखण्ड परिवर्तित कर दूसरा भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराया गया हो अन्यथा परिवर्तन शुल्क माफ़ न किये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) योजना के अन्तर्गत किसी एक ही खण्ड में भवन से भवन अथवा भूखण्ड से भूखण्ड परिवर्तित कराने पर परिवर्तन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष को 50 प्रतिशत तक दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने का जो अधिकार प्राप्त है भविष्य में उसी के अन्तर्गत दण्ड ब्याज माफ़ी के प्रकरण निस्तारित किये जायें। इसके अतिरिक्त अवशेष 50 प्रतिशत दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने का कोई प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किया जाये बल्कि अवशेष दण्ड ब्याज की धनराशि को परिस्थितियों के आधार पर 15 प्रतिशत ब्याज दर पर किश्तों में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

(डा॰ एम॰ ए॰ ए॰ खान)
सचिव

(गँगादीन यादव)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(प्रीतम सिंह)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 13 मई, 1995 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या

विषय एवं लिया गया निर्णय	0	अनुपालन आख्या
विषय सँख्याः 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 9·2·95 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 9·2·95 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
विषय सँख्याः 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 29 दिसम्बर, 1994 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 29 दिसम्बर, 1994 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष निर्देश दिये गये:-	
	(1) ल·वि·प्रा· की बैठक दिनॉक 21 जनवरी, 1994 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि नैपियर रोड कालोनी में डा· अतुल खन्ना को आवन्टित किये गये भूखण्ड से अनधिकृत अतिक्रमण को एक सप्ताह के अन्दर हटवाकर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जाये।	मुख्य अभियन्ता व्दारा कार्यवाही की जानी थी परन्तु कृत कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।

उपरोक्त क्रम में यह भी निर्देश दिये गये कि अतिक्रमण कर्ताओं के विरुध्द सख्त कार्यवाही की जाये, उनसे जुर्बाना वसूल किया जाये। इस सम्बन्ध में उ॰प्र॰आवास एवँ विकास परिषद व्दारा कुछ प्राविधान किये गये हैं, उनका अध्ययन कर, इस प्रकरण पर शीघ्र नियम बनाकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

§2§ अवगत कराया गया कि अलीगँज योजना के हाइटेन्शन लाइन से आच्छादित क्षेत्र को ग्रीनबेल्ट में परिवर्तित करने हेतु ले-आउट तैयार करा लिया गया है। इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण शीघ्र करा दिया जाये।

कार्यवाही की जा रही है।

§3§ दिनाँक 15 अप्रैल, 1993 की प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में कालविन कालेज के पीछे की भूमि की इकोनामिक वायबिल्टी उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियन्ता,लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक माह का और समय प्रदान किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि इस अवधि में आवश्यक रूप से वायबिल्टी प्रस्तुत कर दी जाये।

मुख्य अभियन्ता व्दारा कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।

§4§ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 29·12·94 के विषय सॅख्याः 11 के क्रम में निर्देश दिये गये कि श्री राम व्यवसायिक केन्द्र के प्रकरण पर, 29·12·95 की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 15 दिनों में कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

अभी बैठक नहीं हो सकी है।

§5§ ल·वि·प्रा· की बैठक दिनॉक 29·12·94 के विषय सॅख्याः 19 के क्रम में सॅयुक्त सचिव, वित्त व्दारा अवगत कराया गया कि पुराने हलके वाहन के स्थान पर नया हलका वाहन क्रय करने के लिये शासन का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और न ही इस हेतु शासन की अनुमति की आवश्यक्ता है। अतः दो पुराने वाहनों के स्थान पर दो नये वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बोर्ड की स्वीकृति के क्रम मे वाहन क्रय कर लिये गये थे, तदुपरान्त सॅयुक्त सचिव, वित्त के पत्र के क्रम में शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

Time Schedule / Lumpsum
Present day value Assessment -
LDA का option न रखा
विश्वास खण्ड
विश्वास खण्ड का पुकारने जो Allotted है नहीं खुली है
Loophole to be plug Civil Amenities
15 दिन में पूर्ण

§6§ ल·वि·प्रा· की बैठक दिनॉक 29·12·94 के विषय सॅख्याः 22 के अर्न्तगत गोमती नगर योजना के अर्न्तगत स्थित भूमि का अधिग्रहीत किये जाने के प्रकरण पर गठित उपसमिति की बैठक एक माह के अन्दर किये जाने के निर्देश दिये गये।

अभी बैठक नहीं हो सकी है।

यथा समय बैठक का कार्यवाही जायेगी

§7§ ल॰वि॰प्रा॰ की बैठक दिनाँक 29॰12॰94 के विषय सँख्याः 24 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड सँख्याः 4 पर ग्रुप-हाउसिंग की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में गठित उपसमिति की बैठक एक सप्ताह में किये जाने के निर्देश दिये गये।

उपसमिति की बैठक दिनाँक 28॰6॰95 को हो चुकी है तथा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

§8§ ल॰वि॰प्रा॰ की बैठक दिनाँक 29॰12॰94 के अनुपूरक विषय सँख्याः 9 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि क्लार्क अवध में आने वाली गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी की जाती हैं जिससे ट्रैफिक के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है, अतः स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराकर अवगत कराया जाये।

Compliance.

§9§ ल॰वि॰प्रा॰ की बैठक दिनाँक 29॰12॰94 के अनुपूरक विषय सँख्याः10 के अन्तर्गत लखनऊ नगर की भविष्य की जलापूर्ति हेतु अन्डर-ग्राउन्ड वाटर के अध्ययन से सम्बन्धित लिये गये निर्णय के क्रम में यह भी सुझाव दिया गया कि मु॰अ॰, आवास विकास परिषद, मु0अ0, जल निगम एवँ नगर निगम को भी एसोसियेट कर लिया जाये।

मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त हो जाने और उनके स्थान पर कोई अधिकारी पदस्थ न होने के कारण प्रगति नहीं हो सकी है।

Roorkee and Prem ...

§10§ ल॰वि॰प्रा॰ की बैठक दिनाँक 29॰12॰94 के अनु॰वि॰स॰ः11, गाजियुद्दीन हैदर कैनाल के ऊपर एलीवेटेड ऐक्सप्रेस निर्माण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये एक माह के अन्दर इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये एवँ बोर्ड के समक्ष प्रेजेन्टेशन भी कराया जाये।

यथा-उपरोक्त

2-... Rail Rapid ...

विषय सँख्याः 2"अ"	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 9 फरवरी, 1995 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	
निर्णय :	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।	नोट किया गया।
विषय सँख्याः 3	उत्तर प्रदेश आवास एवँ विकास परिषद की इन्दिरा नगर, विकास नगर एवँ राजा जी पुरम योजनाओं के नगर निगम को स्थानान्तरित भाग को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवँ विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव।	
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सँशोधित अधिनियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में नगर निगम को जो अधिकार मिले हैं, उनका भी परीक्षण करा लिया जाये। तदुपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।	निर्णयानुसार परीक्षण किया गया। उ॰प्र॰नगर योजना एवँ विकास अधिनियम 1973 की धारा-3 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्रों के सम्बन्ध में नगर निगम अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते। अधिनियम में यह प्राविधान है कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन की सीमा से 8 कि॰मी॰ परिधि तक उ॰प्र॰ नगर योजना एवँ विकास अधिनियम 1973 के प्राविधान लागू हैं। अतः पूर्व बैठक में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिये।

विषय सँख्याः 4	अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु सँशोधित शमन उपविधि 1994 पर प्राधिकरण का अनुमोदन।	
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इन सुझावों पर विचार हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक श्री अनेजा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसके सदस्य आवास आयुक्त के प्रतिनिधि तथा मुख्य नगर नियोजक, ल·वि·प्रा· होगें। यह समिति 15 दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	शासन व्दारा आदेश सँख्याः 1926/9आ-1-95-6-डी·ए·/81, दिनाँक 2 मई, 95 के अर्न्तगत इसी प्रकरण पर विचार कर आदर्श शमन उपविधि का प्रारुप प्रस्तावित करने हेतु सचिव, आवास की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की जा चुकी है, अतः बोर्ड व्दारा गठित समिति व्दारा निर्णय या प्रस्तुतियों का अभिप्राय समाप्त हो गया है। Next Meeting .
विषय सँख्याः 5	सँशोधित महायोजना 2001 में चिन्हित बाजार मार्ग पर स्थित भूखण्डों के अर्न्तगत निर्माण विकास हेतु मार्गदर्शक सिध्दान्त।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के अनुरुप मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं।

विषय सँख्याः 6

लखनऊ विकास प्राधिकरण की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों पर विचार।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त सिध्दान्त रूप में स्वीकार किया गया तथा निर्देश दिये गये कि गठित समिति की बैठक शीघ्र कराई जाये।

अब तक 16 कालोनियों का मूल्यॉकन कार्य पूर्ण करके उपसमिति की बैठक हेतु तिथि निर्धारित करने के लिये आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष,ल·वि·प्रा· से निवेदन किया गया था परन्तु उनके निर्देशानुसार बैठक से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनौपचारिक विचार विमर्श किया जाना है, जो अभी नहीं हो सका है।

विषय सँख्याः 7

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के पट्टागत भूमि को नजूल के अनुरूप फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

अवगत कराया ग्रया कि प्राधिकरण की लीज़ पर दी गई भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है। अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लीज़ की भूमि के सम्बन्ध में जो शासनादेश प्राप्त हो, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

निर्णयानुसार शासन व्दारा निर्गत शासनादेश दिनॉक 10·5·95 के अनुसार फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जा रही है।

विषय सॅख्याः 8 — गोमती नगर योजना में गोल्फ़ कोर्स विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्देश दिये गये कि में इन्डियन होटल्स क·लि· को उनके अनुरोध पर कनसेप्चुअल प्लान उपलब्ध कराने हेतु दिनॉक 5·5·95 से तीन सप्ताह का समय अन्तिम रुप से दे दिया जाये। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपसमिति की सॅस्तुति एवॅ एग्रीमेन्ट का प्रारुप बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

उपसमिति की बैठक दिनॉक 20·7·95 को हुई। कार्यवृत्त तथा अनुबन्ध का डाफट अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय सॅख्याः 9 — गोमती नगर योजना में क्लब के निर्माण से सम्बन्धित।

निर्णय : — श्री दिव्य ज्योति, लखनऊ, मे· ओएसिस इन्डिया लि·, नई दिल्ली, मे· हैरिटेज क्लब लि· तथा श्री मेहरुख मिर्जा (सॅगम फिल्मस प्रा·लि· बाम्बे) व्दारा माननीय सदस्यों के समक्ष प्रेजेन्टेशन किया गया तथा विचारोपरान्त

दिनॉक 23·9·95 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उपसमिति की बैठक सम्पन्न हुई।

VC की अध्यक्षता में Committee
CTCP, Shankar Agrawal
विशेष आमंत्री इस क्षेत्र में कार्यरत दो को शामिल कर लें

जिलाधिकारी, लखनऊ श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसके सदस्य (1) रीजनल डाइरेक्टर, हुडको, (2) श्री एम॰पी॰अनेजा, वरिष्ठ नगर नियोजक, मुख्य नगर एवँ ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के प्रतिनिधि तथा जिमखाना क्लब, नई दिल्ली एवँ कलकत्ता या बँगाल क्लब, कलकत्ता के एक-एक प्रतिनिधि भी रखे जायेगें।

यह समिति प्रकरण के समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर यथा-शीघ्र अपनी सँस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विषय सँख्याः 10 अनुभाग अधिकारी एवँ प्रवर वर्ग सहायकों के अतिरिक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्य प्राधिकरणों से भी वहाँ के स्टाफ् के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र कर ली जाये, तदुपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

निर्णयानुसार कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद एवँ आवास विकास परिषद को पत्र भेजे गये हैं परन्तु अभी उत्तर नहीं प्राप्त हुए हैं।

विषय सॅख्याः 11	हलके वाहनों हेतु अनुबन्ध के आधार पर वाहन चालकों को रखे जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त, अनुबन्ध के आधार पर 7 (सात) वाहन चालक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	नोट किया गया।
विषय सॅख्याः 12	प्रर्वतन विभाग (आर·बी·ओ·) हेतु एक अतिरिक्त जीप क्रय किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की सॅस्तुति शासन को भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।	शासन को अनुस्मारक पत्र भेजा गया है। स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
विषय सॅख्याः 13	अवध जिमखाना क्लब के निकट रानी लक्षमी बाई मार्ग स्थित नजूल भूमि क्षेत्रफल 38,636 वर्गफुट को लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवन्टित किये जाने के सम्बन्ध में।	Disposal करा दें। विकल्पों का पता है। (अवमान महोदय से अलग आदेश दे दें)
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान में प्राविधानित उपयोग के अनुसार ही किया जाये।	शासन को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत नजूल भूमि ल·वि·प्रा· को टोकेन लीज़ेस्ट पर आवन्टित कर दी जाये अथवा यदि यह सम्भव न हो तो निविदा के माध्यम से निस्तारण की अनुमति प्रदान की जाये।

विषय सँख्याः 14

माननीय मुख्य मन्त्री जी की घोषणा दिनाँक 6·4·94 के क्रम में महाराजा बिजली पासी स्मारक साँस्कृतिक ट्रस्ट को कानपुर रोड योजना में भूमि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कानपुर रोड योजना के अर्न्तगत 19·327 एकड़ भूमि को आवासीय से हरित पट्टी में तथा प्रस्तुत प्रस्ताव में से उतने ही क्षेत्रफल की हरित पट्टी की भूमि को आवासीय किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये।

हरित पट्टी को पट्टे पर दिये जाने की शर्तो के सम्बन्ध में विशेष सचिव, मुख्य मन्त्री के पत्र दिनाँक 27·4·95 व्दारा दिये गये तीन सुझावों पर विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 29·12·94 में निर्धारित शर्तो में निम्न सँशोधन कर लिया जायेः-

§1§ पत्र के बिन्दुः 1 में दिये गये सुझाव के अनुसार 90 वर्ष के लिये दिये जाने वाले पट्टे का दो बार 30-30 वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण का प्राविधान रक्खा जाये।

§2§ पत्र में दिये गये बिन्दुः 2 में दिये गये सुझाव के अनुसार पट्टे पर दी जाने वाली हरित पट्टी की भूमि के 10 प्रतिशत भाग पर महायोजना के प्राविधानों के अनुसार निर्माण की अनुमति प्रदान की जाये।

§3§ उपरोक्त पत्र के बिन्दु-3 में यह सुझाव दिया गया था कि "प्रस्तावित पट्टे की शर्तो में यह लिखा गया है कि आवश्यक्ता पड़ने पर विकास प्राधिकरण भूमि वापस ले सकता है, को हटा दिया जाये" इस शर्त को हटाये जाने का बिन्दु बोर्ड व्दारा स्वीकार नहीं किया गया।

निर्णयानुसार शासन को पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

नहीं किया जाना है।

~~Monitor~~

CTCP को शासन को भेजे गये प्रस्ताव को दिखा लें। जिसकी कार्यवाही का अनुमोदन

विषय सँख्याः 15 — उत्तर प्रदेश आवास एवँ विकास परिषद के कार्यालय भवन, 104-महात्मागाँधी मार्ग स्थित, के भवन निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया। — **पक्ष को सूचित कर दिया गया है।**

विषय सँख्याः 16 — रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्युट आफ् यूनानी मेडिसिन्स को अलीगँज योजना के सेक्टर "ओ" में ग्रीन-बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि औषधि पौध रोपड् हेतु दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तथा यदि अन्य वैकल्पिक भूमि की माँग की जाती है तो नियमानुसार विचार किया जायेगा। — **आफिसर्स-इन-चार्ज, रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्युट आफ् यूनानी मेडिसिन्स को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।**

विषय सँख्याः 17 — डा॰ बी॰आर॰अम्बेदकर विश्वविद्यालय के परिसर हेतु 226·45 एकड् भूमि की व्यवस्था, भू-उपयोग परिवर्तन के के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त सिध्दान्त रूप में प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि अम्बेदकर विश्वविद्यालय व्दारा भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की सँस्तुति शासन को प्रेषित की जाये।औपचारिकतायें पूर्ण करने अथवा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु यदि विश्वविद्यालय व्दारा प्रमाणपत्र माँगा जाता है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा। — **नोट किया गया।**

No Objection

विषय सँख्याः 17 डा॰ बी॰आर॰अम्बेदकर [illegible] के परिसर हेतु

विषय सॅख्याः 18	अविकसित भूखण्ड सॅख्याः 285 क्षेत्रफल 3-10-8-14 मौजा इरादत नगर हेतु प्राप्त निविदा रु0 17·00 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल से अनधिकृति कब्जे को हटाये जाने की कार्यवाही की जाये। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव स्थगित किया गया।	**निविदा के साथ सॅलग्न की गई धनराशि का डाफट निविदादाता की मॉग पर वापस कर दिया गया है। अनधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र भेजा गया है।** RBD द्वारा खाली कराया जायी
विषय सॅख्याः 19	बटलरगॅज योजना के भूखण्ड सॅख्याः 23 को धारा-48(1) के अर्न्तगत अर्जन से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्थगन आदेश की नवीनतम स्थिति ज्ञात कर, परीक्षण के उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	**निर्णयानुसार नवीनतम स्थिति ज्ञात करके पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।**

विषय सँख्याः 20	श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल एवँ श्री हर प्रसाद अग्रवाल को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड सँख्याः डी-104/पी के स्थान पर गोमती नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पक्ष को गोमती नगर योजना में उतने ही क्षेत्रफल का वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध करा दिया जाये परन्तु इस हेतु उत्तरदायी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डित किये जाने की भी कार्यवाही की जाये।	**निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।**
विषय सँख्याः 21	गोमती नगर योजना में आवन्टित भवन सँख्याः 3/71, आशीष का विपुल खण्ड के भूखण्ड सँख्याः 2/108 में परिवर्तित किये जाने विषयक।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	**निर्णयानुसार भूखण्ड परिवर्तित कर पक्ष को सूचित कर दिया गया है।**

विषय सँख्याः 22 — श्रीमती नमिता चन्द्रा को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड में देय दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दण्ड ब्याज 50 प्रतिशत तक उपाध्यक्ष व्दारा माफ़ किया जा सकता है। शेष धनराशि को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ किश्तों में प्राप्त करने हेतु उपाध्यक्ष अपने स्तर पर विचार कर निर्णय ले लें।

पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

विषय सँख्याः 23 — मनीषा मन्दिर को आवन्टित भूमि के सम्बन्ध में देय धनराशि पर दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त मनीषा मन्दिर की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

ब्याज माफ़ किये जाने की सूचना पक्ष को दे दी गई है।

विषय सँख्याः 24	श्रीमती मीना कुमारी को आवन्टित भूखण्ड सँख्याः बी-2/62(एस) विशाल पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	विचारोपरान्त श्रीमती मीना कुमारी की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	निर्णयानुसार 50 प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ कर गणनानुसार निबन्धनपत्र पक्ष को जारी कर दिया गया है।
विषय सँख्याः 25	श्री एम॰डी॰ कर्णधार को प्रियदर्शनी योजना के अन्तर्गत आवन्टित भूखण्ड सँख्याः बी-2/122 प्रियदर्शनी को विनीत खण्ड, गोमती नगर में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	भूखण्ड परिवर्तित कर, पक्ष को सूचित कर दिया गया है।
विषय सँख्याः 26	लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा "लखनऊ विकास सँस्थान" के अन्तर्गत लखनऊ शहर में दो बिल्डिँग सेन्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	विचारोपरान्त सिध्दान्त रूप में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि जो सदस्य बनाये गये हैं उन्हे नाम से न रख कर पद्नाम से रखा जाये तथा प्रस्तुत मेमोरेन्डम का विधिक परीक्षण कराकर आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।	मुख्य अभियन्ता व्दारा कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

अनु0 विषय सँख्याः1	भूखण्ड सँख्याः बी-5/58 विनीत खण्ड के विरूध्द परिवर्तन शुल्क व ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।	
निर्णय :	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 50 प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ करके अवशेष 50 प्रतिशत दण्ड ब्याज की धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज दर से किश्तों में प्राप्त कर ली जाये। परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने का कोई औचित्य न होने के कारण इसे माफ़ किये जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई।	**निर्णयानुसार भूखण्ड पर लगे 50 प्रतिशत ब्याज को माफ़ किये जाने की सूचना पक्ष को दे दी गई है।**
अनु0 विषय सँख्याः2	मवैय्या योजना(ट्रस्ट) के अन्तर्गत भूखण्ड सँख्याः 163-ए-14 के आक्टन के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	प्रस्ताव स्थगित किया गया।	
अनु0 विषय सँख्याः3	श्री लालजी सिँह यादव को गोमती नगर विराट खण्ड में आवन्टित भवन सँख्याः 4/62 के स्थान पर विपुल में भूखण्ड आक्टन।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	**भूखण्ड परिवर्तित कर, पक्ष को सूचित किया गया।**
अनु0 विषय सँख्याः4	श्री सन्तोष कुमार को भूखण्ड सँख्याः ए-1/47 जानकीपुरम के स्थान पर विपुल खण्ड गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तन।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	**भूखण्ड परिवर्तित किया गया।**

अनु0 विषय सँख्याः5	श्री वी॰पी॰सिँह को शारदानगर में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तन।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	भूखण्ड का परिवर्तन किया गया।
अनु0 विषय सँख्याः6	गोमती नगर में आवन्टित भूखण्ड सँख्याःबी-4/66 विजयन्त के स्थान पर सी-4/52 विपुल की नई दर लगाये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया।
अनु0 विषय सँख्याः7	श्री सुरेन्द्र नाथ सिँह यादव को ए-5/26 विनीत की गणना पुरानी दर से किये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	निर्णयानुसार गणना कराकर पक्ष को सूचित किया गया।
अनु0 विषय सँख्याः8	श्री सुमित अग्रवाल को आवन्टित भवन सँख्याः ई-5/804, विकास को विपुल खण्ड में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।	निर्णयानुसार भूखण्ड परिवर्तित कर दिया गया है।
अनु0 विषय सँख्याः9	श्री आर॰के॰खण्डेलवाल को 1/14 रश्मि के स्थान पर गोमती नगर विपुल खण्ड में भूखण्ड परिवर्तन।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया।

अनु0 विषय सॅख्याः10	श्री अशोक कुमार को बी-2/78 सीतापुर रोड के स्थान पर गोमती नगर विपुल खण्ड में भूखण्ड का परिवर्तन।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	**निर्णयानुसार भूखण्ड परिवर्तित किया गया।**
अनु0 विषय सॅख्याः11	श्री एम·ए·हफ़ीज़ को पत्रकारपुरम में बी-2/92 पर लगाये गये दण्ड ब्याज का 50 प्रतिशत माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।	
निर्णय :	विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।	**निर्णयानुसार पक्ष को सूचित किया गया।**
अनु0 विषय सॅख्याः12	सिन्डर्स डम्प योजना, आलमबाग़ में अर्न्तजिला बस टरमिनस के निर्माण से सम्बन्धित।	
निर्णय :	विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 9·2·95 के विषय सॅख्याः 2 के अर्न्तगत गठित उपसमिति की अध्यक्षता हेतु श्री एम·पी·अनेजा, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवॅ ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को नामित किया गया। समिति के अन्य सदस्य पूर्ववत् रहेगें। यह भी निर्देश दिये गये कि यह समिति 15 दिनों के अन्दर अपनी सॅस्तुतियॉ प्रस्तुत कर दें।	**श्री अनेजा, वरिष्ठ नगर नियोजक को पत्र दिनॉक 5·6·95 व्दारा सूचित कर दिया गया है।** Builders Association के साथ discuss कर नया प्रस्ताव मांगे — Then open bids 1½ माह में term and condition final कर offers invite करें।

अनु0 विषय सँख्याः13 नजूल के रिक्त/समाप्त गार्डेन लीज़ के भूखण्डों की नीलाम/निविदा से फ्री-होल्ड किये जाने हेतु प्राप्त धनराशि को किश्तों में किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण की सँस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

निर्णयानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।

अनु0 विषय सँख्याः14 इनकेन कन्स्ट्रक्शन लि0 एवँ मेरिट डेवलपमेन्ट ऐण्ड कन्स्ट· प्रा·लि· व्दारा 5-लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर प्रस्तावित ग्रुप- हाउसिँग के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त सिध्दान्त रुप में प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि पत्रावली पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत कर अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

अनु0विषय सँख्याः15 श्री श्याम लाल बाजपेयी, भूतपूर्व मन्त्री, उत्तर प्रदेश को आवन्टित भूखण्ड सँख्याः3/206, विनय खण्ड की निर्माण अवधि दिनाँक 7·5·97 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

पक्ष को सूचित किया गया।

अनु0विषय सँख्याः16 श्रीमती नीति खेर को आवन्टित भूखण्ड सँख्याः 2/37 ए, विपुल खण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने का निर्णय लिया गया।

निर्णयानुसार दण्ड ब्याज की गणना कर पक्ष को सूचित कर दिया गया है।

अनु0विषय सँख्याः17 विपुल खण्ड के अन्तर्गत 21 मामलों में भूखण्ड से भूखण्ड परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना के अन्तर्गत भूखण्ड से भूखण्ड परिवर्तित किये जाने में कोई रोक नहीं है। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

नोट किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नाकित सामान्य निर्णय भी लिये गये:-

(1) सुझाव दिया गया कि भाविष्य में प्राधिकरण की बैठकों में वित्तीय/भौतिक उपलब्धि के आकड़े भी प्रस्तुत किये जायें। — **अलग से प्रस्तुत किये जा रहे हैं।**

(2) परिवर्तन शुल्क तभी माफ़ किया जाये जब प्राधिकरण की "चूक" के कारण भवन/भूखण्ड परिवर्तित कर दूसरा भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराया गया हो अन्यथा परिवर्तन शुल्क माफ़ न किये जाने का निर्णय लिया गया। — **प्राप्त होने वाले प्रकरणों का निस्तारण निर्णयानुसार किया जा रहा है।**

(3) योजना के अर्न्तगत किसी एक ही खण्ड में भवन से भवन अथवा भूखण्ड से भूखण्ड परिवर्तित कराने पर परिवर्तन शुल्क नहीं लिया जायेगा। — **निर्णयानुसार निस्तारण किया जा रहा है।**

§4§ दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष को 50 प्रतिशत तक दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने का जो अधिकार प्राप्त है भविष्य में उसी के अन्तर्गत दण्ड ब्याज माफ़ी के प्रकरण निस्तारित किये जायें। इसके अतिरिक्त अवशेष 50 प्रतिशत दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने का कोई प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किया जाये बल्कि अवशेष दण्ड ब्याज की धनराशि को परिस्थितियों के आधार पर 15 प्रतिशत ब्याज दर पर किश्तों में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

निर्णयानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

विषय सँख्याः 3 पृष्ठ सँख्याः 37

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक
वित्तीय वर्ष 1995-96

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक

1995-96 अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय सॅख्याः 4

विषयः

प्राधिकरण के अभियन्त्रण कार्यो की भौतिक प्रगति आख्या।

अभियन्त्रण कार्यो की भौतिक प्रगति आख्या अलग से प्रस्तुत की जा रही है।

विषय संख्या: 5 पृष्ठ सं0: 39

विषय: ल0वि0प्रा0 की योजनाओं में लीज पर आवंटित भवनो/भूखण्डो को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने से सम्बन्धित,

आख्या: शासनादेश सं01639-आ-1-95-80मिस/86 दि010·5·95 (संलग्नक- 1) तथा शासनादेश सं01778/9-आ-1-95-213डीए/94 दि024·5·95 (संलग्नक-2) द्वारा शासन ने विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भवनो/भूखण्डो को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया ~~गया~~ है ।

2· उपरोक्त शासनादेशो के क्रम में ल0वि0प्रा0 ने अभी आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने हेतु ही कार्यवाही प्रारंभ की है। अतः निम्न प्रस्ताव है :

1: स्कूल भूखण्डो का आवंटन शासनादेश सं07323/11-5-86-200(86) 200(48)दि011·11·86 (संलग्नक-3) के अनुसार रियायती दरो पर किया जाताहै । यदि रियायती दरो पर आवंटित स्कूल भूखण्डो के सम्बन्ध में लीज पर आवंटित भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किया जाता है, तो यह संभावना हो सकती है कि भविष्य में स्कूल न चलने पर स्कूल भूखण्ड धारक उसका अन्यथा प्रयोग कर लें । दूसरे ल0वि0प्रा0 द्वारा रियायत एक निर्दिष्ट उपयोग के लिये दी गई है । अतः स्कूल भूखण्डो को अभी लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तित न किया जायें ।

Recommend

11: सामाजिक संस्थाओं, अस्पतालो आदि को भी बोर्ड/शासन के अनुमोदन के पश्चात् रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई है । चूँकि एक निर्दिष्ट प्रयोग हेतु रियायत दी गई है, अतः उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि को भी अभी लीज होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तित न किया जायें ।

111: व्यवसायिक भूखण्डो हेतु आवंटित भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने हेतु कार्यवाही अभी स्थगित रखी जायें ।

Freehold on Tent with Density related

31/8/95
CARP

संलग्नक — एक

संख्या-1639 /9-आ-1-95- 80 मिस /86

40

प्रेषक,

श्री प्रभास कुमार झा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ ।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 10 मई, 1995

विषय:- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में तीज पर आवंटित भूखण्डों/ भवनों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन ।

======

महोदय,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में सम्पत्ति भूखण्डों/ भवनों से सम्बद्ध भूमि को तीज पर आवंटित करने की कार्यवाही की जाती है। विकास प्राधिकरणों के गठन के पूर्व सुधार न्यास (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) द्वारा भी आवास निर्मित करके उन्हें तीज (पट्टे) पर उठाया जाता रहा है। प्राधिकरणों का गठन होने पर सुधार न्यास समस्त परिसम्पत्तियों सहित विकास प्राधिकरणों में संवितीन कर दिये गये। विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास अथवा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जो भूमि / भवन तीज पर आवंटित किये गये हैं उनमें तीज की अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ 30-30 वर्ष के दो मध्यवर्ती नवीनीकरण सहित सामान्यतया 90 वर्ष के लिये तीज दिये जाने का प्राविधान रहा है। तीज पर भूमि आवंटन की व्यवस्था में आवंटी को तीज रेंट जमा करने, तीज नवीनीकरण कराने, सम्पत्ति के विक्रय या हस्तान्तरण पर संबंधित अभिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करने आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

-2-

41

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भूमि/ भवन को फ्री-होल्ड किये जाने के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था / कार्यवाही की जायेगी :-

(1) विकास प्राधिकरणों/ उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा नये आवंटियों को भूखण्ड अनिवार्य रूप से सीधे फ्री-होल्ड के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा और भूमि के मूल्य की 12 प्रतिशत धनराशि फ्री-होल्ड शुल्क के रूप में ली जायेगी । यह धनराशि भूमि के मूल्यांकन में सन्निहित रहेगी ।

(2) जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन शुल्क का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर भूमि फ्री-होल्ड कर दी जायेगी । परन्तु यह सुविधा उन्हें ही अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्पूर्ण लीज रेंट जमा कर दिया है और फ्री-होल्ड करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे । लीज रेंट जमा करने के संबंध में शासनादेश दिनांक 23-10-86 के प्रस्तर-1 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(3) महायोजना में लागू भू-उपयोग के विपरीत कार्य करने वाले को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

3. उपरोक्त शासनादेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है कृपया उक्त का व्यापक प्रचार करते हुये /प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रभास कुमार झा)
विशेष सचिव।

संख्या-1639/11/9-आ-1-95-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
(2) समस्त सचिव, उ0प्र0 शासन ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(5) शासन के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
अनु सचिव।

संलग्नक-दो

प्रेषक,

संo-1778/9-आ-1-95-213डीए/94

श्री प्रभास कुमार झा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 24 मई, 1995

विषयः- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संo-1639/9-आ-1-95-80मिस/86 दिनांक 10 मई, 1995 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर (2) की द्वितीय पंक्ति में रजिस्ट्रेशन मूल्य के स्थान पर त्रुटिवश रजिस्ट्रेशन शुल्क टंकित हो गया है। अतः उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 10 मई, 1995 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(2) को निम्नवत पढ़ा जायः-

जिन आवंटितयों का पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर भूमि फ्री-होल्ड कर दी जायेगी परन्तु यह सुविधा उन्हें ही अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्पूर्ण लीज रेण्ट जमा कर दिया है और फ्री-होल्ड करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। लीज रेण्ट जमा करने के संबंध में शासनादेश दिनांक 23.10.86 के प्रस्तर-1 की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः कृपया तदनुसार उपरोक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा

.....2

जाय तथा कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय

(प्रभास कुमार झा)
विशेष सचिव

संo-1778(1)/9-आ-1-95-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2. समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
अनु सचिव

44

संख्या 7323/11-5-86-200(1142)/

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2- आवास आयुक्त, उ0प्र0
आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 11 सितम्बर, 198

विषयः- विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में योजनाओं के अन्तर्गत स्कूलों/विद्यालयों को रियायती दरों पर भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में योजनाओं के अन्तर्गत स्कूलों/विद्यालयों हेतु भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं। परन्तु ऐसा देखा गया है कि उन भूखण्डों का मूल्य अत्यधिक होने के कारण यह भूखण्ड काफी समय तक रिक्त पड़े रहते हैं, कोई स्कूल या कालेज इन्हें ग्रहण नहीं करता है और योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित कालोनी के निर्मित भवनों में लोग स्कूल चलाये जाते हैं जिससे स्कूल के बच्चे/विद्यार्थियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तथा शासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गये पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुये, यह निर्णय लिया गया है कि विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत स्कूलों/कालेजों को रियायती दरों पर जो भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे उनकी दरें निम्न प्रकार होंगी तथा

क्र.सं. प्रेज 2....

permissible

उनके ब्लॉक रजिस्ट्रेशन एवं प्राइज्ड कवरेज निम्न प्रकार अनुमन्य/

क्रमांक	अनुमन्य का क्षेत्र फल	पर की जाने वाली
1	2	
ए-	2000 वर्गमीटर तक के अनुमन्य हेतु	प्रचलित आवासीय दरों की दर से 50 प्रतिशत दर पर रेहन अनुमन्यों को उपलब्ध कराया जायेगा ।
बी-	2000 वर्गमीटर से 4000 वर्गमीटर तक की अतिरिक्त भूमि	40 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी । 30
सी-	4000 वर्गमीटर से 6000 वर्गमीटर तक की अतिरिक्त भूमि	30 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।
डी-	6000 वर्गमीटर या उससे अधिक की अतिरिक्त भूमि	15 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

स्कूल/विद्यालयों को अनुमन्य permissible । एफ0ए0आर0 एवं प्राइज्ड कवरेज

एफ0ए0आर0	प्राइज्ड कवरेज	विवरण
00	40	प्राईमरी तथा मांटरी स्कूल
100	35	जूनियर तथा इण्टरमीडियट कालेज
120	30	डिग्री कालेज तथा टेक्निकल स्कूल

अन्य अदायगी की शर्तें निम्नवत होगी:-

कुल मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन के समय
अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि बीस समान किस्तों में 17 1/2 प्रतिशत ब्याज के साथ देय होगी ।
समय से किस्तें जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।
इनके अतिरिक्त एडवांस पूरी धनराशि जमा करने पर मूल्य में अतिरिक्त छूट दी जायेगी ।

उपरोक्त आदेश समस्त विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद पर तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

सचिव
अजमेर प्रताप सिंह,
राज्य

सं.7323(1)/11-5-96-200(149)/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) डी0ओ0 नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(2) आवास अनुभाग-2 और -3

आज्ञा से,
ह0/-
(अंजन कुमार श्रीवास्तव)

विषय संख्या: 6 पृष्ठ संख्या: 46.

विषयः डाकूमेन्टेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित,

आख्याः मे0 लार्सन एण्ड टूबरो द्वारा लखनऊ में एक डाकूमेन्टेशन एवं ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु एक एकड भूमि की माँग की गई है । उपरोक्त कं0 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

To keep the user industry informed of contemporary development in the field of welding technology.

- To spread awareness of conservation of metallic resources of the country and reduction in downtime.
- To improve usage and maintenance norms of the industries.
- To educate the user on selection of right products.
- To develop innovative and functional training programmes with active involvement of design and customers for various levels of engineers and technicians.
- To impart hands on skill training to welders.
- To have fully equipped functional facilities e.g. data bank, workshop, Library.
- To carry out developmental work leading to more benefit to industry and technical institutes.
- To develop technoeconomical solutions for specific wear problems.

2. गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में इंस्टीट्यूशनल भूमि उपलब्ध है जो लखनऊ महायोजना में भी इंस्टीट्यूशनल उपयोग हेतु मार्क है । ल0वि0प्रा0 द्वारा अब तक अपनाई गई नीति के अनुसार इंस्टीट्यूशनल भूमि आवासीय दर की आधी दर पर दी जाती रही है । इस समय गोमती नगर योजना मे आवासीय भूमि की दर रू01100/- प्र0व0मी0 है । इस दर की आधी दर रू0550·00 प्र0व0मी0 के अनुसार एक एकड भूमि का प्रीमियम रू022·26 लाख आती है । उपरोक्त सेक्टर में भूमि लेने हेतु उपरोक्त कं0 ने अपने पत्र दि026·7·95 द्वारा सहमति दे दी है ।

3. अतः ल0वि0प्रा0 (बोर्ड) कृपया उपरोक्तानुसार एक एकड भूमि मे0 लार्सन एण्ड टूबरो को डाकूमेन्टेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु उपरोक्त दर एवं धनराशि पर देने हेतु स्वीकृत प्रदान करना चाहे ।

Approved concession by GOV

Policy Planning for institutional area

Concession by Industry Dept.

23/8/95

Greater Noida on scheme

19/8/95

विषय: कानपुर रोड योजना/शारदा नगर योजना में प्राईवेट बिल्डर्स को लाइसेन्स पर आवंटित भूमि से सम्बन्धित,

आख्या: निम्नोलिखत तीन बिल्डर्स को लाइसेन्स के आधार पर भूमि आवंटत की गई थी ।

	बिल्डर का नाम	योजना व सेक्टर का नाम	प्रारंभ में कब्जा दी गइ भूमि की मात्रा
1.	मे0अंसल हा0कान्स0	कानपुर रोड जे,के,एम,एन	193.8745 हेक्टेयर
2.	मे0 एल्डको हा0इण्ड0	शारदा नगर योजना रक्षा व राव	61.969554 हेक्टेयर,
3.	मे0 यूनिटेक लि0	शारदा नगर योजना रत्नाकर खण्ड	90.797 हेक्टेयर

मे0 अंसल से सेक्टर"जे,के" के सम्बन्ध में अनुबन्ध दि017.7.87 को, सेक्टर एम व एन के सम्बन्ध में अनुबन्ध दि07.5.88 को, मे0 एल्डको से राव तथा रक्षा खण्ड के सम्बन्ध में अनुबन्ध दि021.7.88 को निष्पादित किये जा चुके हैं । मे0 यूनिटेक से अनुबन्ध दि021.7.88 को निष्पादत किया गया था । अनुबन्ध के प्रावेधानो के अनुसार योजना की समयावधि 3 वर्ष रखी गई थी परन्तु 3 वर्ष में योजना पूर्ण न हो सकी क्योंकि ल0वि0प्रा0 के जो दायित्व बाह्य विकास कार्य पूर्ण करने के हैं, वह ल0वि0प्रा0 पूर्ण नहीं कर पाया । इसके अतिरिक्त आवंटत भूमि में कुछ अनार्जित खसरा नम्बर्स की भूमि तथा ग्राम समाज की भूमि आ गई । अनार्जित खसरा नम्बर्स की भूमि का कब्जा अभी तक नहीं मिल पायाहै और ग्राम समाज की भूमि का रिजम्पशन नहीं हो पाया है ।

2. मे0 असल ने अपने लेखे को अंतम करने हेतु अनुरोध किया तो इस सम्बन्ध में तत्कालोन उपाध्यक्ष दारा एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य सचिव, मु0अभि0, मु0ले0अधि0 तथा का0एका0-एवं-इको0प्ला0 बनाये गये । इस समिति की बैठक दि07.3.95 को हुई तथा समिति ने यह अनुशंसा की कि मे0 अंसल को आवंटत भूमि के लेखे को अंतम करने में आदर्श कारागार, किला मोहम्दी तथा अनार्जित खसरा नम्बर्स की भूमि का लागत न लगाई जायें परन्तु बाह्य विकास व्यय पूरी आवंटत भूमि पर लिया जायें जबकि मे0 अंसल का कहना है कि जो

क्रमश:.....2

48

भूमि उन्हें वास्तव में मिली है, उस पर ही बाह्य विकास व्यय लिया जायें क्योंकि उन्हें भूमि प्र0व0मी0 की दर से दी गई है ।

3. इसी प्रकार मे0 एल्डिको तथा मे0 यूनिटेक लि0 को शारदा नगर योजना में लाइसेन्स के आधार पर भूमि आवंटित की गई है, उसमें भी ग्राम समाज तथा अनार्जित खसरा नम्बर्स की भूमि आती है तथा कुछ भूमि पर विवाद के कारण भूमि का कब्जा उपरोक्त बिल्डर्स को नहीं दिया जा सका । अतः इसमें भी मे0 अंसल की भाँति स्थिति आती है ।

4. अतः प्राधिकरण (बोर्ड) कृपया यह निर्णय लेने का कष्ट करें कि कुल ~~कब्जा~~ दी गई भूमि पर बाह्य विकास व्यय लगाया जायें, अथवा जितनी भूमि का कब्जा वास्तव में बिल्डर्स को मिली है, उस पर बाह्य विकास व्यय लिया जायें ।

7/8/95
CAEO

① Lump sum
② Future Land Current Dev. Rate
इस्वयं वसूल तब भी

विषयः गोमती नगर योजना में टेनिस काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन से सम्बन्धित,

आख्याः अवैतनिक सचिव, यू0पी0 टेनिस एशोसियेशन लखनऊ ने अपने पत्र दि010·3·94 द्वारा 4 एकड भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया तथा उपरोक्त पत्र में यह भी लिखा है कि नामिनल लीज रेन्ट रू01·00 प्रति वर्ष पर यह भूमि आवंटित की जायें। उपरोक्त पत्र की फोटो प्रति संलग्न है (संलग्नक-1) । इस पत्र में यह उल्लेख है कि उपरोक्त काम्पलेक्स का अभिप्राय उ0प्र0 के नवयुवक, नवयुवतियो को टेनिस के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यकलाप भी उपरोक्त पत्र में अंकित किये गये हैं ।

2· गोमती नगर योजना में उपलब्ध ग्रीन वेल्ट की भूमि जो निर्मित स्पोर्टस स्टेडियम से संलग्न है, के समीप 4 एकड भूमि दिये जाने का निश्चय किया गया यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि गोमती नगर योजना में ही स्पोर्टस काम्पलेक्स की स्थापना हेतु 14·88 एकड भूमि ग्रीन वेल्ट की स्पोर्टस विभाग को रू01·00 टोकेन लीज रेन्ट पर देने हेतु प्राधिकरण की बैठक दि027·7·90 में निर्णय लिया गया था । प्राधिकरण (बोर्ड) में रखा गया प्रस्ताव तथा लिया गया निर्णय संलग्न है (संलग्नक- 2) रू01·00टोकेन लीज रेन्ट पर स्पोर्टस काम्पलेक्स को भूमि इस प्रतिबन्ध सहित दी गई थी कि इस योजना में जो भी निर्माण आदि कार्य कराये जायेगें, उनकी फेजिंग करते हुए उन्हें ल0वि0प्रा0 द्वारा डिपाजिट वर्क के रूप में संपादित कराया जायेगा, तद्नुसार रजिस्ट्री करते समय इस शर्त का प्राविधान लीज डीड में कर दिया गया था । परन्तु खेल निदेशालय/शासन द्वारा इसका अनुपालन नही किया गया तथा निर्माण / विकास कार्य जल निगम द्वारा कराये गये हैं । अतः वर्तमान आवासीय दर की 10प्रतिशत दर अर्थात् रू0110·00प्र0व0मी0 की दर से 4 एकड भूमि का प्रस्ताव उ0प्र0 टेनिस एशोसियेशन को इस कार्यालय के पत्र दि010·1·95 द्वारा भेजा गया । भूमि की दर रू0110·00प्र0व0मी0 के अनुसार 4 एकड भूमि का कुल प्रीमियम रू017·806लाख आता है । इस पर निर्धारित दर से लीज रेन्ट भी देय है । अभी तक धनराशि का भुगतान उ0प्र0 टेनिस एशोसियेशन द्वारा नही किया गया है ।

3· शासन ने अपने पत्र सं02327/9"आ"1-95-190डीए/95दि025·8·95 (संलग्नक-3) द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड में रखकर निर्णय लेने के पश्चात् शासन को अवगत कराया जायें । आवासीय दर की 10प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का कारण यह है कि वर्ष 1986 में एन0आई0एस0 विंग

क्रमशः·····

की स्थापना हेतु 100 एकड भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचार विमर्श हुआ था, तत्कालीन सचिव नगर विकास ने स्पोर्टस अनुभाग की एन0आई0एस0 विंग की स्थापना सम्बन्धित पत्रावली में यह उल्लेख किया था कि रेजीडेन्शयल रेट के 10प्रतिशत मूल्य पर उपरोक्त योजना के लिये भूमि दी जायेगी । यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि एन0आई0एस0 विंग की स्थापना हेतु 100 एकड भूमि गोमती नगर योजना में दिये जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु अभी भूमि दी नहीं गई है स्पोर्टस विभाग की उपरोक्त पत्रावली का उद्धरण भी संयुक्त सचिव, स्पोर्टस अनुभाग,उ0प्र0 शासन का इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ था (संलग्नक-4) । इसी आधार पर टेनिस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु आवासीय दर की 10प्रतिशत दर से 4 एकड भूमि के आबंटन का प्रस्ताव भेजा गया था । अतः प्राधिकरण (बोर्ड) कृपया इस विषय पर निर्णय लेने का कष्ट करें ।

10/ Approved

U.P. Tennis Association

(Affiliated with All India Tennis Association)

Dr. A.N. Segal, I.A.S.
President
416- DR. BALNATH ROAD,
NEW HYDERABAD, LUCKNOW

M. Mangalik
Life Vice President
B 1/2, RIVER BANK COLONY,
LUCKNOW - 226 018

J.S. Kaul
Hony. Tresurer
5- CHINA BAZAR
LUCKNOW - 226 001

C.P. Kackar
Hony. Secretary
4, PARK ROAD,
LUCKNOW - 226 001

March 10, 1994

The Vice Chairman
Lucknow Development Authority
J.C. Bose Marg
LUCKNOW

Dear Sir,

LAND FOR TENNIS COMPLEX

Further to our discussions for allotment of land for the Tennis Complex to the UP Tennis Association, I am enclosing with this letter our requirements of land alongwith the brief details.

The UPTA came into existence in 1947. The Association does not have any land of its own. Therefore, we have to depend on Tennis playing clubs which are not many for holding tennis tournaments as well as tennis coaching camps. I would also like to bring to your kind notice that from 1980 onwards for holding Internationala Tennis Tournaments certain amenities are mandatory as per the guidelines of International Tennis Federation such as seperate dressing and toilets for the participants, a Pavillion for Commentator for TV Coverage, facilities for Telex and Fax at the tournament site and similar practice courts for the participants. Needless to say that the proposed complex is meant for the training and coaching of young boys and girls of Uttar Pradesh and it is requested that the land so allotted should be at a nominal lease rent of Rupee 1/- only per year in view of the public interest involved in it.

Most of the Stages of India are having a Tennis Complex with the help of their respective State Governments and are holding international level tournaments but we are unable to do so as neither we have the facilities nor the tennis complex; to bid for the International Tennis Tournaments.

I am confident that you will favourably consider our offer and allot us the land as soon as possible to enable us to take up the matter with the Government for funds.

Thaning you

Yours truly
for UP Tennis Association

(C.P.KACKAR)
Hony.Secretary

C.P.KACKAR
Hony.Secretary
U.P.Tennis Association
4-Park Road
LUCKNOW

PROPOSAL FOR TENNIS COMPLEX AT LUCKNOW UNDER THE AUSPICES OF U.P. TENNIS ASSOCIATION

52

(69)

INTRODUCTION

The UPTA does not have their own courts to promote tennis in Lucknow. In addition to organising coaching, UPTA must have facilities to hose both National and International events like the Davis Cup, Satelite Circuit etc. With this in view, it is proposed that the UPTA, with the help of the Government, develops a full fledged Tennis Complex in Lucknow.

The proposed Tennis Complex will have:-

1. Eight Tennis Courts
2. A Gallery around the two Main Courts
3. Four Toilets.

The total requirement of land for this purpose would be around 4 Acres.

The broad outline of the facilities to be provided in the complex are given below:-

1.TENNIS COURTS

The two main courts will be provided with the DECO Surface (artificial surface). These will also be flood lit.

There will be six grass courts.

2.THE GALLERY

The Gallery around the main courts will have a seating capacity of 5000 persons.

A rough sketch of the stadium complex can be prepared after the land is allotted to the Association.

With the above facilities, we will be able to hold international events like Davis Cup, Satelite Tournaments and other national level tournaments in addition to regular coaching programmes.

If UP is to be put on the Tennis Map of India, it is imperative that UPTA have their own stadium complex to promote tennis in the State and provide coaching by inviting coaches from abroad as well as from AITA.

*****

Annexure-2

लखनऊ विकास प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक दि027.7.90 का उद्धरण व निर्णय

53

विषय संख्या: 6 पृष्ठ संख्या: 17

विषय : गोमती नगर योजना में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या: स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव एवं विशेष सचिव, खेलकूद विभाग उ0प्र0शासन ने अ0शा0प0स0 जी-1056/विसखेल/90 दि0 31-5-90 (प्रति-लिपि संलग्न) द्वारा सूचित किया है कि मुख्य सचिव ने पूर्व में यह निर्देश दिये थे कि बड़े-बड़े शहरों में आवास योजनाओं में सार्वजनिक रूप से खेल सुविधाओं की कुछ आधार भूत अवस्थापना तैयार की जानी चाहिये जिसके लिये योजना के बनाते समय ही भूमि मात्राकृत की जानी चाहिये ।

2. इस भूमि पर खेल सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु एक बहुउद्देशीय काम्पलेक्स के निर्माण का प्लान तैयार किया जाना है । उपरोक्त पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा साकेत में बनाये गये खेल सुविधाओं को देखा लिया जाय । साथ ही यह भी देखा लिया जाय कि स्पोर्टस काम्पलेक्स में विकास प्राधिकरण दिल्ली की क्या भूमिका रही है। इसके अनुपालन में एक अधिकारी को उपरोक्त स्पोर्टस काम्पलेक्स को देखाने हेतु तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से जानकारी करने हेतु भेजा जा रहा है ।

3. गोमती नगर योजना में 14.88 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट की स्पोर्टस विभाग को टोकेन लीज़ रेन्ट रू0 1/- प्रति वर्ष पर दे दी जाय । इस ग्रीन बेल्ट का रखारखाव स्पोर्टस विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा किया जायगा । इस भूमि में बहुउद्देशीय स्पोर्ट काम्पलेक्स की स्थापना, नई दिल्ली में साकेत काम्पलेक्स की सुविधाओं के अनुसार की जायेगी ।

4. अत: निम्न प्रस्ताव हैं:-

(I) गोमती नगर योजना में 14.88 एकड़ ग्रीनबेल्ट की भूमि स्पोर्टस विभाग को रखारखाव हेतु दे दी जाय। उपरोक्त भूमि का टोकेन लीज़ रेन्ट रू0 1/- प्रति वर्ष लिया जाय ।

(II) उपरोक्त भूमि का प्रयोग बहुउद्देशीय काम्पलेक्स की सुविधाओं हेतु ही खेल विभाग द्वारा किया जाय ।

(III) लखनऊ विकास प्राधिकरण उपरोक्त भूमि में कोई भी विकास सुविधायें उपलब्ध नहीं करायेगा ।

(IV) इस योजना में जो भी निर्माण आदि कार्य कराये जावेंगे उनकी फ्रेजिंग करते हुए उन्हे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डिपाज़िट वर्क के रूप में सम्पादित कराया जायेगा ।

अर्द्धशा०प०सं०-2327/9-आ-1-95-190डी०ए/95

शिशिर कुमार यादव,
अनु सचिव ।

आवास अनुभाग-1
विकास भवन

लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 1995

प्रिय महोदय,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना में टेनिस काम्प्लेक्स के निर्माण के लिये भूमि आवंटन के संबंध में अपने कास्ट एकाउन्टेन्ट एवं इकोनामिक प्लानर, के पत्र संख्या-532/को०ए०/डी०ए०/95, दिनांक 28-6-95 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उत्तर प्रदेश लॉन टेनिस ऐसोशियेशन को टेनिस काम्प्लेक्स के निर्माण के लिये भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की अगली बैठक, में रख कर उस पर लिये गये निर्णय से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर,

भवनिष्ठ,

। शिशिर कुमार यादव ।

श्री पी०एल०लोई,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

55

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2156
8/2/90

प्रिय

[illegible] के [illegible] हेतु [illegible] में [illegible] भूमि के आरक्षण विषयक आपके [illegible] 89, दिनांक 3.11.89 को और आपका [illegible] अनुरोध करने की [illegible] है कि [illegible] विकास के [illegible] हेतु [illegible] 10 [illegible] 120 [illegible] भूमि [illegible] 485.624 [illegible] 10 [illegible] विभाग को [illegible] 46.562 [illegible] आप [illegible] पुष्टि [illegible] हेतु [illegible]

2- [illegible]

[illegible]

श्री [illegible] राव,
[illegible],
[illegible] विकास प्राधिकरण,
[illegible]

[illegible]

1- प्रतिलिपि [illegible] विकास [illegible] हेतु [illegible]
2- प्रतिलिपि [illegible]

[illegible]

स्पोर्टस अनुभाग की एन0आई0एस0 [illegible]
पत्रावली संख्या 11/एस0पी0/20/[illegible] के [illegible]
गए उद्धारण।

भूमि [illegible] देने के लिए विभाग [illegible] है। [illegible]
स्पो0 वि0 बजट को करना होगा। चूंकि भूमि का [illegible]
ग्रीन एरिया के रूप में ही रहेगा। इसलिए प्राधिकरण [illegible]
"क" रेसीडेन्सियल रेट की 10 प्रतिशत मूल्य पर ही [illegible]
उपलब्ध करायी जायगी। स्थल भी देखा लिया गया है।

एक दूसरा विचार था कि स्पोर्टस कालेज [illegible]
पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सकती है यह [illegible]
ए0पी0 सी0 ने दिलाया इस पर भी [illegible]
नगर विकास के "क" पर सहमति है।

[illegible]

विषय संख्याः 9

विषयः नेहरू इनक्लेव स्थित, गोमती नगर के भवनों की हायर परचेज त्रैमासिक किश्त की प्रारम्भ तिथि का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के नेहरू इनक्लेव स्थित 804 बहुखण्डीय भवनों का निर्माण किया गया था जिसमें से 244 भवन हायर परचेज कैटागिरी के हैं जिनकी त्रैमासिक किश्त की प्रारम्भ तिथि दिनॉक 1·11·94 से निर्धारित की गई थी। भवनों का विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण प्रारम्भ तिथि दिनॉक 1·4·95 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा आवन्टियों को आश्वस्त किया गया कि विकास कार्य अप्रेल, 95 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। विकास कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया था परन्तु नेहरू इनक्लेव स्थित भूमि के विषय में सेना से विवाद के कारण विकास कार्य अवरूध्द हो गया। इस बीच फलैटों का कब्जा देने मे सेना के जवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तथा दिये गये फलैटों के कब्जेदारों को घरेलू सामान तक ले जाने से मना करते हैं। कई आवन्टियों का सामान तथा वाहन भी सेना के जवानों ने वापस कर दिया।

नेहरू इनक्लेव के फलैटों के लगभग चार सौ लोगों को अनुबन्ध की सूचना दी गई है जिसमें से केवल 132 लोगों ने अनुबन्ध कराया, स्थल पर मात्र 57 लोग ही कब्जा प्राप्त कर सके हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में आवन्टियों ने दिनॉक 1·4·95 से देय किश्त को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है क्योंकि सेना के जवानों ने सड़क का निर्माण कार्य एवं विकास कार्य रोक दिया है।

अतः नेहरू इनक्लेव स्थित फलैटों का कब्जा तथा विकास कार्य आरम्भ कराये जाने की अवधि तक त्रैमासिक किश्त न लिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

To be withdrawn.
Put up a fresh
as per item No. 3
of 18th Sept.

विषय संख्याः 10 पृष्ठ संख्याः 58

विषयः गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-1 व 2 में भूखण्डों पर अनाधिकृत कब्जेदारो को विनीत खण्ड में ई॰डब्लू॰एस॰ भवनों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-1 व 2 में लगभग 25-30 भूखण्डों पर शोषित उत्थान समिति के कुछ व्यक्तियों व्दारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा गया है। शोषित उत्थान समिति व्दारा न्यायालय मे वाद दायर करके स्थागन आदेश प्राप्त कर लिया गया था जो कि अब वैकेट हो चुका है। इन अनाधिकृत कब्जेदारों से भूखण्ड खाली करा के मूल आवन्टियों को कब्जा दिया जाना है। इन भूखण्डों की सम्पूर्ण धनराशि आवन्टियों व्दारा प्राधिकरण कोष में कई वर्ष पूर्व जमा की जा चुकी है। शोषित उत्थान समिति के लगभग सभी सदस्य अनुसूचित जाति के हैं तथा अनाधिकृत भूमि पर झोपड़ी तथा कच्चे मकान आदि बना कर कब्जा कर लिया है जिन्होने प्रार्थनापत्र देकर प्रार्थना की है कि यदि उन्हे अन्यत्र किश्तों पर भवन दे दिये जाते हैं तो वह विराम खण्ड-1 व 2 से अपना कब्जा हटा लेगें। शोषित वर्ग उत्थान समिति के 40 सदस्यों को विनीत खण्ड, गोमती नगर योजना में ई॰डब्लू॰एस॰भवन दिये जाने का प्रस्ताव है। विस्थापितों को विनीत खण्ड में ई॰डब्लू॰एस॰ भवन देकर समायोजित करने की अनुमति वान्छित है। चूंकें यह सभी मजदूर हैं तथा अनुसूचित जाति के हैं, अतः इनसे प्रारम्भ मे पॅजीकरण धनराशि रू0 2,000/- जमा करा लिये जाये तथा इन्हे भी भुगतान की वही सुविधायें दे दी जायें जो कि ई॰डब्लू॰एस॰ भवन के आवन्टियों को प्राधिकरण व्दारा दी जाती हैं।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Vikram Singh

विषयः श्री राजवीर सिँह, अवर वर्ग सहायक, आवास अनुभाग-5 को कर्मचारी कोटे के अर्न्तगत भवन आवन्टन के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण लखनऊ के समक्ष विचारार्थ आख्या

श्री राजवीर सिँह, अवर वर्ग सहायक, आवास अनुभाग-5 ने प्रार्थनापत्र व्दारा यह अनुरोध किया है कि वह वर्तमान में विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित कार्य करते हैं इसलिये उन्हे कर्मचारी कोटे के अर्न्तगत भवन आवन्टित कर दिया जाये। इनके प्रार्थनापत्र पर सँयुक्त सचिव, आवास व्दारा भी इन्हे कर्मचारियों को दिये जाने वाले कोटे में कर्मचारी सुविधा प्रदान करने हेतु लिखा गया है। यहाँ पर यह अवगत कराना है कि अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ सम्बध्द राजस्व सेवा के कर्मचारियों को पूर्व में प्राधिकरण व्दारा कर्मचारी कोटे के अर्न्तगत भवन/भूखण्ड आवन्टित किये गये हैं। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य मे श्री राजवीर सिँह को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में रिक्त भवन सँख्याः बी-1/297 (अर्ध्द निर्मित) के आवन्टन हेतु प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Rejected

विषय सँख्याः 12, पृष्ठ सँख्याः 60

विषयः श्री वी॰ सी॰ पाण्डेय को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड सँख्याःबी-62/ई, अलीगँज को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री वी॰ सी॰ पाण्डेय को अलीगँज योजना के सेक्टर- ई मे भूखण्ड सँख्याः बी-62/ई आवन्टित है। आवन्टी व्दारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त भूखण्ड फिरोजगाँधी हाउसिँग सोसाइटी से विवादग्रस्त होने के कारण रजिस्ट्री व कब्जा नहीं हो पा रहा है जिसके कारण यह अपना भूखण्ड गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड मे परिवर्तित कराना चाहते हैं। नियमानुसार एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण बोर्ड मे सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तित करने का अधिकार निहित है।

अतः श्री वी॰ सी॰ पाण्डेय को आवन्टित भूखण्ड सँख्याः बी-62/ई, अलीगँज योजना को गोमती नगर योजना में परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्याः 13 पृष्ठ संख्याः 61

विषयः श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय को अलीगंज योजना मे आवन्टित भूखण्ड संख्याःबी-63/ई, अलीगंज को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय को अलीगॅज योजना के सेक्टर- ई मे भूखण्ड संख्याः बी-63/ई आवन्टित है। आवन्टी व्दारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त भूखण्ड फिरोजगॉधी हाउसिंग सोसाइटी से विवादग्रस्त होने के कारण रजिस्ट्री व कब्जा नहीं हो पा रहा है जिसके कारण यह अपना भूखण्ड गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड मे परिवर्तित कराना चाहते हैं। नियमानुसार एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड का परिवर्तन अनुमन्य नही है। विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण बोर्ड मे सम्पत्ति के परिवर्तन करने का अधिकार निहित है।

अतः श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय को आवन्टित भूखण्ड संख्याः बी-63/ई, अलीगॅज योजना को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विक्रय संख्या: 14 पृष्ठ संख्या: 62

विषय : छत्रपति साहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु विपिन खण्ड, गोमती नगर योजना में प्रस्तावित स्थल क्षेत्रफल लगभग 2,00010 वर्गफिट के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

==========

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन

छत्रपति साहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु स्थल विपिन खण्ड गोमती नगर योजना में स्थित है इस प्रस्तावित स्थल का कुल क्षेत्रफल 200010 वर्गफिट (354' × 565') है। इस भूखण्ड के उत्तर में 100 फिट चौड़ी सड़क है तदोपरान्त इन्दिरागाँधी प्रतिष्ठान स्थल, पश्चिम मे 60 फुट चौड़ी सड़क एवं बन्धा रोड, पूरब व दक्षिण में नगर निगम की भूमि है। (मानचित्र संलग्न)

लखनऊ नगर की महायोजना के अनुसार प्रश्नगत स्थल पार्क एवं क्रीड़ा स्थल के भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित है। वर्तमान भू-उपयोग के अनुसार इस स्थल पर केवल पार्क एवं क्रीड़ा से सम्बन्धित क्रियाएँ ही विकसित की जा सकती हैं। शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिये इस स्थल के भू-प्रयोग को परिवर्तित कराने की आवश्यकता है। यह संस्था शोध एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित है और भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होगी। इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए इस संस्था की स्थापना उपरोक्त स्थल पर की गई है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पार्क एवं क्रीड़ा स्थल के प्रयोग से शैक्षणिक संस्थान में परिवर्तन किये जाने हेतु विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत

1. [illegible], अध्यक्ष, ल.वि.प्रा.
2. उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.
3. [illegible] लखनऊ
4. [illegible] लखनऊ
5. मुख्य नगर [illegible] निगम [illegible] उ.प्र.
6.
7.

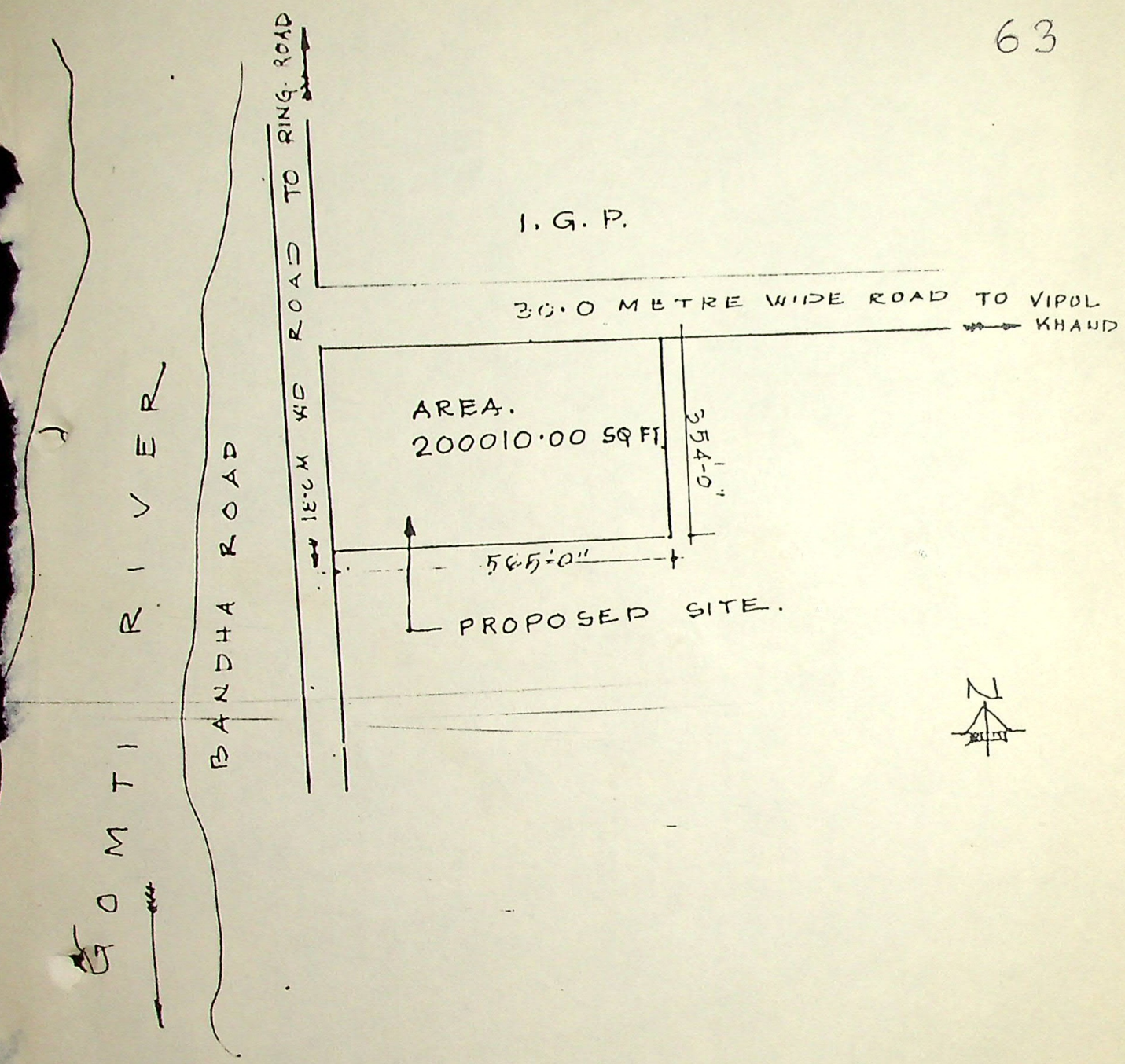

PROPOSED SITE PLAN FOR CHATRAPATI SAHU-JI MAHARAJ SHOD AND PRASHIKSHAN SANSTHAN AT VIPIN KHAND GOMTI-NAGAR. LKO.

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक ~~18 अक्टूबर 95 की~~
9 नवम्बर 95

अनुपूरक

कार्य-सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 18 अक्तूबर, 1995 में
विचारणीय विषयों की अनुपूरक कार्य-सूची

अनु॰ विषय सँख्या	विषय	पृष्ठ सँख्या
1॰	मूल बजट 95-96 पारित होने की प्रत्याशा में किये गये व्यय की औपचारिक स्वीकृति।	1
2॰	मूल बजट 95-96 की स्वीकृति हेतु आख्या	3
3॰	नेहरू इन्क्लेव में निर्मित भवनों/भूखण्डों के सम्बन्ध में।	8
4॰	रीजिस्ट्री से पूर्व पॅजीकरण हस्तान्तरण से सम्बन्धित।	10
5॰	श्री विजयानन्द सिँह, लेफटीनेन्ट को अलीगॅज योजना में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर में भूखण्ड का परिवर्तन से सम्बन्धित।	24
6॰	श्री श्रीष कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश को अलीगॅज योजना में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित।	25
7॰	श्री मोहम्मद असलम को अलीगॅज योजना में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित।	26
8॰	अलीगॅज योजना के अन्तर्गत श्रीमती एवँ श्री आदर्श भाटिया को आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित।	27
9॰	श्रीमती सुधारानी को रायबरेली रोड योजना के अन्तर्गत आवन्टित भवन के स्थान पर सीतापुर रोड योजना में भवन परिवर्तन से सम्बन्धित।	28
10॰	बटलरगॅज योजना के भूखण्ड सँख्या:23 को धारा-48(1) के अन्तर्गत अर्जन से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	29
11॰	खसरा स0: 141, 147,152,155,156,158,159,160 ग्राम आदिल नगर परगना व तहसील जिला लखनऊ कुर्सी रोड के भू-उपयोग को बस ट्रक टरमिनल से आवासीय में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।	41
12॰	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

अनुपूरक विषय :1 पृष्ठ सं० 1

मूल बजट 1995-96 के पारित होने की प्रत्याशा में व्यय करने हेतु औपचारिक स्वीकृति हेतु आख्या :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट 1995-96 तैयार करने के लिए प्राविधिक सूचनाएँ एकत्रित करने में विलम्ब होने के कारण समय से पारित नहीं कराया जा सका है। प्रत्येक वर्ष की भाँति उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त करके वर्तमान बजट वर्ष में अगस्त 95 तक के व्यय की अध्यक्ष महोदय से भी स्वीकृति प्राप्त की गयी है। आवश्यक व्यय सम्पन्न किये गये हैं। इन व्ययों का पूर्ण-रूपेण प्राविधान आय-व्यय - 1995-96 में प्रस्तावित है। प्रमुख व्यय में अधिष्ठान व्यय, संयोगिक व्यय, ऋणों के मूलधन-ब्याज के भुगतान, जनता को रिफन्ड तथा निर्माण-विकास स्टोर के अपरिहार्य व्यय सामान्यतः सम्मिलित हैं।

प्राधिकरण कृपया पूर्व वर्षों की भाँति औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्य लेखाधिकारी

सचिव

विवेचन व आदेश

अभियन्त्रण विभाग से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण प्राधिकरण का संशोधित वर्ष 1995-96 अभी तक बनाया नहीं जा सका है। अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपाध्यक्ष महोदय के पत्रांक 99/सी०ए०ओ० दिनांक 28.7.95 द्वारा मुख्य अभियन्ता, को लिखा गया है, पूर्ण सूचना की प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। मुख्य अभियन्ता से 10, अगस्त 1995 तक सूचना न प्राप्त होने की स्थिति में लेखानुभाग में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही वर्ष 1995-96 के बजट को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

फिलहाल अभियन्त्रण विभाग से सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में लेखाविभाग में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनन्तिम (Tentative) आय-व्यय वर्ष 1995-96 अवलोकनार्थ पताका"ख" पर प्रस्तुत है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण की आगामी बैठक की तिथि निर्धारित किये जाने हेतु सम्बन्धित पत्रावली पर सचिव कैम्प से अलग से कार्यवाही की जायेगी।

फिलहाल 31, जुलाई 1995 तक विभिन्न मदों पर हुए वास्तविक व्यय रू० 2,743.83 लाख (रू० सत्ताईस करोड़ तैंतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) तथा अगस्त, 95 में सम्भावित व्यय रू० 442.00लाख (रूपये चार करोड़ बयालिस लाख मात्र) कुल रू० 3,185.83 लाख (रूपये इकतीस करोड़ पच्यासी लाख तिरासी - हजार मात्र) (कृपया पताका"क"देखें) की स्वीकृति अध्यक्ष, महोदय से प्राप्त कर लिया जाना नितान्त आवश्यक एवं उचित है।

कृपया आदेशार्थ प्रस्तुत है।

फाइल संख्या

कृष्णा लाल त्रिपाठी
मुख्य लेखाधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अनुमोदनार्थ

(डा० एम०ए०ए० खान)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अतुल कुमार गुप्ता
आयुक्त
लखनऊ मण्डल

अनुपरक : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष मूल बजट 1995-96 के स्वीकृति हेतु आख्या :

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल बजट 1995-96 कुछ प्राविधिक सूचनाओं के एकत्रित करने में देर होने के कारण तथा आय पक्ष को वास्तविकता पर आधारित करने के प्रयास के कारण विलम्ब हो गया है । परन्तु बजट योजनाबद्ध, वास्तविकता तथा वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ रखने के आधार पर तैयार किया गया है , तथा स्वीकृतार्थ प्रेषित है ।

मूल बजट 1995-96 में राजस्व लेखें को स्व-आधारित तैयार किया गया है अर्थात राजस्व व्यय को राजस्व लेखें के आय की सीमा तक सीमित रखा गया है , ताकि पूंजीगत व्यय प्रभावित न हो । राजस्व लेखें की आय पक्ष की प्रमुख मदों में किरायों की वसूली किराया क्रय किस्तों की वसूली इत्यादि सम्मिलित है । वर्ष 1994-95 में निर्धारित लक्ष्य रू० 1933.00 लाख के विरूद्ध वास्तविक आय रू० 2283.96 लाख हुई थी । वर्ष 1995-96 में रू० 1873.00 लाख प्रस्तावित की गयी है, कमी का प्रमुख कारण भवन/भूखण्डों हेतु नये रजिस्ट्रेशन कम होना है ।

व्यय पक्ष में अधिष्ठान, प्रकीर्ण व्यय, विभिन्न स्थलों का रख-रखाव, कर्मचारियों को अग्रिम, जनता द्वारा जमा की गयी धनराशि की वापसी प्रमुख मदें हैं । वर्ष 1994-95 लाख में निर्धारित व्यय लक्ष्य रू० 1941.00 लाख के विरूद्ध वास्तविक व्यय रू० 1916.73 लाख था । वर्ष 1995-96 में यह प्राविधान रू० 2213.83 लाख रखा गया है , व्यय की बढ़ोत्तरी का प्रमुख कारण रजिस्ट्रेशन की धनराशि की वापसी है । जिन व्यक्तियों ने वर्ष 1994-95 तक रजिस्ट्रेशन कराये थे और उनको आवंटन नही हुआ है, उनकी धनराशि वापस मांगे जाने पर, अधिक ब्याज से बचने के लिए रिफण्ड किया जाना औचित्यपूर्ण है ।

पूंजीगत आय-व्यय

पूंजीगत आय एवं व्यय प्राधिकरण बजट का प्रमुख अंग है, तथा प्राधिकरण के निर्धारित कार्य-कलापों की पूर्ति का प्रमुख साधन है ।

पूंजीगत आय - व्यय की स्थिति बजट में निम्नवत् रखी गयी है :-

(लाख रूपये में)

आय मदें	1994-95 के लक्ष्य	1994-95 का वास्तविक	1995-96 के प्रस्ताव
अपने श्रोतों से आय	3720.00	4480.88	5050.00
शासन से ऋण	350.00	-	150.00
संस्थागत ऋण	2900.00	2528.54	2100.00

आय मदें	1994-95 का लक्ष्य	1994-95 का वास्तविक	1995-96 के प्रस्ताव
शासकीय अनुदान	200.00	106.00	250.00
अन्य (अपने श्रोत)	300.00	922.87	1002.00
योग	**7470.00**	**8038.29**	**8552.00**

उक्त तालिका से विदित है कि बजट का आय पक्ष वास्तविकता पर आधारित है, तथा ऋण प्राप्त करने पर भी नियंत्रण रखा गया है । बजट वर्ष में रू० 1767.00 लाख का मूलधन प्रतिदान किया जायेगा, तथा रू० 2100.00 लाख मात्र लेने का प्रस्ताव है । श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान तथा डा० भीमराव अम्बेदकर पार्क हेतु अनुदान प्राप्त होगा । सम्पत्ति की बिक्री से आय का अनुमान, बकायों की वसूली एवं विपुल, विराट, विराम, खण्डों इत्यादि की चालू वर्ष में देय किस्तों की सम्भावित वसूली पर आधारित है :-

पूंजी खाते की व्यय पक्ष की स्थिति निम्नवत् है :-

(लाख रूपये में)

व्यय मद	1994-95 के लक्ष्य	1994-95 का वास्तविक	1995-96 के प्रस्ताव
भूमि का प्रतिकर	600.00	210.58	700.00
विकास/अन्य/विकास/ विश्व बैंक/श्रीमती इ० गांधी प्रतिष्ठान	2095.00	1447.87	2149.45
निर्माण कार्य/विश्व बैंक /श्रीमती इं० गांधी प्रतिष्ठान	2360.00	2735.95	1955.00
ऋणें का प्रतिदान	2755.20	3030.60	3355.00
अन्य व्यय	404.50	1393.30	399.01
योग	**8214.70**	**8818.30**	**8558.46**

उपरांकित से विदित है कि बजट वर्ष में आवास नीति को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षो के अभुगतानित दायित्वों तथा चालू वर्ष में होने वाले निर्माण कार्यों के व्यय सम्मिलित करके प्राविधान तैयार किये गये हैं । पुंजी खाते की आय का 56% उत्पादक मदों पर व्यय किया जाना सम्भावित है । ~~मूल~~ बजट का वित्तीय सारांश संलग्न है । बजट की विस्तृत पुस्तिका अलग से प्रस्तुत है ।

प्राधिकरण से अनुरोध है कि मूल बजट वर्ष 1995-96 पारित करने का कष्ट करें । साथ ही यह भी अनुरोध है, कि वर्ष 1994-95 में अपरिहार्य कारणों से प्राविधानों से अधिक किये गये व्यय का भी अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें ।

मुख्य लेखाधिकारी

सचिव

वर्ष 1994-95 के वस्तविक तथा मूल बजट प्रस्तावना 1995-96 का विवरण

क्रमांक	आय की मदें	पुनरीक्षित बजट 1994-95	वास्तविक 1994-95	मूल बजट 1995-96	क्रमांक	व्यय की मदें	पुनरीक्षित बजट 1994-95	वास्तविक बजट 1994-9	मूल बजट प्रस्ताव 1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10
1.	लीज रेन्ट	120.00	102.00	240.00	1.	अधिष्ठान	832.40	703.85	813.48
2.	हायर परचेज	600.00	674.19	700.00	2.	मशीनरी, हल्के वाहनों का क्रय (राजस्व) एवं रख-रखाव	75.00	92.93	100.00
3.	भवनों/दुकानों, अतिथि गृह एवं सा० केन्द्रों का किराया	35.00	44.52	50.00	3.	भवनों आदि के रख- रखाव पर व्यय	110.00	157.40	170.00
4.	विभिन्न श्रोतों से (राजस्व)	138.00	220.22	270.00	4.	कर्मचारियों/अधिकारियों को अग्रिम	25.00	34.18	70.00
5.	भवन विभाग से आय	40.00	41.28	58.00	5.	जमा धन की वापसी	625.00	518.73	785.00
6.	रजिस्ट्रेशन से आय	975.00	1160.05	480.00	6.	अन्य अनावर्तक व्य	-	-	-
7.	अन्य विविध प्राप्तियां	25.00	41.70	75.00	7.	अन्य प्रकीर्ण तथा बैंक, हुडकों, चार्जेज (पूंजी लेखा)	274.00	409.64	275.35
8.	भूखण्डों की बिक्री	250.00	564.47	1000.00	8.	भूमि अर्जन	600.00	210.58	700.00
9.	भवनों की बिक्री	3220.00	3532.75	3550.00	9.	मशीनरी संयंत्रों का व्यय	38.00	3.44	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	व्यवसायिक केन्द्रों से आय	250.00	383.66	500.00	10.	विकास कार्य			
11.	शासन से ऋण	350.00	-	150.00	क.	योजनाओं में	2095.50	1447.87	1600.00
					ख.	अन्य विकास	-	-	193-00
12.	हुडकों ऋण	2000.00	1311.89	1800.00	ग.	विश्व बैंक /श्रीमती इन्दिरा गांधी	-	-	[illegible]-46
13.	बैकों से ऋण	700.00	701.65	300.00	11.	निर्माण कार्य			
					क.	योजनाओं में	2240.00	2673.10	1400.00
					ख.	अन्य निर्माण	-	-	145.00
					ग.	विश्व बैंक/ इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान	-	-	210.00
14.	वित्तीय संस्थाओं से	200.00	515.00	-	12.	व्यवसायिक/सा०केन्द्र	120.00	62.85	200.00
15.	अन्य	-	-	-	13.	डिपाजिट कार्य	30.00	17.64	20.00
16.	राजकीय अनुदान	200.00	106.00	250.00	14.	स्टोर क्रय	250.00	367.82	200.00
17.	डिपाजिट से आय	30.00	15.87	20.00	15.	ऋणों का भुगतान	2755.20	3030.60	3355.00
18.	अन्य आय	270.00	907.00	982.00	16.	जमाधन की वापसी	11.00	4.75	10.00
					17.	अन्य व्यय	75.00	999.65	158.00
	योग	**9403.00**	**10322.25**	**10425.00**		**योग**	**10156.10**	**10735.03**	**10772.29**
	प्रारम्भिक अवशेष	**990.08**	**990.08**	**577.30**		**अन्तिम अवशेष**	**236.98**	**577.30**	**230.01**
	महायोग	**10393.08**	**11312.33**	**11002.30**		**महायोग**	**10393.08**	**11312.33**	**11002.30**

सहायक लेखाधिकारी लेखाधिकारी मुख्य लेखाधिकारी सचिव

विकास सं: 1 पृष्ठ- 57 पर प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के स्थान पर स्पष्ट प्रस्ताव

विषय:

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इन्क्लेव में निर्मित भवनों/भूखण्डों से सम्बन्धित ।

प्रस्तावना:

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इन्क्लेव में 804 विभिन्न प्रकार के बहुमंजिले भवनों का निर्माण किया गया है। उपरोक्त भवनों का आवंटन स्व: वित्त पोषित तथा किराया क्रय पद्धति पर किया गया था ।

वर्ष 1994 में सेना द्वारा नेहरू इन्क्लेव के पास वाली भूमि पर कब्जा कर लिया गया, उनका कथन है कि आस-पास की समस्त भूमि सेना की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया है, इसके अतिरिक्त शासन ने जिलाधिकारी, लखनऊ से मौके की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट मांगी है।

सेना द्वारा कब्जा किये जाने के कारण विकास कार्य पूर्ण नही हो पाये है। जिन आवंटियों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों का कब्जा दिया गया है उन्हें भी सामान नही ले जाने देते है, और न ही भवनों में कोई कार्य आवंटियों को करने देते है। इस प्रकार एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

(1) उपरोक्त योजना में भूखण्डों का आवंटन भी किया गया है/ जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि सेना द्वारा भूमि पर कब्जा किये जाने के कारण विकास कार्य नही हो पा रहे है फलस्वरूप आवंटी अपनी धनराशि वापस माँग रहे है। अत: ऐसी परिस्थिति में बिना कटौती के धनराशि वापस कर दी जाय, क्योंकि आवंटन के पश्चात पंजीकरण धनराशि का 20% कटौती करनें का प्राविधान है।

(2) उपरोक्त योजना में 244 भवन किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये गये है। इनमें से 132 व्यक्तियों ने अनुबन्ध कराया है। स्थल पर मात्र 57 लोग ही कब्जा प्राप्त कर सके है। चूँकि जिन लोगो ने कब्जा प्राप्त किया है वे लोग भी भवनों में कुछ कार्य नहीं करा पा रहे हैं। अत: किराया क्रय पध्दति पर आवन्टित भवनों के आवन्टियों से किश्ते तभी ली जायें जबकि सेना के जवान स्थान से हट जायें, क्योंकि इस सम्बन्धा में आवन्टियों के किश्त न लिये जाने हेतु प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

क्रमश:----

(3) वर्ष 1994 में जब सेना द्वारा पास वाली भूमि पर कब्जा किया गया था उसी समय सभी प्रकार के भवनों का बिक्रय मूल्य फ्रीज कर दिया जाये, क्योंकि यदि इस अवधि का ब्याज लगाया जाता है तो एक ओर तो बिक्रय मूल्य काफी अधिक बढ़ जायेगा और दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण भवनों का भौतिक कब्जा नहीं दे सकेगा ।

CAFT

अनुपूरक
विषय संख्याः 4

विषयः रजिस्ट्री से पूर्व पॅजीकरण, हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

आख्याः आवासीय भवनो/भूखण्डों के पॅजीकरण/आवन्टन की प्रक्रिया प्राधिकरण व्दारा अपनी बैठक दिनॉक 29·6·93 में अनुमोदित की गई थी। इस प्रक्रिया की क्रम संख्याः 13·8 में यह प्राविधान है कि यदि रजिस्ट्री से पूर्व कोई आवन्टी अपना पॅजीकरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित करना चाहता है तो उस आवन्टी को सम्पत्ति के विज्ञापित मूल्य का 10 प्रतिशत पॅजीकरण हस्तान्तरण शुल्क अग्रिम में जमा करना होगा तभी हस्तान्तरण की अनुमति दी जायेगी।संलग्नक-1।

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनॉक 29·12·94 में यह निर्णय लिया कि 10 प्रतिशत धनराशि जमा करा कर रजिस्ट्री से पूर्व जो आवन्टन के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है, उसे तत्काल रोक दिया जाये तथा प्रस्ताव का गहन परीक्षण कराया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कोई आवन्टी अपनी सम्पत्ति को परिवर्तित कराना चाहता है तो उसे आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड एवॅ भवन के स्थान पर भवन ही परिवर्तित किये जायें। भवन से भूखण्ड अथवा भूखण्ड से भवन न परिवर्तित किया जाये।।संलग्नक-2।

पॅजीकरण हस्तान्तरण पर उस समय यह रोक लगाई गई थी जब गोमती नगर योजना फेज-2 के आवन्टियों से भूमि हस्तान्तरित करा कर आवन्टी उसे विपुल खण्ड में परिवर्तित करा रहे थे, इसमें फेज-2 की भूमि कम दरों पर प्राप्त कर उसे विपुल खण्ड में परिवर्तन कराने के कारण प्राधिकरण को वित्तीय क्षति हो रही थी, जिसे दृष्टिगत रखते हुए उक्त रोक लगाई गई थी।

उक्त प्रतिबन्ध से जहॉ एक ओर कुछ लाभ हुआ वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण को इस प्रकार के हस्तान्तरण से होने वाली लगभग प्रतिवर्ष की हानि हुई। इसके अतिरिक्त फेज-2 तथा अन्य ऐसी योजनाओं में जहॉ पर किसानों के अवरोध अथवा अन्य कारणों से भूमि का विकास न हो पाने के कारण लीजप्लान तैयार नहीं किये जा सके एवॅ इस कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी, ऐसे प्रकरणों में आवन्टी के लिये अपना भवन/भूखण्ड बिक्रय कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

फेज-2 में लगभग 8-9 वर्ष पूर्व भूखण्डों का आवन्टन किया गया था परन्तु प्राधिकरण उन्हे अनेक कारणों से अभी तक कब्जा नहीं दे सका है। इस अन्तराल में अनेक आवन्टियों ने अपने लिये भवन/भूखण्डों की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है परन्तु भूखण्ड/भवन की रजिस्ट्री न हो पाने के कारण उनके व्दारा आवन्टित भवन/भूखण्ड का निस्तारण नहीं किया जा पा रहा है। इस प्रकार जहॉ एक ओर प्राधिकरण आवन्टियों को 8-9 वर्ष तक कब्जा प्रदान नहीं कर पा रहा है वहीं ऐसे आवन्टियों को अपनी सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने की भी सुविधा प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर विचारोपरान्त प्राधिकरण तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित किया जा रहा है कि:-

।1। 3 जनवरी,1995 के पूर्व में विद्यमान पॅजीकरण हस्तान्तरण की प्रक्रिया को इस शर्त पर पुनः लागू कर दिया जाये कि उक्त प्रक्रिया के अर्न्तगत आवन्टी हस्तान्तरण के फलस्वरूप जो भवन/भूखण्ड प्राप्त करेगा उसे पुनः किसी अन्य खण्ड/सेक्टर में अपना भवन/भूखण्ड परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि उक्त नये आवन्टी व्दारा भवन/भूखण्ड की वर्तमान स्थिति को देख कर, समझ-बूझ कर मूल्य का भुगतान कर उक्त भवन/भूखण्ड प्राप्त किया है।

।2। आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड एवॅ भवन के स्थान पर भवन ही परिवर्तित किये जायें। भवन से भूखण्ड एवॅ भूखण्ड से भवन न परिवर्तित किये जायें।

।3। किराया क्रय पध्दति पर आवन्टित भवनों के सम्बन्ध में यदि किसी आवन्टी व्दारा हस्तान्तरण कराया जाता है तो नये आवन्टी के पक्ष में अनुबन्ध करने से पूर्व देय अवशेष धनराशि ले ली जाय।

५।x

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 1994

कार्यवृत्त

उपस्थित

1.	श्री प्रीतम सिंह	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2.	श्री विनय शर्मा	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
3.	श्री अमित कुमार गुप्त	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4.	श्री राजीव सेन	जिलाधिकारी, लखनऊ।
5.	श्री पी0 के0 झा	विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, आवास विभाग।
6.	श्री बी0के0सिंह यादव	मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम।
7.	श्री यू0सी0दास	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
8.	श्री पी0के0पाण्डे	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9.	श्री एस0के0वर्मा	मुख्य अभियन्ता,आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।

अन्य उपस्थित:

श्री एम0एम0खान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय को बधाई दी गई तथा अन्य उपस्थित सदस्यों का परिचय अध्यक्ष महोदय से कराया गया।

विषय संख्या 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 1994 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय: दिनांक 18 जुलाई, 1994 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 1994 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : (1) दिनांक 21 जनवरी, 94 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि नैपियर रोड कालोनी में डा0 अतुल सक्सेना को आवंटित भूखण्ड पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को शीघ्र हटाये जाने की कार्यवाही की जावे।

(2) अर्बिंग योजना में ढाई-टेवान तारन से आवंटित भूखण्डों को अन्यत्र समायोजित करने हेतु शीघ्र से-आउट तैयार कराया जावे।

13। दिनांक 15 अप्रैल, 1993 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि [illegible] क्षेत्र के पीछे की योजना की फीजिबिलिटी विलम्बत दो माह अन्दर निकाल ली जाये एवं विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये।

अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय सँख्याः 3 — आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव।

निर्णयः — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 10 प्रतिशत धनराशि जमा करा कर रजिस्ट्री से पूर्व जो आवेदन के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है, इसे तत्काल रोक दिया जाये तथा प्रस्ताव का गहन परीक्षण कराया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कोई आवन्टी अपनी सम्पत्ति को परिवर्तित कराना चाहता है तो उसे आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड एवं भवन के स्थान पर भवन ही परिवर्तित किये जाये। भवन से भूखण्ड अथवा भूखण्ड से भवन न परिवर्तित किया जाये।

विषय सँख्याः 4 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय/व्यवसायिक निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अनोर्कप्रय सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि छः माह के बाद प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया जाये।

विषय सँख्याः 5 — हिन्दुस्तान टाइम के भूखण्ड सँख्याः बी/1-25, अशोक मार्ग पर प्रिन्टिंग प्रेस एवं कार्यालय भवन हेतु साइड सेट बैक में छूट दिये जाने सम्बन्धी परिचालित प्रस्ताव।

निर्णय : — परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय सँख्याः 6 — इन्स्टीट्यूट आफ़ यूनानी मेडिसिन्स को अलीगँज योजना के सेक्टर "जो" में ग्रीन-बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि वृक्षारोपण हेतु आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव को निरस्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस सुते क्षेत्र का उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्रयोग में नहीं किया जायेगा।

विषय: आवासीय/व्यवसायिक संपत्ति से सम्बन्धित।

आख्या: प्राधिकरण(बोर्ड) की बैठक दि029.6.93में विषय सं0-3के अंतर्गत आवासीय भूखण्डों/भवनों के पंजीकरण/आवंटन की प्रक्रिया तथा परिवर्तन शुल्क का विषय प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड ने विचारोपरांत जो प्रक्रिया अनुमोदित की उसको लागू कर दिया गया । अनुमोदित प्रक्रिया लागू करने पर निम्न बिन्दुओं के संबंध में कठिनाईयां आ रही थी और जनसमुदाय के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे थे। अतः इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर प्रस्ताव बोर्ड की बैठक दि018.7.94में विषय सं0-12 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया:-

1) व्यवसायिक संपत्ति के हस्तांतरण/विक्रय पर लाभांश लिये जाने के संबंध में।

11) परिवर्तन शुल्क के संबंध में।

111) भुगतान पद्धति में परिवर्तन के संबंध में।

2. उपरोक्त क्रम सं0(1) में यह भी उल्लेख था कि व्यवसायिक संपत्ति के हस्तांतरण / विक्रय की दशा में लाभांश लिये जाने अथवा न लिये जाने के संबंध में प्राधिकरण(बोर्ड)निर्णय ले ले। यद्यपि बोर्ड में इस बिन्द पर चर्चा हुई थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण/विक्रय में यदि लाभांश नहीं लिया जाता है तो व्यवसायिक संपत्ति के हस्तांतरण / विक्रय में भी लाभांश न लिया जाय । परंतु कार्यवृत्त में इस बिन्दु का समावेश छूट गया। अतः लिये गये निर्णय को निम्नवत् संशोधित कर दिया जाय:-

" आवासीय/व्यवसायिक संपत्ति से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव के भाग-1 को यथावत् अनुमोदित करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक संपत्ति के हस्तांतरण/विक्रय की दशा में लाभांश न लिया जाय। प्रस्तुत प्रस्ताव के भाग-2 व 3 को भी यथावत् अनुमोदित किया गया"।

विषयः आवासीय/व्यवसायिक संपत्ति से सम्बन्धित,

आख्याः प्राधिकरण{बोर्ड} की बैठक दि029·6·93 में विषय सं03 के अन्तर्गत आवासीय भूखण्डो/भवनो के पंजीकरण/आवंटन की प्रक्रिया तथा परिवर्तन शुल्क का विषय प्रस्तुत किया गया था । बोर्ड ने विचारोपरान्त जो प्रक्रिया अनुमोदित की, उसको लागू कर दिया गया ।

2· अनुमोदित प्रक्रिया लागू करने पर निम्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में अनेको कठिनाईयां आ रही हैं । तथा जनसमुदाय से प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं । प्रस्तावित बिन्दुवार निम्नलिखित है :

{1} व्यवसायिक संपत्ति मे हस्तान्तरण/विक्रय पर लाभांश लिये जाने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण{बोर्ड} द्वारा उपरोक्त बैठक में केवल आवासीय भूखण्डो/भवनो की पंजीकरण/आवंटन की प्रक्रिया अनुमोदित की गई थी । इसमें यह निर्णय लिया गया था कि आवासीय भूखण्डो/भवनो के हस्तान्तरण /विक्रय की दशा में लाभांश न लिया जायें । उपरोक्त प्रक्रिया अनुमोदित होने से पूर्व आवासीय/व्यवसायिक संपत्ति के हस्तान्तरण/विक्रय के समय 40प्रतिशत [illegible] की दशा में 40प्रतिशत लाभांश कर दिया गया, अतः इसी आधार पर व्यवसायिक संपत्ति के आवंटी 40प्रतिशत लाभांश न लिये जाने हेतु प्रत्यावेदन दे रहे हैं ।

आवासीय भूखण्डो/भवनो के सम्बन्ध में उपरोक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यदि रजिस्ट्री से पूर्व कोई आवंटी किसी कारणवश अपनी संपत्ति हस्तान्तरित करता है तो आवंटित संपत्ति का 10प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क देय होगा । इसी आधार पर व्यवसायिक संपत्ति के आवंटी भी संपत्ति के हस्तान्तरण हेतु प्रत्यावेदन देते रहे ।

{11} परिवर्तन शुल्क के सम्बन्ध में,

उपरोक्त बैठक में आवासीय भूखण्डो/भवनो के परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन शुल्क लिये जाने हेतु निर्णय लिया गया था कि "एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन न किया जायें उसी योजना में यदि भूखण्ड से भूखण्ड में, भूखण्डों से भवन में या भवन से भूखण्ड में परिवर्तन होता है तो बाद में परिवर्तित संपत्ति के मूल्य का 15प्रतिशत परिवर्तन

शुल्क देय होगा । इस सम्बन्ध में भी कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं, और जनसमुदाय की माँग है कि परिवर्तन शुल्क का प्रतिशत अधिक है।

(111) भुगतान की पद्धति में परिवर्तन,

उपवेशन बोर्ड की बैठक में उपवेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत यह अनुमोदित किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को मकान भुगतान पर भवन आवंटित होता है और उसे किश्तो में परिवर्तित कराना चाहता है तो ऐसी दशा में देय धनराशि का न्यूनतम 50प्रतिशत जमा करना होगा शेष अधिकतम 50प्रतिशत धनराशि ब्याज सहित किश्तो में देय होगी । इस धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से परिवर्तन शुल्क भी देय होगा । इस प्रकार न्यूनतम 50प्रतिशत धनराशि तथा परिवर्तन शुल्क की धनराशि निर्धारित तिथि तक जमा होने के पश्चात् ही शेष 50प्रतिशत या कम धनराशि उस अवधि में प्रचलित ब्याज दर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज सहित किश्तो में भुगतान करने की अनुमति दी जायेगी । स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटित भवन का परिवर्तन किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा ।

[illegible]

देने पर सहमत तो हो जाते हैं परन्तु परिवर्तन शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि भी किश्तो में लेने हेतु अनुरोध करते रहे हैं,।

3. अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव है :

(1) व्यवसायिक संपत्ति में रजिस्ट्री से पूर्व आवासीय संपत्ति के हस्तान्तरण की अनुमति 10प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लेकर दे दी जायें तथा व्यवसायिक संपत्ति के हस्तान्तरण/विक्रय की दशा में लाभांश लिये जाने अथवा न लिये जाने के सम्बन्धमें आवंटन(बोर्ड) कृपया निर्णय लेने का कष्ट करें ।

(11) चूँकि रजिस्ट्री से पूर्व आवासीय संपत्ति के हस्तान्तरण में हस्तान्तरण शुल्क 10प्रतिशत लिया जाता है। अतः इसी आधार पर आवासीय

क्रमशः...3

संपत्ति के परिवर्तन के फलस्वरूप बाद में परिवर्तित संपत्ति के मूल्य के 15प्रतिशत के स्थान पर 10प्रतिशत परिवर्तन शुल्क लिया जावें । यह परिवर्तन शुल्क एक ही योजना में आवंटित भूखण्ड से भूखण्ड में, भूखण्ड से भवन में, भूखण्ड से भवन में, या भवन से भूखण्ड या भवन से भवन में परिवर्तन करने पर लिया जायें ।

{111} भुगतान की पदोन्नति में परिवर्तन होने की दशा में जो 20प्रतिशत परिवर्तन शुल्क देय होगा, उसे-शेष 50प्रतिशत धनराशि के साथ किश्तो में लिया जायें ।

निर्णय

आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रस्तुत प्रस्ताव के भाग-1, 2 एवं 3 का अनुमोदन किया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 जून,1993 जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ के कार्यालय कक्ष में हुई,

का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1. श्री जी0पी0शुक्ला,
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

2. श्री आर0 के0 सिंह,
आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।

3. श्री अतुल कुमार गुप्ता,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

4. श्री अशोक प्रियदर्शी,
जिलाधिकारी,
लखनऊ,

5. श्री के0 के0 उपाध्याय,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर महापालिका, लखनऊ।

6. श्री शंकर अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग।

7. श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग।

8. श्री हरे कृष्ण शर्मा,
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9. श्री पी0 के0 पाण्डे,
मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जलनिगम, लखनऊ।

अन्य उपस्थितिः

11. श्री आर0 के0 सिंह,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,लखनऊ।

क्रमशः----------

96:18

विषय संख्याः। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 अप्रैल,1993 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्याः2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 अप्रैल,1993 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्याः 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवन्टित भवनों/भूखण्डों के परिवर्तन एवं परिवर्तन शुल्क लिये जाने, भवनों/भूखण्डों के पँजीकरण/आवन्टन की प्रक्रिया/दण्ड ब्याज माफ करने के लिये नीति निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः प्रस्ताव निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकृत किये गयेः-

1. <u>लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवन्टित भवनों/भूखण्डों में परिवर्तन एवं परिवर्तन शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित</u>

(1)(क) के अन्तर्गत प्रस्तावित 25 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क के स्थान पर बाद में परिवर्तित सम्पत्ति का 15 प्रतिशत परिवर्तन शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया। शेष प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया।

2. <u>भवनों/भूखण्डों की आवन्टन प्रक्रिया से सम्बन्धित</u>

समिति की संस्तुति निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित की गईः-

<u>पँजीकरण हेतु विज्ञापन</u>

2(2) प्रस्तावित वित्तम्ब शुल्क 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 20 प्रतिशत अनुमोदित किया गया। यह शुल्क सम्पत्ति के मूल्य मे समायोजित नहीं किया जायेगा बल्कि अतिरिक्त प्रभार होगा।

<u>आय का वर्गीकरण</u>

4(1)(1)(क) के अन्तर्गत बोर्डको व्दारा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के लिये निर्धारित वर्तमान आय सीमा रू0 12,000/- तक मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सम्मिलित कर लिये जायें।

6(2) भवन/भूखण्ड का समस्त मूल्य एवं अन्य देयकों के भुगतान के उपरान्त तथा आवेदन पँजीकरण के समय कब्जे हेतु निर्धारित अवधि के पश्चात यदि आवन्टी कब्जा प्रदान करने की लिखित माँग करता है तो, ऐसी परिस्थितियों को छोड़ कर जो प्राधिकरण के नियन्त्रण के बाहर की हों, प्राधिकरण व्दारा दो माह की अवधि में डीड निष्पादन करा दिया जायेगा एवं निबन्धन की

प्रतितिपि प्राप्त होने के एक माह में कब्जा हस्तगत करा दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर अभिकरण निबन्धन/कब्जा की कार्यवाही पूरी नहीं कर पाते/नहीं करते हैं तो आवन्टी का उसके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त होगा और इसके भुगतान की जिम्मेदारी सम्बन्धित अभिकरण की होगी। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा निबन्धन/कब्जे की कार्यवाही करने हेतु आवन्टी को लिखित नोटिस दिये जाने के उपरान्त यदि आवन्टी निबन्धन/कब्जे हेतु कार्यवाही नहीं करता है तो अन्य विकल्पों के अतिरिक्त प्राधिकरण 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से रखरखाव शुल्क वसूलेगा।

पँजीकृत व्यक्तियों में लाटरी द्वारा चयन सूची तैयार करना

9।2। क्रम सं0:"घ" में श्रेणीवार विज्ञापित भूखण्डों/भवनों की संख्या मे से ही 15 प्रतिशत संख्या में अवेदकों की सूची मे से लाटरी द्वारा आवेदक चयनित किये जायेगें। शेष यथावत्।

विक्रय

15. समस्त धनराशि जमा होने तथा लीज़ डीड के निष्पादन के पश्चात् यदि क्रेता द्वारा आवन्टित सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो कोई तामीश देय नहीं होगा। परन्तु विक्रय से पूर्व क्रेता को लखनऊ विकास प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। शेष यथावत्।

3. दण्ड ब्याज माफ़ करने के लिये नीति निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित।

क्रम सं0: 1 एवं 2 यथावत् अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में गुण-अवगुण के आधार पर उपाध्यक्ष को, देय दण्ड ब्याज/ अतिरिक्त ब्याज की धनराशि अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक माफ़ करने का अधिकार होगा परन्तु ऐसे सभी प्रकरणों में आवेदन करते समय कुल ब्याज का 50 प्रतिशत जमा करना होगा। उसके उपरान्त ही माफ़ करने के प्रश्न पर उपाध्यक्ष विचार करेगें।

क्रमशः-------

1	2	3
	वाले आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को अपनी ही आय सीमा के आवासीय भूखण्डों/भवनों के सम्बन्ध में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी ।	
	(3) आरक्षण कोटे के लिये आवेदकों की कमी से शेष रहे आवासीय भूखण्ड/भवन सामान्य श्रेणी के चयनित/प्रतीक्षागत आवेदकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाटरी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।	(3) यथावत्
14- पंजीकरण में परिवर्तन	(1) आवासीय भूखण्ड से आवासीय भवन हेतु पंजीकरण का हस्तान्तरण अनुमन्य होगा किन्तु चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची लाटरी द्वारा बनाये जाने के उपरान्त हस्तान्तरण के इच्छुक व्यक्ति का प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जायेगा। यह हस्तान्तरण आवासीय भूखण्ड के विज्ञापित मूल्य का 10 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क जमा करने पर ही स्वीकृत किया जायेगा ।	(1व2) एक योजना से दूसरी योजना में पंजीकरण का स्थानान्तरण नहीं अनुमन्य होगा परन्तु एक ही योजना में एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में पंजीकरण का स्थानान्तरण निम्नानुसार ही अनुमन्य होगा :-
	(2) आवासीय भवन से आवासीय भूखण्ड के लिये पंजीकरण का हस्तान्तरण किया जा सकेगा लेकिन यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी जब भूखण्डों की उपलब्धता होगी। इस हेतु आवंटी को 10 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा ।	(क) यदि पंजीकृत प्रोजेक्ट में चयन सूची/प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी गई है तो केवल ऐसे प्रोजेक्ट में स्थानान्तरण हो सकेगा जिसमें चयन सूची/प्रतीक्षा सूची न बनाई गई हो ।

1	2	3
	§2§ आवासीय भवन से आवासीय भूखण्ड के लिये पंजीकरण का हस्तान्तरण किया जा सकेगा लेकिन यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी जब भूखण्डों की उपलब्धता होगा। इस हेतु आवंटी को 10 प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क प्राधिकरकण कोष में जमा करना होगा ।	§ख§ यदि पंजीकृत प्रोजेक्ट में चयन सूची/प्रतीक्षा सूची बनाई जा चुकी है तो केवल चयन सूची/प्रतीक्षा सूची में आने पर ही स्थानान्तरण हो सकेगा। ऐसी स्थिति में भी स्थानान्तरित प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा सूची §यदि बन चुकी हो§ में सबसे नीचे रखा जायेगा। यदि स्थानान्तरित प्रोजेक्ट में चयन/प्रतीक्षा सूची बनी हो तो अन्य पंजीकृत व्यक्तियों के साथ चयन/प्रतीक्षा सूची की लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
		§ग§ एक बार स्थानान्तरण हो जाने पर उसे रद्द नहीं किया जायेगा ।
		§घ§ **स्थानान्तरण शुल्क :** मूल पंजीकृत योजना में सम्पत्ति के विज्ञापित मूल्य का 10 प्रतिशत स्थानान्तरण शुल्क देय होगा ।
	§3§ दो या अधिक मंजिले के आवासीय भवन/फ्लेट से पंजीकरण का हस्तान्तरण एक मंजिले आवासीय भवन हेतु नहीं किया जायेगा ।	§3§ डुप्लेक्ट्स, दो या अधिक मंजिल के आवासीय भवन/फ्लेट से पंजीकरण का हस्तान्तरण एक मंजिले आवासीय भवन हेतु नहीं किया जा सकेगा।

1	2	3
	§4§ एक योजना से 'दूसरी योजना में पंजीकरण हस्तान्तरण निर्देश- 10§1§ में दी गई व्यवस्था के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा ।	§4§ एक योजना से दूसरी योजना में पंजीकरण हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा ।
	§5§ एक आरक्षण वर्ग से दूसरे आरक्षण वर्ग के पंजीकरण का हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा ।	§5§ यथावत्
	§6§ पंजीकृत व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर बिना हस्तान्तरण शुल्क दिये मृत व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी, जो सभी औपचारिकतायें पूर्ण करता हो, के नाम पंजीकरण हस्तान्तरण किया जा सकेगा ।	§6§ यथावत्
	§7§ पंजीकृत व्यक्तियों को रजिस्ट्री से पूर्व अपना पंजीकरण के हस्तान्तरण का अधिकार न होगा केवल पंजीकत व्यक्तियो की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के सून के रिश्ते में भाई, बहन, माता, पिता, पुत्र व पुत्री को यह हस्तान्तरण निशुल्क किया जा सकता है ।	§7§ पंजीकृत व्यक्ति को रजिस्ट्री से पूर्व अपना पंजीकरण का निःशुल्क हस्तान्तरण अपनी पत्नी/पति के लिये अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त पुत्र एवं पुत्री के लिये प्राधिकरण के अधिकारी जो कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के हों, द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने पर भी निःशुल्क पंजीकरण परिवर्तन अनुमन्य होगा। अन्य किसी के पक्ष में पंजीकरण का हस्तानान्तरण निःशुल्क अनुमन्य न होगा ।

1	2	3
		§8§ यदि रजिस्ट्री से पूर्व कोई आवंटी अपना पंजीकरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित करना चाहता है तो उस आवंटी को संपत्ति के विज्ञापित मूल्य का 10 प्रतिशत पंजीकरण हस्तान्तरण शुल्क अग्रिम में जमा करना होगा तभी हस्तान्तरण की अनुमति दी जायेगी ।
		§9§ परन्तु ऐसे पंजीकरण हस्तान्तरण के लिये आवश्यक है कि जिसके नाम हस्तान्तरण प्रस्तावित है, वह ल0वि0प्रा0 की सम्पत्ति के आवंटन के लिये पात्र हो ।
15- विक्रय	15- आवंटी द्वारा भवन/भूखण्ड की समस्त धनराशि की अदायगी कर दिये जने और उसके पक्ष में विधिवत् रजिस्ट्री हो जाने पर उसे ऐसे भवन/भूखण्ड किसी के पक्ष में बेचने/हस्तान्तरण करने की स्वतत्रता होगी उसके लिये किसी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।	15- आवंटी को प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति का बटवारा करने का अधिकार न होगा और न ही वह प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना उसका विक्रय/ हस्तान्तरण कर सकेगा। यदि रजिस्ट्री की तिथि अथवा कब्जे की तिथि जो भी पहले हो, से पांच वर्ष के अन्दर विक्रय किया जाता है तो अनुमति दिये जाने के समय प्राधिकरण द्वारा

अनुपूरक
विषय संख्या : 5

पृष्ठ सं० 24

विषय श्री विजयानन्द सिंह लेफ्टीनेट भारतीय नौसेना को अलीगंज योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखंण्ड संख्या सी0-42 सेक्टर ए0 के स्थान पर गोमती नगर योजना मे भूखण्ड परिवर्तन के सम्बन्ध मे ।

लेफ्टीनेट विजयानन्द सिंह के प्रार्थनापत्र दिनॉक 1.5.95 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अलीगंज योजना के सेक्टर ए0 मे आवंटेत भूखंण्ड स0 सी0-42 के स्थान पर गोमतीनगर योजना के विपुल खण्ड म भूखंण्ड उपलब्ध कराया जाये ।

प्रार्थी का अलीगंज योजना के अन्तंगत भूखण्ड सं0 सी0-42 आवंटित हे परन्तु उक्त भूखण्ड पर भूस्वामी श्रीमती त्रिवेदी का कब्जा था तथा बाउन्ड्री वाल बनी थी तथा इस भूखण्ड के आस पास का भाग भी उनके कब्जे मे था । तदुपरान्त ल0 वि0 प्रा0 की बैठक दिनॉक 29.06.93 के अनुपूरक विषय सं०3 पर प्राधेकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल की भूमे पर प्रस्तावित भूखण्डा को श्रीमती त्रिवेदी के पक्ष में छोड दिया जाये तथा उक्त भूखण्डो के अवटियो को अन्यत्र भूखण्ड उपलब्ध करा दिये जाये । (फोटो प्रति संलग्न)

इस प्रकार प्राधिकरण स्तर पर यह निर्णय लिया जा चुका हे कि इस भूमे के आवान्टियो को अन्यत्र समायोजित किया जाये परन्तु अलीगंज योजना के अन्तंगत कोई ऐसा स्थल उपलब्ध नही हे जहॉ इन आवान्टियो को समायोजित किया जा सके । अलीगज योजना के अतिरेक्त किसी अन्य योजना मे आवंटित भूखण्ड के स्थान पर भूखण्ड का परिवर्तन ला0 वि0 प्रा0 बोर्ड की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जा सकता है ।

अत प्रार्थी द्वारा की गई प्रार्थना के दृष्टिगत अलीगंज योजना मे आवंटित भूखण्ड के स्थान पर उतने ही क्षेत्रफल का भूखण्ड गोमती नगर योजना के अन्तंगत परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हे ।

अनुपूरक
विषय सं0: 6

पृष्ठ सं0: 25

विषय : श्री श्रीश कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश कानपुर देहात को आवन्टित अलीगंज योजना में भूखण्ड संख्या: बी-59, सेक्टर ई को गोमती-नगर योजना में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

=x=x=x=x=x=

प्रस्ताव :

श्री श्रीश कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश कानपुर देहात को अलीगंज योजना के सेक्टर - ई में भूखण्ड संख्या: बी-59, सेक्टर "ई" आवन्टित है। प्रश्नगत स्थल फिरोजगांधी हाउसिंग सोसाइटी से विवादग्रस्त होने के कारण आवन्टित भूखण्ड की रजिस्ट्री व कब्ज़ा आदि दिये जाने की कार्यवाही काफ़ी समय से लम्बित है एवं निकट भविष्य में इस समस्या का समाधान प्राप्त होने की सम्भावनायें भी नगण्य है।

श्री श्रीवास्तव द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि यदि उक्त भूखण्ड उन्हे नहीं मिल सकता है तो उसके स्थान पर गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में भूखण्ड आवन्टित कर दिया जाये।

चूंकि प्राधिकरण द्वारा विवाद के कारण आवेदक /आवन्टी को कब्ज़ा नहीं दिया जा पा रहा है, अत: ऐसी स्थिति में प्राधिकरण की अनुमति के उपरान्त ही दूसरी योजना में भूखण्ड परिवर्तित किया जा सकता है।

अत: श्री श्रीश कुमार श्रीवास्तव को आवन्टित भूखण्ड सं0: बी-59, सेक्टर ई, अलीगंज को गोमती-नगर योजना में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनु०विषय सं०: 7

पृष्ठ सं०: 26

विषय:-

श्री मोहम्मद असलम को आवंटित अलीगंज योजना में भूखण्ड संख्या बी सी-55/ई को विपुल खण्ड, गोमती नगर योजना में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव:-

श्री मोहम्मद असलम को अलीगंज योजना के सेक्टर-ई में भूखंड संख्या सी-55/ई आवंटित है। आवंटी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त भूखण्ड फिरोज गाँधी हाऊसिंग सोसाइटी से विवादग्रस्त होने के कारण रजिस्ट्री व कब्जा नही हो पा रहा है, जिसके कारण यह अपना भूखंड गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में परिवर्तन कराना चाहते है। नियमानुसार एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण बोर्ड में सम्पत्ति को एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन करनें का अधिकार निहित है।

अतः श्री मोहम्मद असलम को आवंटित भूखंड संख्या सी-55/ई अलीगंज योजना को गोमती नगर योजना में परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

अनुपूरक
विक्रय संख्या: 8

पृष्ठ संख्या: 27

विषय : अलीगँज योजना के अन्तर्गत श्रीमती एवं श्री/भाटिया को आवन्टित भूखण्ड संख्या: सी- 10 ए/बी सेक्टर बी के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

श्रीमती एवं श्री/भाटिया को अलीगँज योजना के अन्तर्गत सेक्टर बी में भूखण्ड संख्या: 10-ए/बी वर्ष 1988 में आवन्टित किया गया था । भूखण्ड आवन्टन के पश्चात इस भूखण्ड के निमित्त सम्पूर्ण धनराशि इनके द्वारा जमा करने के उपरान्त भूखण्ड की रजिस्ट्री भी करा ली गई, तदुपरान्त स्थल पर कब्जा प्राप्त करते समय इन्हे ज्ञात हुआ कि भूखण्ड विवादग्रस्त है एवं कुछ लोगों द्वारा उसपर अनधिकृत निर्माण भी कर लिया गया है । तथा ही न्यायालय से स्थगनादेश भी प्राप्त है ।

स्थगनादेश होने के कारण प्राधिकरण श्री भाटिया को कब्जा नहीं दिला पाया और श्री भाटिया इस भूखण्ड के स्थान पर कोई उपयुक्त भूखण्ड दिये जाने की निरन्तर माँग कर रहे हैं । चूकिं अलीगँज योजना के अन्तर्गत कोई वैकल्पिक भूखण्ड श्री भाटिया को उपलब्ध कराया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है और एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड परिवर्तित तभी किया जा सकता है जब प्राधिकरण से इसकी पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाये ।

अत: प्रार्थी द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए कृपया श्री भाटिया को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है ।

अनुपूरक विषय सं०:9 पृष्ठ:28

विषय:- श्रीमती सुधारानी को रायबरेली रोड योजना के अन्तर्गत आवंटित भवन संख्या- 5/157 रजनी खण्ड को सीतापुर रोड योजना स्थिति सेक्टर-एच भवन में परिवर्तित किये जाने - विषयक ।

==========

प्रस्ताव:- श्रीमती सुधारानी को रायबरेली रोड योजना के अन्तर्गत रजनी खंण्ड में भवन संख्या-5/157 आवंटित है । आवंटनी द्वारा अवगत कराया गया है कि पति से अलग होने के कारण परिस्थितियां अत्यन्त कठिन है ऐसी दशा में पिता के पास रहना हित कर है, जिस कारण सीतापुर रोड योजना स्थिति सेक्टर-एच में इ० डब्लू० एस. भवन परिवर्तन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है । नियमानुसार एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है । विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण बोर्ड में एक योजना से दूसरी योजना में अधिकार निहित है ।

अतः श्रीमती सुधारानी को आवंटित भवन - संख्या-5/157 रंजनी खण्ड -रायबरेली रोड योजना से सीतापुर रोड योजना स्थिति सेक्टर-एच में रिक्त भवन संख्या-5/174/एच के परिवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत ।

AK
(आवंटन)

अनुरक्षक

विक्रय संख्या: 10 पृष्ठ संख्या: 29

विक्रय: बटलरगंज योजना के भूखण्ड संख्या: 23 को धारा-48(1) के अन्तर्गत अर्जन से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

==========

आख्या: उपरोक्त विक्रय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 मई, 1995 के विक्रय संख्या: 19 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था (संलग्नक: "क"), जिसपर सम्बद्ध विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया था:-

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्थागन आदेश की नवीनतम स्थिति ज्ञात कर, परीक्षण के उपरान्त प्रस्तुत किया जाये ।"

प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिवक्ता श्री उमेश चन्द्र/श्री कृष्ण चन्द्रा से स्थागन आदेश की नवीनतम स्थिति ज्ञात की गई जिसकी छाया-प्रति पताका "ख" पर संलग्न है ।

प्रस्ताव : पूर्व प्रस्तुत प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए भूखण्ड संख्या: 23 की भूमि को धारा-48(1) के अन्तर्गत डिनोटीफाई किया जाय अथवा नहीं, पर विचारार्थ एवं निर्णय हेतु ।

संलग्नक 'क'

विषय संख्याः 19

पृष्ठ संख्याः 30

विषयः बटलरगंज योजना के भूखण्ड संख्याः 23 को धारा-48(1) के अन्तर्गत अर्जन से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

बटलरगंज योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्याः 23 की भूमि क्षेत्रफल बी-02-15-07-17 का अर्जन शासन द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 के अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति संख्याः 6521(1)/37-2-80-20 एल॰ए॰-80, दिनांक 19.5.1982 एवं 3658(1)/37-2-81-20 एल॰ए॰-80, दिनांक 14.6.1982 द्वारा किया गया था। श्रीमती कौशला मोहन एवं अन्य ने उक्त भूमि की अर्जनीय कार्यवाही के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्याः 4220/82 दायर की थी जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त योजना की विज्ञप्तियों पर दिनांक 2.9.82 को स्थगन आदेश पारित किया है जो अभी प्रभावी है। इस प्रकार प्रश्नगत योजना में अर्जन की समस्त कार्यवाही स्थगित हो गयी है। इसी कारणवश विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने उक्त भूमि का अभी तक इस विभाग को कब्जा हस्तान्तरित नहीं किया है और न ही अभिनिर्णय घोषित किया है।

उपरोक्त मामले में शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 10.3.95 पर इस विभाग के अधिवक्ता श्री कृष्णचन्द्र से विधिक राय प्राप्त की गई है(प्रतिलिपि संलग्न है) श्री कृष्णचन्द्र अधिवक्ता ने अपनी विधिक राय में यह स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत भूमि को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-48(1) के अन्तर्गत अर्जन से अवमुक्त करने में शासन को कोई विधिक/व्यवहारिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये क्योंकि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अभी तक उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अधिवक्ता ने यह भी सुझाव दिया है कि इस विषय में भू-स्वामी एवं प्राधिकरण के मध्य एक अनुबन्ध भी निष्पादित होना आवश्यक है कि भविष्य में उक्त भूमि की क्षति पूर्ति के सम्बन्ध में भू-स्वामी किसी न्यायालय में कोई क्लेम नहीं करेगा।

चूकिं शासन ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 10.3.95 द्वारा उक्त भूमि के डि-नोटीफिकेशन के सम्बन्ध में प्राधिकरण से स्पष्ट संस्तुति माँगी गई है। ऐसी दशा में अधिवक्ता की विधिक राय के परिप्रेक्ष्य में भूखण्ड संख्याः23 की भूमि को धारा-48(1) के अन्तर्गत डि-नोटीफाई करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

नारायण त्रिपाठी,
उप सचिव ।

अर्दशापसं-एमओ-60/9-आ-3-95-128एलए/
- - - -

NDRA "OMJI"
ADVOCATE
P. Govt
Counsel, Central Govt.
Lucknow.

Chamber : 5-A, A. P. Sen Road, Lucknow.
Phone : 52939
Residence : D-1/8, PWD Colony,
Rajendra Nagar
Lucknow-226 004
Phone : 242275, 232548

Lucknow Dated:March 22,1995

पृष्ठ सं0: 32
संलग्नक

To,

The Joint Secretary(S).
[illegible],
[illegible].

Ref.:-Legal opinion with [illegible] de-notification of [illegible] Plot no.23,[illegible].

Dear Sir,

[illegible] 21.3.1995 [illegible] my legal opinion with regard to de-notification of land of Khasra Plot No.23,Butlarganj in favour of Smt.Komila Mohan from acquisition under Section 48 of the Land Acquisition Act (hereinafter referred to as Act).

Brief facts of the case are that the State Government issued Notification under Section 4 and declaration under Section 6 of the Act vide Gazette Notifications dated 19.5.198 and 14.6.1982 for the acquisition of land of Khasra Plot No.23 measuring area 2-15-7-17 in village Butlarganj,Tehsil and District Lucknow for the Butlarganj Scheme by the Lucknow Development Authority for under plan development.The urgency clause under Section 17 of the Act was also invoked while issuing the above said Notifications as a result of which enquiry under Section 5-A of the Act was dispensed with.

Smt.Komila Mohan and others challanged the above said Notifications before the Hon'ble High Court,Lucknow Bench by filing a Writ Petition No.4220 of 1982-Smt.Komila Mohan and others Vs. State of U.P.and others.In the aforesaid writ

....2

पृष्ठ no:

petition on 2.9.1982 this Hon'ble Court was pleased to pass following orders:-

पृष्ठ: 33

"Hon'ble Mr.Justice K.N.Goel,
Hon'ble Mr.Justice R.C.Dev

Notice has been taken by the learned Chief Standing Counsel for [illegible] parties 1 to 3. [illegible] file counter affidavit within three weeks. [illegible] affidavit within two [illegible] thereafter for [illegible]. In the meantime operation of Notifications Annexures 2 and 3 dated 10.5.1982 and 14.6.1982 [illegible] order [illegible] given [illegible] to the Counsel for the petitioners on payment of necessary charges.

Sd/-K.N.Goel,J.
Sd/-R.C.Dev,J.
2.9.1982."

Since the Hon'ble Court was pleased to stay the operation of above said Notifications under Section 4 and 6, therefore, question does not arise to take the possession of Khasra Plot no.23 which was acquired by means of the aforesaid Notifications and accordingly possession has not been taken by the Special Land Acquisition Officer so far. Award under Section 11 of the Act also could not be declared for the above said reason. It is pertinent to mention that since the above said Notifications were stayed by this Hon'ble Court on 2.9.1982, question does not arise to take any further proceedings provided under the Act including the declaration of Award and taking over of the possession.

Counter affidavit on behalf of the Lucknow Development Authority was filed on 15.10.1982 but rejoinder affidavit was filed by the petitioner only on 10.1 .1995 in pursuance of order dated 28.11.1994 directing the

petitioner to file rejoinder affidavit after lapse of more than 11 years subject to payment of cost of Rs.500/- within three weeks.

Since the impugned above mentioned Notifications were stayed, therefore, Lucknow Development Authority could not start its development/housing Scheme for which land was acquired for the Lucknow Development Authority. The petitioner has also submitted a copy of the representation alongwith rejoinder affidavit, submitted to the State Govt. for release of land from acquisition. Copy of the said representation is dated 28.10.1994 addressed to the Secretary. Avas, U.P. Government.

The land once acquired for housing/development scheme by the State Government and if possession has already been delivered to the Acquiring Body i.e. to the Lucknow Development Authority in the case of above said matter, then the acquired land cannot be released from the acquisition or the same cannot be de-notified. Section 48(1) of the Act provides ~~only~~ that the acquired land can be withdrawn or relased or de-notified from the acquisition provided possession of land has not been taken over. Section 48 of the Act is quoted below:-

"48. Completion of acquisition not compulsory, but compensation to be awarded when not completed-(1) Except in the case provided for in Section 36, the Government shall be at liberty to withdraw from the acquisition of any land of which possession has not been taken.

...4

(2)Whenever the Government withdraws from any such acquisition ,the Collector shall determine the amount of compensation due for the damage suffered by the owner in consequence of the notice or of any proceedings thereunder, and shall pay such amount to the person interested,together with all costs reasonably incurred by him inthe prosecution of the proceedings under this Act relating to the said land.

(3) The provisions of Part III of this Act shall apply, as far as may be, to the determination of the compensation payable under this section."

Since land was acquired by the State Government for the Lucknow Development Authority in the year 1982 for the Housing/Development Scheme under plan development and possession of acquired land was not delivered to the Lucknow Development Authority by the Special Land Acquisition Officer prior to the date of grant of interim order dated 2.9.1982 by which the operation of the above said Notifications was stayed.The execution of Butlarganj Housing Scheme for which land in question was acquired by the State Government will be required re-consideration by the Lucknow Development Authority in view of the above facts and circumstances and for re-consideration it will be appropriate that the matter be placed before the Board of Lucknow Development Authority because execution or non execution of Butlarganj Scheme will amount to a policy decision of the Lucknow Development Authority.Usually the Housing Schemes which are proposed by the Lucknow Development Authority ,are finalised by the

...5

पृष्ठ सं0: 36

Lucknow Development Authority's Board and only thereafter, the said Schemes are sent to the Government for approval of acquisition of land, therefore, it will be necessary and it is appropriate that the matter be placed again before the Board of Lucknow Development Authority to review its decision in view of change facts and circumstances.

[illegible] it that the case is ripe and ready for final hearing and it was also listed in the monthly cause list of final hearing cases on 28.11.1994 but the case was adjourned on the request of the Counsel for the petitioner as no rejoinder affidavit to the counter affidavit of Lucknow Development Authority was filed by the petitioner. Case is still in the Monthly Cause List of final hearing cases and may be taken up for final hearing within a month. State govt has not yet filed counter Affidavit.

Regarding the merit of the case, it is submitted that the petitioner has no case to challenge the acquisition of land as the petitioner has himself created obstruction in the execution of the Housing Scheme by filing a writ petition and obtaining an interim order on 2.9.1982 which is subsisting till date. Thus, the petitioner cannot take advantage on account of delay in delivery of possession and in declaration of Award or completion of Housing Scheme because the petitioner is himself responsible for non-delivery of possession and declaration of Award and also non-emplementation of Housing Scheme for which land was acquired by the State Govt. for the Lucknow Development Authority.

...6

पृष्ठ NO:

37

In view of facts and circumstances stated above, I am of the opinion that there is no legal hardle in the present case for release or withdrawl of land of Khasra Plot No. [illegible] under section 4 (1) of the Act because possession of the said land has not been taken by the [illegible] Land Acquisition officer so far. If possession of land in question [illegible] by the [illegible] Land Acquisition Officer in pursuance of declaration under Section 6 dated 14.6.1982 then certainly land in question cannot be released or withdrawn from acquisition under Section 48(1) of the Act. After the relase or withdrawl of land from acquisition, State Government is required to issue Notification in the Gazettee for de-notifying of land from acquisition. In the present case, if ultimately a decision is taken by the State Government to withdraw the land in question from acquisition, in that case a Notification have to be issued in the Gazettee by the State Government for de-notification of the land in question. The landowners may be acquired to enter into agreement with Govt. & state govt that they will not claim any damages & compensation in case state govt denotify the land from acquisition under sec 48 of Land acquisition act.

Yours faithfully,

(Krishna Chandra)

पृष्ठ : 38

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 मई, 1995 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री प्रीतम सिंह,	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2.	श्री गंगादीन यादव,	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री उजाड़ खेर	जिलाधिकारी, लखनऊ
4.	श्री एस.के.सिन्हा	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।
5.	श्री एम.पी.अनेजा	वरिष्ठ नगर नियोजक, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि।
6.	श्री पी.के.पान्डे	मुख्य अभियन्ता, जलनिगम, लखनऊ।
7.	श्री हरिश्चन्द्र	आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश। विशेष आमन्त्री।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

अन्य उपस्थिति :

डा. एम.ए.ए.खान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व उपस्थित सदस्यों को उपाध्यक्ष द्वारा अपना परिचय दिया गया तथा सदस्यों का अभिवादन किया गया।

कार्य-सूची विलम्ब से प्राप्त होने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य में समय से कार्य-सूची उपलब्ध कराने का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जायेगा।

विषय सँख्याः 17 डा॰ बी॰आर॰अम्बेदकर विश्वविद्यालय के परिसर हेतु 226.45 एकड़ भूमि की व्यवस्था, भू-उपयोग परिवर्तन के के सम्बन्ध में। पृष्ठ:39

निर्णय : विचारोपरान्त सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव स्वीकार किया गया परन्तु निर्देश दिये गये कि अम्बेदकर विश्वविद्यालय द्वारा भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की संस्तुति शासन को प्रेषित की जाये। औपचारिकतायें पूर्ण करने अथवा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणपत्र माँगा जाता है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा।

विषय सँख्याः 18 अविक्रीमत भूखण्ड सँख्याः 285 क्षेत्रफल 3-10-8-14 मौजा इरादत नगर हेतु प्राप्त निविदा रू0 17.00 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल से अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने की कार्यवाही की जाये। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय सँख्याः 19 बटलरगँज योजना के भूखण्ड सँख्याः 23 को धारा-48(1) के अन्तर्गत अर्जन से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि स्थगन आदेश की नवीनतम स्थिति ज्ञात कर, परीक्षण के उपरान्त बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय सँख्याः 20 श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल एवं श्री हर प्रसाद अग्रवाल को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड सँख्याः ही-104/पी के स्थान पर गोमती नगर योजना में वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पक्ष को गोमती नगर योजना में उतने ही क्षेत्रफल का वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध करा दिया जाये परन्तु इस हेतु उत्तरदायी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डित किये जाने की भी कार्यवाही की जाये।

विषय सँख्याः 21 गोमती नगर योजना में आवन्टित भवन सँख्याः 3/71, आशीष का विपुल खण्ड के भूखण्ड सँख्याः 2/108 में परिवर्तित किये जाने विषयक।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विवेचन व आदेश - सलग्नक "ब"

फाइल संख्या

अनुपूरक विषय : 11 पृष्ठ : 41

विषय :- खसरा सं0-141, 147, 152, 155, 156, 158, 159, 160 ग्राम आदिल नगर परगना तहसील जिला लखनऊ कुर्सी रोड के भू0-प्रयोग बस ट्रा० टर्मिनल से आवासीय परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29-12-94 के विषय सं0-13 पर इसी स्थल के पास खसरा सं0-148, 149, 150, 151, 153/1&2, 154, 157, एवं 171 स्थित ग्राम आदिल नगर, परगना, तहसील जिला लखनऊ कुर्सी रोड को लखनऊ महायोजना 2001 में प्रस्तावित बस/ट्रा० ट्रर्मिनल भू0-उपयोग से आवासीय के परिवर्तन का विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखवाया गया था संलग्नक-1

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लियागया :- "प्रस्तावित स्थल को बस/ट्रा० टुर्मिनल से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड की संस्तुति शासन को भेज दी जाय तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के इस आशय का पत्र लिखा जाये कि वह 6 माह के अन्दर उक्त प्रयोजन हेतु वांछित भूमि का विवरण उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजे" संलग्न-2

कार्यालय के पत्र सं0-233 पी0ए0/सी0टी0पी0/95 दिनांक 30.1.95 के द्वारा सचिव, उ0प्र0 शासन को कार्यसूची एवं कार्यवृत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया । निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 राज्य सरकार परिवाहन निगम से अलग संपत्र भेजा गया । इस सम्बन्ध में परिवाहन विभाग में प9सं0-285/पी0ए0/95 /4 जनरल /93 दिनांक 1/3, 1995 से उत्तर प्रेषित किया ।

सचिव आवास उ0प्र0 शासन को सम्बोधित करते हुये श्री शिवचन्द्र साहू सभासद कार्यकारिणी उ0प्र0 द्वारा अनुरोध किया गया कि खसरा सं0-141, 147, 153. 155, 156, एवं 160 को भी भू0-148, 149, 150, 151, 153/1&2 154 एवं 157 एवं 171 के साथ जिसे भू0-प्रयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की बैठक 29.12.94 के विषय सं0-13 पर रखा गया था के साथ ही भू0-प्रयोग बस/ट्रा० ट्रर्मिनल से आवासीय घोषित किया जाय ।

पृष्ठ : 42

इसी आशय का एक प्रार्थनापत्र प्रार्थी द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया गया है । शासन द्वारा पत्रांक 1786/9-आ-3-95-54 एलएसी/93 दिनांक 22.5.95 द्वारा आख्या चाही गई है ।

प्रकरण के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है:-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.12.94 विक्रय संख्या: 13 के अन्तर्गत खसरा संख्या: 148, 149, 150, 153(सं), 154, 157 एवं 171 का भू-प्रयोग बस ट्रक टरमिनल से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में शासन को संस्तुति प्रेषित की जा चुकी है । उक्त खसरा नम्बरों को संलग्न मानचित्र में लाल रँग से दर्शाया गया है ।

प्रार्थी द्वारा शासन में दिये गये प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में खसरा सं0: 141, 147, 152, 155, 156, 158, 159 एवं 160 का भू-प्रयोग परिवर्तन बस ट्रक टरमिनल से आवासीय किये जाने हेतु आख्या माँगी गई है । उक्त खसरा नम्बरों में खसरा सं0: 147, 152 मध्य मे स्थित है तथा 155, 156 157 तमीद में स्थित है, खसरा संख्या: 159 व 160 महायोजना के प्रस्तावित मार्ग से प्रभावित हैं तथा खसरा संख्या: 141 स्थल से दूर स्थित है । सन्दर्भित भूखण्डों के सम्बन्ध में भू-धारकों की अनापत्ति भी संलग्न की गई है ।

अत: उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए खसरा सं0: 159 160 तथा 141 जोकि महायोजना मार्ग एवं दूरस्थ स्थित खसरा सं0: (141) को छोड़कर शेष खसरा नम्बर- 147, 152, 155, 156 एवं 158 का भू-प्रयोग परिवर्तन बस ट्रक टरमिनल से आवासीय किये जाने पर विचार किया जा सकता है । इन खसरा नम्बरों को मानचित्र में पीले रँग से दर्शा दिया गया है ।

यदि उक्त खसरा नम्बरों के भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया जाता है तो अवशेष स्थल पूर्व में प्रस्तावित बस ट्रक टरमिनल स्थापित करने हेतु उपयुक्त नहीं रहेगा, अत: इस परिप्रेक्ष्य में अवशेष खसरा नम्बरों का भू-प्रयोग भी बस ट्रक टरमिनल से आवासीय किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 13

विषय: खसरा सं0148, 149, 150, 151, 153/स/, 154, 157 एवं 171 स्थित ग्राम आदेल नगर परगना तहसील एव जिला लखनऊ पर प्रस्तावित बस एवं ट्रक टरमिनस को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या: खसरा संख्या-148, 149, 150, 151, 153/स/, 154, 157 एवं 171 स्थित ग्राम आदेल नगर परगना तहसील एवं जिला लखनऊ का भू-उपयोग बस एवं ट्रक टरमिनल से आवासीय प्रयोग में परिवर्तन किये जाने का विषय प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु 25 नवम्बर / 02,दिसम्बर 1993 में मद सं0ख- 11 में रखा गया था । उपरोक्त बैठक में रखा गया विषय एवं लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है /संलग्नक-1/ ।

2. उपरोक्त बैठक में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि "पहले यह दिखवा लिया जायें कि बस ट्रक टरमिनल को कहाँ स्थापित किया जायेगा तदुपरान्त प्रस्ताव रखा जायें" ।

3. चूँकि महायोजना बनाने एवं संशोधन का कार्य मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक द्वारा किया जाता है, अतः इस विषय पर मुख्य ग्राम्य एव नगर नियोजक की राय माँग ली गई थी । उन्होंने अपने पत्र सं03027/व0नि0/एम/लखनऊ भू-उप0परि0/94 दि021·11·94 /संलग्नक-2/ द्वारा बस, ट्रक टरमिनल हेतु दो वैकल्पिक स्थल प्रस्तावित किये हैं तथा सुझाव दिया है कि बस तथा ट्रक टरमिनल एक ही स्थान पर न बनाकर चिन्हित दो स्थलो पर रिंग रोड पर प्रस्तावित उप नगर केन्द्र हेतु महायोजना में प्रस्तावित स्थल पर बस टरमिनल तथा सातापुर रोड योजना मे चिन्हित वैकल्पिक स्थल पर ट्रक टरमिनल विकासत करने पर विचार किया जा सकता है ।

4. प्रथम विकल्प के अन्तर्गत जो स्थल दर्शाया गया है उसके सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि यह सेक्टर सातापुर रोड योजना /लगभाग 1700एकड/ की आबादी को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक प्रयोग हेतु रखा गया है जिसमें कुल क्षेत्रफल 27·7एकड के लगभग है । इसमें से 5 एकड से अधिक क्षेत्रफल बल्क सेल एवं नीलाम के द्वारा निस्तारित हो चुका है तथा कई विभागो से बल्क सेल के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । लगभग 10 एकड भूमि पर ल0वि0प्रा0 द्वारा एक व्यवसायिक योजना तैयार की जा चुकी है एवं 5 एकड के लगभग क्षेत्र जोनल रोड के अन्तर्गत आ जाता है । इस प्रकार मौके

क्रमशः····2

9°6:44

पर लगभग 7.7एकड भूमि बचती है जो विभिन्न टुकडो में स्थित है । वैसे भी यह सेक्टर व्यवसायिक है और व्यवसायिक दर पर उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम भूमि नही ले पायेगा।

5. दूसरे विकल्प के अन्तर्गत जो स्थल दिखाया गया है वह निजी संपत्ति है, जो इस समय प्राईवेट लोगो के स्वामित्व में है । अतः इस स्थल को अर्जित करने के पश्चात् ही बस टरमिनस की स्थापना की जा सकती है ।

6. उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम से बस टरमिनल हेतु क्षेत्रफल की सूचना मॉगी गई तो उन्होंने अपने पत्र दि020.12.94 द्वारा सूचित किया है कि परिवहन निगम को निर्धारित मानक के अनुसार 3 एकड भूमि की आवश्यकता होगी

7. प्राधिकरण की बैठक दि025.11.93/2.12.93 में रखा गया विषय (संलग्नक-1) में यह स्पष्ट किया गया था कि जहॉ पर इस समय कुर्सा रोड पर संलग्नक-1 में अंकित खसरा संख्याओं पर बस एवं ट्रक टरमिनल प्रस्तावित किया गया है, उसमें लगभग 75 प्रतिशत भाग में अनाधिकृत निर्माण हो चुके हैं । इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम ने अपने पत्र दि017.9.93 द्वारा यह सूचित किया था कि प्रश्नगत खसरा नम्बर्स पर बस टरमिनल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः प्रश्नगत विषय में अंकित खसरा नम्बर्स के भू-उपयोग को बस एवं ट्रक टरमिनल से आवासीय (आर-2) में परिवर्तन हेतु बोर्ड कृपया विचार करके निर्णय लेने का कष्ट करें ।

प्राधिकरण स्वयं निर्माण कराकर निर्मित भवन की बिक्री करे अथवा भूमि को सीधे बेचे तो तीनों विकल्पों में किसमें अधिक वित्तीय लाभ होगा। इस विषय पर निर्णय हेतु अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें बोर्ड के निम्न सदस्य सम्मिलित किये गये:

(1) उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण (2) जिलाधिकारी, लखनऊ
(3) विशेष सचिव, वित्त
समिति की संस्तुति के आधार पर इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

विषय संख्या : 12 — विकसित/विकासित क्षेत्रों के प्राप्त भू-उपयोग/व्यवसायिक आवासीय कार्यालय भवन के मानचित्रों पर आरोपित सुविधाओं के विस्तार हेतु सुदृढ़ीकरण विकास शुल्क के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या: 13 — मौजा सैदा 148, 149, 150, 151 आदि स्थित ग्राम आदिल नगर लखनऊ पर प्रस्तावित बस ट्रक टर्मिनस को अन्यत्र स्थापित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित स्थल को बस/ट्रक टर्मिनस से आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड की संस्तुति शासन को भेज दी जाये तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से इस आशय का पत्र लिया जाये कि वह एक माह के अन्दर उक्त प्रयोजन हेतु वांछित भूमि का विवरण उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजें।

विषय संख्या: 14 — सहकारी आवास समितियों की भूमि के सम्बन्ध में नि0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 20-1-93 के अनु0वि0स0:2 में पारित प्रस्ताव का अनुपालन आख्या।

निर्णय : — प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या: 15 — पेपर मिल योजना के अन्तर्गत आवंटित व्यवसायिक भूखण्डों के आवंटियों को अन्यत्र समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व आवंटियों को अन्यत्र समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जितने क्षेत्रफल के भूखण्ड पूर्व में आवंटित है अन्यत्र लगभग उतने ही क्षेत्रफल के भूखण्ड उपलब्ध कराये जायें। उक्त भूमि पर लम्बे समय से बने व्यक्तियों को भू-उपयोग के अनुसार वर्तमान दर से भूमि का मूल्य जमा करा कर विनियोजित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

पृष्ठ : 46

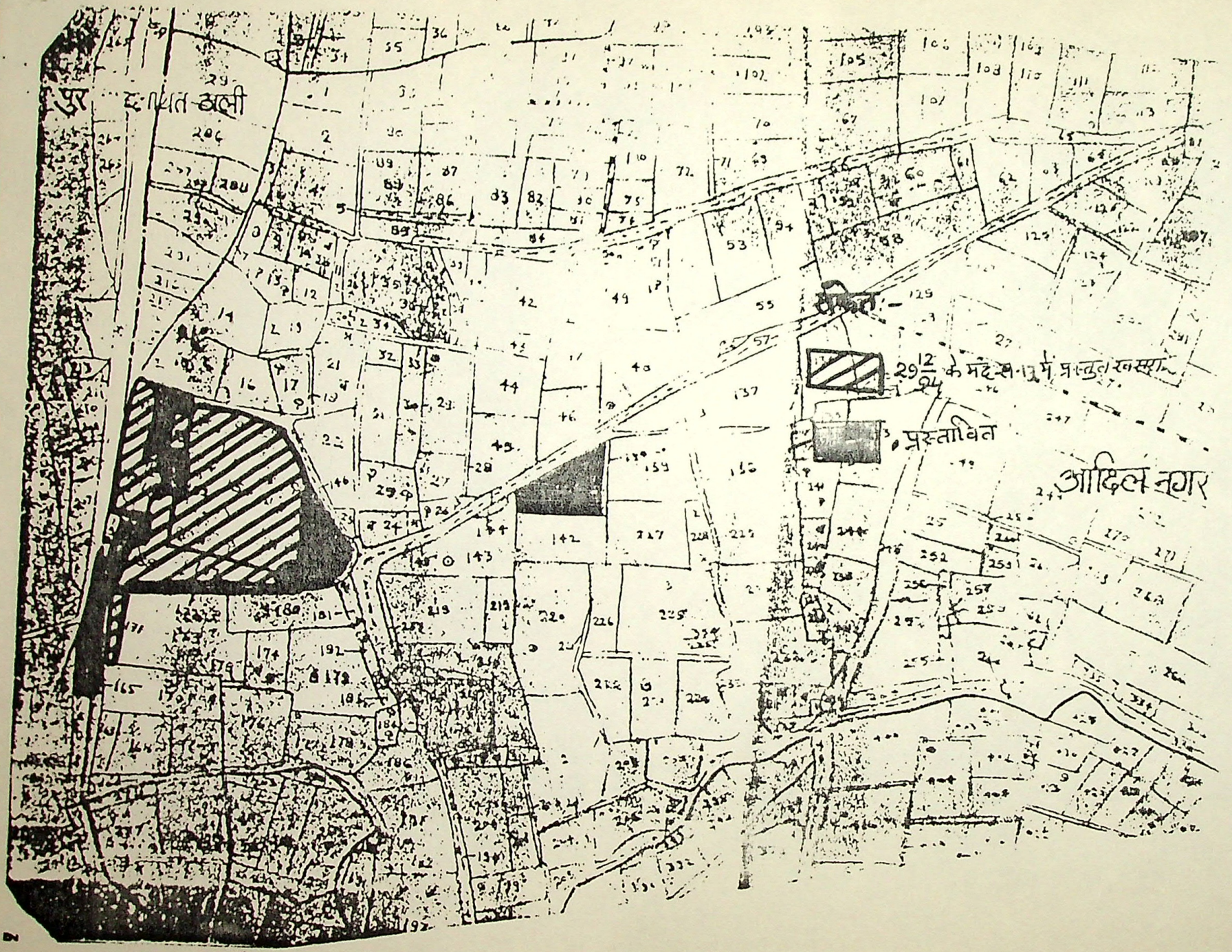

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक नवम्बर 9, 95

को

अनुपूरक - कार्यसूची

(द्वितीय)



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10 नवम्बर, 1995 में विचारणीय
अनुपूरक कार्य-सूची (द्वितीय)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
12.	महिला प्रशिक्षण एवं स्वयं रोजगार संस्थान, लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित "महिला-95 सम्मेलन" को आर्थिक सहायता से सम्बन्धित।	47
13.	गोमती नगर योजना के अन्तर्गत सरकारी/अर्ध्द सरकारी कर्मचारी/अधिकारी आवास योजना के समस्त पँजीकृत आवेदकों को आश्वासन समिति में दिये गये आश्वासन के अनुपालन में भवन उपलब्ध कराया जाना।	48
14.	गोमती नगर योजना में तृतीय जलकल की स्थापना हेतु भूमि के आक्न्टन से सम्बन्धित।	51
15.	ल.वि.प्रा.की विभिन्न योजनाओं में आवासीय/व्यवसायिक निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट की नियुक्ति से सम्बन्धित।	54
16.	निदेशक पँचायतराज को अलीगँज योजना सेक्टर "ई" में दी गई भूमि पर व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति से सम्बन्धित।	58
17.	गोमती नगर योजना में पब्लिक स्कूल की स्थापना हेतु लगभग 10 एकड़ भूमि के आक्न्टन से सम्बन्धित।	59
18.	रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्युट को कानपुर रोड योजना में हर्बल गार्डेन की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने से सम्बन्धित।	63
19.	गोमती नगर विनय खण्ड में श्री जगदम्बिकापाल को आवन्टित भूखण्ड सँख्याःए-3/249 में अनिर्माण लेवी न लिये जाने से सम्बन्धित।	65
20.	श्री रामलखन वर्मा को आवन्टित भूखण्ड सँख्याःबी-2/147 विपुल किराया क्रय पध्दति पर परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।	66
21.	गोमती नगर विपुल खण्ड में आवन्टित भूखण्ड के मूल्याँकन से सम्बन्धित।	67
22.	कानपुर रोड योजना में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित।	68
23.	राजकीय कार्य सम्पादित करते समय दँगाइयों व्दारा हत्या किये जाने के परिप्रेक्ष्य में भू.स.6/31 विपुल, के आक्न्टन से सम्बन्धित।	69
24.	श्री आर.के.माडवेल को कानपुर रोड योजना में आवन्टित भवन के स्थान पर गोमती नगर में भवन परिवर्तन से सम्बन्धित।	70
25.	मुख्य चिकित्साधिकारी व्दारा चकबस्त रोड स्थित भूखण्ड सँख्याः1 पर प्रस्तावित कार्यालय भवन के मानचित्र से सम्बन्धित।	71
26.	श्री रत्नाकर एस.रैकवार व्दारा रामनगर हाउस 17-स्टेशन रोड 62/16 पर समूल आवास हेतु तल क्षेत्रानुपात 2.5 करने से सम्बन्धित।	73
27.	हरदोई रोड योजना में 220 के.वी.सबस्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आक्न्टन से सम्बन्धित।	74

28· श्री शरदचन्द्र अवस्थी को रश्मिखण्ड शारदा नगर में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर में भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित। 77

29· श्री प्रकाश नाथ दीक्षित को रश्मि खण्ड शारदानगर में आवन्टित भूखण्ड के बदले गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन से सम्बन्धित। 78

30· भूखण्ड सँख्याः बी-2/89, विपुल खण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित। 79

31· श्री मणि प्रसाद मिश्र, तत्कालीन विशेष नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवन्टित भू·स·:सी-3/34 विकास खण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित। 80

अनुपूरक,
विषय संख्या: 12 पृष्ठ संख्या: 47

विषय:- महिला प्रशिक्षण एवं स्वयं रोजगार संस्थान, लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित "महिला-95सम्मेलन" को आर्थिक सहायता के रूप में रु० 30,000/=(रुपया तीस हजार मात्र) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महिला प्रशिक्षण एवं स्वयं रोजगार संस्थान, लखनऊ के तत्वाधान में 14से 17, अक्टूबर95 तक आयोजित "महिला-95सम्मेलन" के सम्बन्ध में महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 9, अगस्त95 तथा 17, सितम्बर95 को बैठकें हुई थीं। इस बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त आयोजन हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा महिला प्रशिक्षण एवं स्वयं रोजगार संस्थान को रु० 30,000/=(रुपया तीस हजार मात्र) का चेक रूप नं० 151317 दिनांक 5.10.95 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था।

प्राधिकरण कृपया महिला प्रशिक्षण एवं स्वयं रोजगार संस्थान लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित "महिला-95सम्मेलन" हेतु उक्त संस्थान को रु० 30,000/=(रुपया तीस हजार मात्र) उपलब्ध कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्य लेखाधिकारी सचिव

अनुपूरक
विषय संख्या: 13 पृष्ठ संख्या: 48

विषय:- गोमती नगर योजना के अन्तर्गत सरकारी तथा अर्धसरकारी कर्मचारी/ अधिकारी आवास योजना के समस्त पंजीकृत आवेदको को आश्वासन समिति में दिये गये आश्वासन/निर्देशो के अनुपालन में भवन उपलब्ध कराया जाना ।

प्रस्ताव:- गोमती नगर आवासीय योजना में सरकारी तथा अर्धसरकारी कर्मचारियो के लिए सर्व प्रथम 10 अक्टूबर 1991 से किराया क्रय पद्धति एवं स्वा वित्त पोषित पद्धति के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के भवनो के आवंटन हेतु पंजीकरण खोला गया था जिसके अन्तर्गत किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत कुल 1871 पंजीकरण तथा स्वावित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 787 पंजीकरण प्राप्त हुए थे । किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत भवनो का पंजीकरण इस आशा से खोला गया था कि इसके लिए प्राधिकरण को ऋण प्राप्त हो जायगा । चूंकि ऋण की व्यवस्था उस समय न हो सकी अत: प्राधिकरण द्वारा सितम्बर 93 में यह निर्णय लिया गया कि पूरी योजना स्वावित्त पोषित योजना में परिवर्तित कर दी जाय तथा ऐसे पंजीकृत व्यक्तियो से, जिन्होने किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत कराया था, इस आशय का विकल्प ले लिया जाय कि यदि वे स्वावित्त पोषित योजना में भवन लेना चाहते है तो अपना पंजीकरण कराया क्रय पद्धति से स्वावित्त पोषित योजना में परिवर्तित करने की सहमति दे दें । इस विकल्प के बाद स्वावित्त पोषित योजना में 1623 एवं किराया क्रय पद्धति योजना में 352 पंजीकरण अवशेष रह गये ।

उपरोक्त पंजीकृत आवेदको हेतु अक्टूबर 93 में विभिन्न श्रेणी के 1411 भवनो का निर्माण कार्य गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में प्रारम्भ करवाया गया । अब तक स्ववित्त पोषित योजना में 966 पंजीकृतआवेदको को भवन आवंटित किया जा चुका है एवं 445 भवन अवशेष निर्माणधीन है , इन 445 भवनो में से विभिन्न श्रेणी के 233 भवनो हेतु वर्तमान में पंजीकरण अवशेष नहीं है अतएव इनके विक्रय हेतु नया पंजीकरण खोले जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

उपरोक्त 445 निर्माणाधीन भवनो में से पंजीकरण की श्रेणी के अनुसार मात्र 212 भवन आवंटन हेतु उपलब्ध है जबकि वर्तमान समय में स्वावित्त पोषित योजना में 248 एवं किराया क्रय पद्धति योजना में 330 कुल 578

.....2.....

पंजीकरण अवशेष है । अत: अवशेष 366 विभिन्न वांछित श्रेणी के भवनो का निर्माण कार्य कराने हेतु विराट खण्ड में स्थल उपलब्ध न होने के कारण इन भवनो को विराट खण्ड के पास स्थित विराज, वास्तु, विनीत, खण्ड में निर्मित किए जाने एवं समस्त स्वावित्त पोषित तथा किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदको को "आश्वासन समिति" में दिये गये आश्वासन / निर्देशो के अनुपालन में भवन आवंटित किए जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में भवनों की वर्तमान स्थिति

क्रम सं०	भवनों का प्रकार	निर्माणाधीन भवनों की संख्या	अब तक हस्तांतरित घोषित योजना में आवंटित भवन	आवंटन हेतु उपलब्ध अवशेष भवन	अवशेष पंजीकरण			अवशेष भवन जिनके लिए पंजीकरण खोलने की आवश्यकता है।	अवशेष पंजीकरण जिनके लिए ले-आऊट बनाना होगा।
					हस्तांतरित घोषित	किराया क्रय पद्धति	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10
1.	ए प्रकार पूर्ण निर्मित	96	77	19	04	14	18	01	—
2.	ए प्रकार अर्द्ध निर्मित	229	197	32	163	68	231	—	199
3.	बी प्रकार पूर्ण निर्मित	93	50	43	—	16	16	27	—
4.	बी प्रकार अर्द्ध निर्मित	207	190	17	71	44	115	—	98
5.	सी प्रकारपूर्ण निर्मित	61	35	26	—	07	07	19	—
6.	सी प्रकार अर्द्ध निर्मित	491	221	270	03	81	84	186	—
7.	डी प्रकार पूर्ण निर्मित	234	196	38	07	100	107	—	69
	योग	1411	966	445	248 + 330		578	233	366

नोट:- उपरोक्त सूचना दिनाँक 12.10.95 को कम्प्यूटर से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित है।

16/10/95

EE-4

अनुपूरक
विषय संख्या: 14 पृष्ठ संख्या: 51

विषय: गोमती नगर योजना में तृतीय जल कल की स्थापना हेतु भूमि के आवंटन सम्बन्धित,

आख्या: अधिशासी अभियन्ता, चतुर्थ शाखा उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र सं01768/डब्लू0-30/23 दि010·10·95 (संलग्नक-1) द्वारा 10 हेक्टे· भूमि आवंटित करने हेतु अनुरोध किया है ।

2· इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि 10हेक्टेयर (25एकड) भूमि अधिक प्रतीत होता है, अतः 10 हैक्ट. भूमि दी जा सकती है । गोमती नगर योजना में इस समय आवासीय भूमि की दर रू01100·00प्र0व0मी0 है । बल्क सेल के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली भूमि में ल0वि0प्रा0 को आन्तरिक विकास कार्य नहीं कराने पडते हैं । अतः भूमि की दर निकाली गई है जो रू0550·00 प्र0व0मी0 आती है । इस दर में भूमि अर्जन की लागत तथा बाह्य विकास व्यय सम्मिलित है। इस दर के अनुसार 10 हैक्ट. भूमि का कुल प्रीमियम रू0222·58लाख आता है । यदि भूमि लीज पर दी जाती है तो उपरोक्त धनराशि का 10प्रतिशत पट्टे के किराये के रूप में देय होगा जो लीज की पूरी अवधि अर्थात् 90 वर्ष के लिये प्री-पेड माना जायेगा । यदि फ्री होल्ड डीड निष्पादित की जाती है तो उपरोक्त धनराशि की 12प्रतिशत धनराशि भी देय होगी ।

3· इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि हरदोई रोड योजना में द्वितीय वाटर वर्क्स के लिये 6300व0मी0 भूमि आवंटित की गई है। उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 19 85 में किया गया था और उस समय भूमि रू0 107·00 प्र0व0मी0 पर उपलब्ध कराई गई थी ।

4· जल निगम तृतीय वाटर वर्क्स के लिये भूमि निशुल्क चाहता है । अतः प्राधिकरण कृपया इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का कष्ट करें ।

21/11/95

संलग्नक -1

पृष्ठ : 52

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
चतुर्थ शाखा, उ0प्र0जल निगम,
लखनऊ ।

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

प0सं0 1768 / डब्लू-30 / 23 दिनांक 10.10.95

विषय: तृतीय जलकल, लखनऊ हेतु भूमि के संबंध में।

महोदय,

कृपया तृतीय जलकल, लखनऊ के संबंध में हुए विचार विमर्श का संदर्भ करें। इस संबंध में आप द्वारा अवगत कराया गया था कि पूर्व में जिस स्थान पर जलकल का निर्माण प्रस्तावित था उस स्थान पर नये आवासीय खण्ड प्रस्तावित कर दिये गये है। अतः उस स्थान पर भूमि देना संभव नहीं है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में एरिया का निरीक्षण मेरे द्वारा आपके सहायक अभियन्ता, श्री बी0एल0शर्मा के साथ किया गया और एक स्थान उनके द्वारा बताया गया, कि यहाँ पर कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। हॉलॉकि यह स्थान पहले प्रस्ताव की तुलना में कम उपयुक्त है, फिर भी इस स्थान पर तृतीय जलकल बनाने के ध्येय से परीक्षण किया गया और यह पाया गया है कि इस स्थान पर भी जलकल बनाया जा सकता है। उक्त परिपेक्ष्य में आज महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (म) उ0प्र0जल निगम, लखनऊ से भी विचार विमर्श किया गया और यह तय किया गया कि आप द्वारा बतायी गई परिस्थितियों में नया जलकल बनाने के लिए भूमि ले ली जाय

उपरोक्त परिपेक्ष्य में 10 हेक्टेयर भूमि को मानचित्र पर डिमार्क कर के आपको इस अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है कि इसे अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को हस्तानान्तरित करने की कार्यवाही करें। आपसे यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में यह दिखवा लें कि इस स्थान पर किसी प्रकार का विवाद न हो क्योंकि जैसा आपको विदित ही है कि तृतीय जलकल पर शीघ्र कार्य किया जाना प्रस्तावित है। आपसे यह भी अनुरोध है कि वाँछित भूमि को कार्य स्थल पर डिमार्केट करके अधोहस्ताक्षरी को हस्तानान्तरित करने की कार्यवाही करें।

मानचित्र पर प्रस्तावित स्थान चिन्हित करके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। जैसा आपने चाहा था 10 हेक्टेयर में किये जाने वाले कार्यों का मोटा विवरण भी आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्नक: यथापरोक्त।

भवदीय

(बच्चा राम गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

(विवेक मेहरा) 13-10-95
अधीक्षण अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पृ0सं0 / दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित उनसे हुए विचारविमर्श की पृष्ठभूमि में सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (म) उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
2. महाप्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ

अधिशासी अभियन्ता

तृतीय जलकल, लखनऊ हेतु प्रस्तावित भूखण्ड पर किये जाने वाले कार्यों के लिए भूमि का विवरण

1.	पेयजल शोधन कार्य हेतु प्रस्तावित इकाईयों के निर्माण के लिए भूमि	7 हेक्टेयर
2.	आवासीय एवं कार्यालय भवन, आन्तरिक सड़क एवं अन्य कार्य हेतु भूमि ।	3 हेक्टेयर
		10 हेक्टेयर

(बच्चा राम गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

अनुपूरक
विषय संख्या: 15

पृष्ठ संख्या: 54

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय/ व्यवसायिक निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

आख्या :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलोकप्रिय निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.12.94 में विषय संख्या 4 के अन्तर्गत रखा गया था। प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में प्रस्तुत किये गये विषय तथा लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न है{ संलग्नक-1 तथा संलग्नक-2 }।

प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि छः माह के बाद प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया जाय। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके पश्चात सूचना समाचार पत्रों में निकाली गयी थी। कुल 22 आफर्स प्राप्त हुए प्रत्येक से रू0 5,000/= प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकरण धनराशि ली गयी थी, इनमें से छः व्यक्तियों ने अपनी पंजीकरण धनराशि वापस ले ली है। इस प्रकार कुल 16 व्यक्ति शेष है। बाद में यह विचार विमर्श किया गया कि कमीशन एजेन्ट के माध्यम से रिक्त सम्पत्ति का विक्रय न कराकर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ही समय-समय पर "कैश सेल" लगाकर रिक्त सम्पत्ति का निस्तारण किया जाय।

अतः प्रस्ताव है कि जिन 16 व्यक्तियों की पंजीकरण धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण में जमा है, उसे वापस कर दिया जाय, और पूर्व की भाँति प्रत्येक दूसरे माह में कैश सेल लगाकर रिक्त सम्पत्ति का निस्तारण किया जाय ।

2/11/95

[illegible] : 4

पृष्ठ : 55

परिचालन प्रस्ताव संख्या 2/94

संलग्नक — 1

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में अनिस्तारित आवासीय/व्यवसायिक निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या: लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास लगभग 70.00 करोड़ रुपये की ऐसी सम्पत्ति है जिसकी, काफी समय से बिक्री नहीं हो पाई है। सम्पत्ति रिक्त पड़ी रहने से सम्पत्ति का ह्रास (डेपरीसियेशन) होता है, अनुरक्षण पर व्यय करना पड़ता है तथा जिस समय ऐसी सम्पत्ति का विक्रय होता है तो दुबारा मरम्मत आदि कराने पर काफी व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का निस्तारण न होने के कारण हुडको से लिये गये ऋण के भुगतान में भी कठिनाई आती है तथा उसपर 15 प्रतिशत या उससे भी अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। रिक्त सम्पत्ति पर अनधिकृत कब्जे भी हो जाते हैं। पिछली प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18-7-94 में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसी सम्पत्ति के मूल्य को बिना घाटा उठाये 5 प्रतिशत घटाया जा सकता है परन्तु ऐसी सम्पत्ति को पहले अनिस्तारित घोषित करना होगा।

कतिपय प्राधिकरणों में उक्त प्रकार की सम्पत्ति का निस्तारण कमीशन एजेन्ट्स के माध्यम से किया जा रहा है। यह प्रस्ताव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी अनिस्तारित सम्पत्ति की बिक्री कमीशन एजेन्ट्स के माध्यम से कराई जाये। कमीशन एजेन्ट्स द्वारा विक्रय की गई सम्पत्ति के मूल्य का पूरा पैसा एकमुश्त जमा कराने पर उन्हें 5 प्रतिशत कमीशन दिया जाये।

इस सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया प्रस्तावित है:-

(1) एजेन्ट्स की नियुक्ति हेतु लखनऊ के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना निकाली जाये और जमानत की धनराशि रु0 5,000/- रखी जाये जो नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा ली जाये। केवल उन्हीं एजेन्ट्स की नियुक्ति की जाये जो जमानत की उपरोक्त धनराशि जमा करें।

(2) कमीशन एजेन्ट्स से प्राप्त प्रार्थनापत्रों के आधार पर कमीशन एजेन्ट का चयन करने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने स्तर से एक समिति गठित कर लें और उसके माध्यम से परीक्षण कराकर अनुमोदन प्रदान कर दें।

(3) राष्ट्रीय बचत योजना की भाँति कमीशन का भुगतान आवन्टी को न कर एजेन्ट को ही किया जाये।

(4) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनिस्तारित सम्पत्ति का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाये कि छः माह तक उसमें कोई परिवर्तन न हो।

कृपया बोर्ड उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करने का कष्ट करें।

संलग्नक – 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 1994

का कार्यवृत्त

उपस्थित

1.	श्री प्रीतम सिंह	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2.	श्री विजय शर्मा	सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास विभाग।
3.	श्री अनिल कुमार गुप्ता	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4.	श्री राजीव मेरु	ज़िलाधिकारी, लखनऊ।
5.	श्री पी0 के0 झा	विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, आवास विभाग।
6.	श्री बी0के0सिंह यादव	मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर निगम।
7.	श्री यू0सी0दास	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
8.	श्री पी0के0पाण्डे	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9.	श्री एस0के0वर्मा	मुख्य अभियन्ता,आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0।

अन्य उपस्थित:

श्री एम.ए.ए.खान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय को बधाई दी गई तथा अन्य उपस्थित सदस्यों का परिचय अध्यक्ष महोदय से कराया गया।

विषय संख्या: 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 1994 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय: — दिनांक 18 जुलाई, 1994 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 जुलाई, 1994 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन अख्या।

निर्णय : — (1) दिनांक 21 जनवरी, 94 में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि नैपियर रोड कालोनी में डा0 अतुल खन्ना को आवन्टित भूखण्ड पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को शीघ्र हटाये जाने की कार्यवाही की जाये।

(2) अलीगंज योजना में हाई-टेन्शन लाइन से आच्छादित भूखण्डों को अन्यत्र समायोजित करने हेतु शीघ्र ले-आउट तैयार कराया जाये।

(3) दिनांक 15 अप्रेल, 1993 की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देश दिये गये कि कनिंघम क्षेत्र के पीछे की योजना की कार्यवाही विलम्बन दो माह अन्दर निकाल ली जाये एवं विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये।

अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

विषय संख्याः 3 — आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव।

निर्णयः — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 10 प्रतिशत धनराशि जमा करा कर रजिस्ट्री से पूर्व जो आवेदन के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है, इसे तत्काल रोक दिया जाये तथा प्रस्ताव का गहन परीक्षण कराया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कोई आवन्टी अपनी सम्पत्ति को परिवर्तित कराना चाहता है तो उसे आवन्टित भूमण्ड के स्थान पर भूमण्ड एवं भवन के स्थान पर भवन ही परिवर्तित किये जाये। भवन से भूमण्ड अथवा भूमण्ड से भवन न परिवर्तित किया जाये।

विषय संख्याः 4 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवासीय/व्यवसायिक निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अलोकप्रिय सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि छः माह के बाद प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया जाये।

विषय संख्याः 5 — हिन्दुस्तान टाइम्स के भूमण्ड संख्याः बी/1-25, अशोक मार्ग पर प्रिन्टिंग प्रेस एवं कार्यालय भवन हेतु साठ सेट बैक में छूट दिये जाने सम्बन्धी परिचालित प्रस्ताव।

निर्णय : — परिचालित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्याः 6 — इन्स्टीट्यूट आफ़ यूनानी मेडिसिन्स को अलीगंज योजना के सेक्टर "जो" में ग्रीन-बेल्ट हेतु आरक्षित भूमि वृक्षारोपण हेतु आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव को निरस्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस भूमि क्षेत्र का उपयोग लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्रयोग में नहीं किया जायेगा।

अनुपूरक,
प्रस्ताव सं0: 16

पृष्ठ सं0: 58

विषय: निदेशक, पंचायत राज को अलीगंज योजना सेक्टर-ई में दी गयी भूमि पर व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने के संबंध में ।

प्रस्ताव: निदेशक, पंचायत राज को अलीगंज योजना के सेक्टर-"ई" में 3 एकड़ भूमि प्राधिकरण द्वारा आवासीय निर्माण हेतु विक्रय की गयी थी । यह भूमि लखनऊ महायोजना 2001 के अनुसार कार्यालय भवन क्षेत्र (जो-1) में पड़ती है, निदेशक, पंचायत राज द्वारा इस भूमि पर व्यवसायिक कार्यालय भवन तथा आवासीय भवन निर्मित करने हेतु भवन चित्र प्रस्तुत किया गया है । जो-1 क्षेत्र में कार्यालय बनाने हेतु 30% भू-आच्छादन और एफ0ए0आर0 200 महायोजना 2001 में अनुमन्य है । कार्यालय क्षेत्र (जो-1) में व्यवसायिक भवन एवं आवासीय भवन की अनुमति सदाम प्राधिकरण/प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ही दी जा सकती है जिसमें अधिकतम 30% भू-आच्छादन के साथ 150 एफ0ए0आर0 रखे जाने का प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त भूखण्ड के सामने अलीगंज योजना के सेक्टर-"एच" में व्यवसायिक काम्प्लेक्स भवन निर्मित हो चुका है। अतः पंचायत राज को 3 एकड़ भूमि, जो कि महायोजना 2001 के अनुसार कार्यालय क्षेत्र (जो-1) में स्थित है, पर कार्यालय भवन के साथ-साथ आवासीय/व्यवसायिक भवन निर्माण की अनुमति 30% भू-आच्छादन एवं 150 एफ0ए0आर0 के साथ दी जा सकती है ।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

28/10/95

अनुपूरक
विषय संख्या: 17 पृष्ठ संख्या: 59

विषय: गोमती नगर योजना में पब्लिक स्कूल की स्थापना हेतु लगभग 10 एकड भूमि के आवंटन से सम्बन्धित,

आख्या: चौधरी महेन्द्र सिंह चैरिटेबुल ट्रस्ट लखनऊ ने अनुरोध किया है कि पब्लिक स्कूल की स्थापना हेतु लगभग 10 एकड भूमि गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में उपलब्ध करा दी जायें । उपरोक्त ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं, उनकी प्रति संलग्न है ।

2. गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड 5 व 6 से संलग्न इंस्टीट्यूशनल एरिया की 7 एकड भूमि उपलब्ध है । लखनऊ महायोजना के प्राविधानो के अनुसार स्कूल भूखण्डो के आवंटन के सम्बन्ध में निम्न मापदंड हैं :

क:	नर्सरी/प्राईमरी स्कूल	5,000व0मी0,
ख:	हाई स्कूल / इण्टरमीडिएट स्कूल	10,000व0मी0,
ग:	डिग्री कालेज	60,000व0मी0,

3. उपरोक्त पब्लिक स्कूल के लिये उपरोक्त मापदंडो के अनुसार 18,000व0मी0 भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है । गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में महायोजना के प्राविधानो के अनुसार इंस्टीट्यूशनल एरिया है, में बल्क सेल के अर्न्तगत विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव है । बल्कसेल के अर्न्तगत विकास कार्य ल0वि0प्रा0 को नहीं कराने पडते हैं । गोमती नगर योजना के उपरोक्त विराज खण्ड में भूमि की दर निकाली गई है, जो रू0550.00प्र0व0मी0 आती है । यह दर उपरोक्त इंस्टीट्यूशनल एरिया में भी लागू होगी । अतः निम्नलिखित प्रस्ताव है :

1: उपरोक्त पब्लिक स्कूल के उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार 18000व0मी0 भूमि आवंटित कर दी जायें,

11: भूमि की दर रू0550.00प्र0व0मी0 लगाई जायें, जिसके अनुसार उपरोक्त मात्रा की कुल देय धनराशि रू099.00लाख आती है ।

111: कुल देय धनराशि की 25प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिनो के अन्दर ले ली जायें तथा शेष 75प्रतिशत धनराशि, अनुबन्ध निष्पादन तथा भूमि का कब्जा दिये जाने के पश्चात् 5 वार्षिक किश्तो में 17.5प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित,

(यह दर स्कूल भूखण्डो के आवंटन के सम्बन्ध में किश्तो में धनराशि लिये जाने के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है), ले लिया जायें ।

1/11/95

OBJECTS OF THE TRUST

(a) Establishment of Schools and Colleges which shall be opened to students of all communities within the Union of India and such other places decided by the majority of the Trustees.

(b) Advancement and propagation of education and learning including establishment, maintenance and support of schools and other educational institutions.

(c) To make provision to advance the cause of, and impart Nursery, Primary, Secondary, Higher, Commercial, Industrial, Technical, Physical and all or any other type or kind of education.

(d) To establish, maintain, take over management, administer or run any institutions, colleges, schools engaged in the imparting of education to students up to any level that may be found necessary and/or desirable.

(e) To establish, run, manage, administer any institution or college or school to train persons to be teachers who will impart education to children and/or students in School, Colleges and other similar institutions.

(f) To promote adult education.

(g) To hold, arrange and organise meetings, lectures, talks, discussions, seminars, symposia, conferences, competitions, research and study visits, tours, excursions, exhibitions, debates, cinema, audio-visual programmes, sports and games.

(h) Establishment, maintenance and support of libraries, museums and reading rooms and distribution of books etc., for advancement of education and knowledge in general.

(i) To provode and meet all expenses of the school and other educational institution and provide scholarships to meritorious students.

(j) Advancement and propagation of education and learning including establishment, maintenance and support of schools, colleges, Pathashalas and other educational institutions, auditoriums, professorship, lectureship, sholarship and prizes etc.

(k) To accept donations, raise subscriptions(in cash or any kind), from the members of the trust or other persons, citizen and NRI (Non-Resident Indian) to invest the funds of the trust with such individuals, societies, firms or companies, banks and financial institutions, for providing income to the trust, on such terms and conditions as may deem prover and necessary for the fulfilment of the aims and objects of the trust and to further its interest as enumerated above.

(l) Provide relief measures to the victims of natural calamities and/or to provide food, clothing and shelter to any needy person or persons from time to time.

(m) To arrange and provide such medical aid such other assistance necessary for living to the needy persons who are otherwise incapable or handicapped or mentally or physically retarted and financially uplift any person of poor class. Provide financial assistance for the marriages of the poor/down-trodden community.

(n) To provide drinking water facilies and take up rural development/waste land development projects.

(o) Establishment and maintenance of Charitable hospitals, Nursing homes, Dispensary/Orphan homes, home for the old people.

(p) To establish and maintain hostels, boarding houses, playgrounds and promote physical development.

(q) To promote spiritual and religious activities for the general public and to do every thing to make spiritual study popular.

(r) To promote and establish Handicrafts/Small Scale Industries.

(s) To provide cooking, eating and other utensils or clothing temporarily or from time to time daily needs on special occasions of the persons or families of the persons who are for any reasons incapable of providing these for themselves at times of need, either free or against nominal charges.

(t) To purchase, sell, acquire, mortgage, take over, any land, property, schools, other institutions or hereditament and construct any building for the object of the Trust.

(u) To render help, arrange for and encourage and promote celebrations of national, cultural, social and such other festivals and jayanties as conducive to this object. Provided, however, that any contributions by the trustees to or co-operation with any other trust, society or project having as its sole objects all or any of the aforesaid objects shall mean furtherance of the objects of this trust.

(v) Establishment of Regional Trust officers/ Rest houses in the country for the smooth functioning of the Trust.

अनुलग्नक

विषय संख्या: 18 पृष्ठ संख्या: 63

विषयः रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन को कानपुर रोड योजना में स्थित रिक्त पडी भूमि (ग्रीन बेल्ट) हेतु आरक्षित भूमि में हर्बल गार्डेन की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने से सम्बन्धित,

आख्याः रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिन लखनऊ के पत्र दि0 19·5·94 द्वारा अलीगंज योजना के सेक्टर"ओ" में उपलब्ध ग्रीन बेल्ट की भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था । उपरोक्त संस्था औषध रोपण हेतु भूमि चाहती थी । उपरोक्त संस्थान ने सूचित किया था कि यह संस्थान लखनऊ में गत 10 वर्षो से केन्द्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन मनुष्य जाति से सम्बन्धित कई रोगो पर यूनानी पद्धति की दवाओं से अनुसंधान कर रहा है । इस संस्थान द्वारा दवाये स्वंय तैयार की जाती हैं । अतः संस्थान लखनऊ नगर में एक हर्बल गार्डेन की स्थापना करना चाहता है जिससे सरकार की हरित क्रान्ति के उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ नगर के वातावरण को औषध पौध द्वारा स्वच्छ रखने में सहायता मिल सकेगी । उपरोक्त लाभ की पूर्ति हेतु हर्बल गार्डेन की स्थापना हेतु 25एकड भूमि आवंटत करने हेतु अनुरोध किया गया था ।

2· अलीगंज योजना के सेक्टर"ओ" में लगभग 6एकड भूमि उपलब्ध थी, जिसको उपरोक्त प्रयोजन हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में परिचालन प्रस्ताव सं0 3 द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

3· इसी बीच उपरोक्त प्रस्ताव की पुनः समीक्षा की गई तथा पाया गया कि वर्तमान लखनऊ महायोजना 2001 के अनुसार अलीगंज योजना के सेक्टर"ओ" में पूर्व में आरक्षित ग्रीन बेल्ट की भूमि आवासीय में परिवर्तित हो चुकी है । अतः विषय पुनः प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक दि0 29·12·94 मे प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि यदि अन्य वैकल्पिक भूमि की मॉग की जॉय तो नियमानुसार विचार कर लिया जायें ।

4· बोर्ड के उपरोक्त निर्णय के पश्चात् उपरोक्त संस्थान को सूचना भेज दी गई ।

5· उपरोक्त संस्थान ने अपने पत्र दि0 1·2·95 द्वारा सूचित किया कि कानपर रोड योजना में उपलब्ध 8 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट की भूमि जो रिक्त पडी हुई है, उन्हें उपरोक्त प्रयोजन हेतु दे दी जायें । उपरोक्त संस्थान ने अपने पत्र दि0 21·8·95 द्वारा पुनः सूचित किया कि प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त संस्थान को अलीगंज योजना में भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही लखनऊ

क्रमशः···2

में "इंस्टीट्यूट आफ यूनानी मेडिसिनल प्लान्ट्स" की स्थापना निदेशक, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा की गई थी । अतः अनुरोध किया गया कि उपरोक्त संस्थान को कम से कम 8 हेक्टेयर भूमि लखनऊ की कानपुर रोड योजना में आवंटित कर दी जाय जिससे उपरोक्त संस्थान द्वारा आवंटित भूमि में हर्बल गार्डन की स्थापना करके औषधि पौध का रोपण किया जा सके और इस प्रकार नगर तथा इस राज्य की जनता के हर्बल ड्रग्स से लाभान्वित होने के साथ साथ हरित पट्टी के उद्देश्यो की पूर्ति हो सके ।

6. कानपुर रोड योजनो के सेक्टर"एम व के" के बीच में 7.92 हेक्टेयर भूमि ग्रीन वेल्ट की उपलब्ध है ।

7. यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में संगीत नाटक अकादमी को एक एकड भूमि प्राधिकरण की बैठक दि016.11.91 की विषय सं016 के अन्तर्गत लाइसेन्स के आधार पर, लागत रहित आधार पर आवंटित की गई है । इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट लखनऊ को भी अलीगंज योजना के सेक्टर"डी" में उपलब्ध ग्रीन वेल्ट की भूमि लाइसेन्स के आधार पर लागत रहित आधार पर आवंटित की गई है ।

8. अतः प्रस्ताव है कि उपरोक्त संस्थान को कानपुर रोड योजना की उपलब्ध ग्रीन वेल्ट की भूमि लाइसेन्स के आधार पर आवंटित कर दी जाय। इससे एक ओर तो ग्रीन वेल्ट की भूमि का उपयोग होगा, तथा दूसरी ओर नगरवासियो को यूनानी औषधि की सुविधा प्राप्त हो सकेगा ।

अनुपूरक
विषय संख्या: 19 पृष्ठ संख्या: 65

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विनय खण्ड में भूखण्ड संख्या ए-3/249 विनय के आवंटी श्री जगदम्बिका पाल, एम. एल. ए. को आवंटित भूखण्ड में अनिमार्ण लेवी न लिए जाने एवं भवन निमार्ण हेत दि0 31.12.96 तक समयावृद्धि प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव।

श्री जगदम्बिका पाल, विधायक का प्रार्थना पत्र बाबत भूखण्ड संख्या ए-3/249/विनय की समय वृद्धि भवन निमार्ण हेतु दि031.12.96 तक बढ़ाने की प्रार्थना की है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में भवन निमार्ण न कराऐ जाने के लिए राजनीतिक व्यस्तता एवं उनके परिवार पर आयी लगातार विपदाऐं पड़ने के कारण वह भवन निमार्ण नही करा सके। चूकि इस भूखण्ड की रजिस्ट्री दिनांक 19.4.88 को की गयी और कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 3.2.95 को प्राप्त किया गया। इसी तरह श्री श्याम लाल बाजपेई, भू0पू0मन्त्री को समय वृद्धि बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी थी।

अतः श्री पाल के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए भवन निमार्ण की अवधि दिनांक 31.12.96 तक बढाऐं जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

एम० [illegible]
संयुक्त सचिव
भवन विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अनुलग्नक

विषय संख्या: 20 पृष्ठ संख्या: 66

विषय: श्री राम लखन वर्मा को गोमती नगर योजना के अंतर्गत नकद क्रय पद्धति पर आवंटित भूखण्ड सं0बी-2/147/विपुल खण्ड को किराया क्रय पद्धति पर परिवर्तित किये जाने के संबंध में ।

आख्या: श्री राम लखन वर्मा, मंत्री, उ0प्र0 को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में "बी" टाइप का भूखण्ड संपत्ति विभाग के पत्र दि0 19.12.94 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटन से पूर्व रू035,000/- श्री वर्मा का जमा था, अत: शेष धनराशि रू02,95,000/- दि0 11.3.95 तक जमा करने हेतु सूचित किया गया था। परंतु श्री वर्मा द्वारा धनराशि जमा नहीं की गयी बल्कि अपने पत्र दि08.5.95 द्वारा अनुरोध किया गया कि बकाया धनराशि रू02,95,000/- किश्तों पर ले लिया जाय ।

2. ल0वि0प्रा0 द्वारा आवासीय भूखण्डों/भवनों के पंजीकरण/आवंटन की जो प्रक्रिया, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दि029.6.93 में अनुमोदित की गयी थी, की क्रम सं0-2। भुगतान पद्धति में परिवर्तन। में यह प्राविधान है कि सामान्यत: नकद भुगतान पद्धति पर आवंटित संपत्ति की भुगतान की पद्धति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में उपाध्यक्ष द्वारा नकद भुगतान से (क्रय) पद्धति में परिवर्तन किया जाता है तो आवंटी को नकद भुगतान के अंतर्गत देय धनराशि की कम से कम 50% धनराशि जमा करना आवश्यक होगा । शेष अधिकतम 50% किश्तों में परिवर्तित की जा सकेगी। इस पर परिवर्तन शुल्क 20% देय होगा और 20% परिवर्तन शुल्क एवं 50% धनराशि जमा होने के पश्चात ही शेष 50% या कम धनराशि की किश्ते उस समय प्रचलित ब्याज दर से 1/2% अधिक ब्याज सहित उपाध्यक्ष द्वारा अपने विवेक से की जायेगी। बाद में प्राधिकरण बोर्ड ने अपनी बैठक दि018.7.94 में उपरोक्तानुसार 20% देय परिवर्तन शुल्क भी शेष 50% धनराशि के साथ किश्तों में लिये जाने हेतु निर्णय लिया गया था ।

3. अत: प्राधिकरण कृपया इस प्रकरण पर निर्णय लेने का कष्ट करें।

6/10/95

अनुसूची
विषय संख्या: 21

पृष्ठ संख्या: 67

विषय: गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में आवन्टित भूखण्ड के मूल्यांकन से सम्बन्धित।

आख्या: श्रीमती शशि माथुर को सम्पत्ति विभाग के पत्र दिनांक 22·4·92 व्दारा नेहरू इन्कलेव योजना मे पुष्पायन प्रकार का भवन आवन्टित किया गया था तथा उन्हे सूचित किया गया था कि रू0 3,16,000/- दिनांक 21·7·92 तक जमा कर दें। श्रीमती माथुर ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 28·6·92 व्दारा सूचित किया कि आवन्टित भवन उनके परिवार की आवश्यक्ता के अनुरूप नहीं है, अतः उन्हे गोमती नगर योजना के किसी खण्ड में बी/ए टाइप का भूखण्ड आवन्टित कर दिया जाये। इस प्रार्थनापत्र के तारतम्य में उन्हे सम्पत्ति विभाग के पत्र दिनांक 27·7·92 व्दारा गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड में "ए" श्रेणी का भूखण्ड ए/88 आवन्टित किया गया था परन्तु उपरोक्त आवन्टित भूखण्ड के सम्बन्ध मे लागत सूचित नही की गई।

2· बाद में श्रीमती शशि माथुर को गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड में आवन्टित "ए" टाइप का भूखण्ड परिवर्तित करके विपुल खण्ड में "बी" टाइप का भूखण्ड संख्या: 1/1 सम्पत्ति विभाग के पत्र दिनांक 21·3·94 व्दारा आवन्टित किया गया। पुनः उपरोक्त खण्ड मे ही भूखण्ड परिवर्तित करके सम्पत्ति विभाग के पत्र दिनांक 22·6·94 व्दारा भूखण्ड संख्या: 2/1 आवन्टित किया गया। इनके व्दारा पॅजीकरण धनराशि रू0 00·20 लाख तथा दिनांक 5·12·94 एवं दिनांक 19·12·94 को क्रमशः रू0 2·00 लाख तथा रू0 1·29 लाख जमा किया गया।

3· गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड मे आवन्टित भूखण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध मे जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसके अनुसार जिन व्यक्तियों को दूसरे खण्ड में भूखण्ड आवन्टित हुआ था, और उन्होने पूरी धनराशि जमा कर दी थी, परन्तु उन्हे आवन्टित भूखण्ड का कब्जा नही मिल पाया, तो ऐसे आवन्टियों से अन्य कोई धनराशि नही ली गई। जिन व्यक्तियों ने पूर्व में आवन्टित भूखण्ड के सम्बन्ध मे आंशिक धनराशि जमा की थी, उनसे भुगतान की तिथि तक का दॅड ब्याज लगा लिया गया। जिन आवन्टियों ने अन्य खण्ड में आवन्टित भूखण्ड के सम्बन्ध में पॅजीकरण धनराशि के अतिरिक्त कोई धनराशि जमा नहीं की थी, उनसे नई दर रू0 1100·00 प्रति व·मी·, जो विपुल खण्ड की आई थी, से धनराशि ली गई।

4· श्रीमती शशि माथुर ने अपना प्रत्यावेदन दिया है कि विनीत खण्ड मे जो उन्हे भूखण्ड आवन्टित हुआ था, उस समय जो भूमि की दर थी, वह उनसे ली जाये। विनीत खण्ड में श्री शशि माथुर को जूलाई, 92 में भूखण्ड आवन्टित हुआ था, उस समय भूमि की दर रू0 750/- प्र·वर्गमीटर थी।

5· अतः प्राधिकरण कृपया यह निर्णय लेने का कष्ट करें कि श्रीमती शशि माथुर से किस दर से धनराशि ली जाये।

अनुपूरक
विषय संख्या: 22

पृष्ठ संख्या: 68

विषय : कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड के परिवर्तन से सम्बन्धित ।

==========

श्रीमती शालिनी प्रसाद, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या:डी-1/874/एच, सेक्टर "एच" आवन्टित किया गया था ।

आवन्टी द्वारा अनुरोध किया गया है कि कानपुर रोड के अन्तर्गत जो भूखण्ड उन्हे आवन्टित किया गया है, वहाँ स्थल पर अभी विकास कार्य पूर्ण नहीं हैं और उन्हे शीघ्र ही निर्माण कार्य कराना है। अत: उक्त आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना के किसी विकसित खण्ड में भूखण्ड परिवर्तित कर दिया जाये ।

चूकिं एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड अथवा भवन परिवर्तित किये जाने हेतु विकास प्राधिकरण की अनुमति वान्छित है, अत: श्रीमती शालिनी प्रसाद को कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

अनुपूरक
विषय संख्या: 23 पृष्ठ संख्या: 69

विषय:- राजकीय कार्य सम्पादित करते समय दंगाइयों का सामना करते दंगाईयों द्वारा हत्या किये जाने के परिवेक्ष्य में शासनादेश संख्या- आवास-2-8740/37218-सित-78 सित-81 दिनांक-18-1-82 के संदर्भ में 6/3। आवंटन किये जाने विषयक।-

---

प्रस्ताव:-

श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय के पति श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय पूर्व बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-1, बदायूं के xxxxxx xxxxx राजकीय कार्य निष्पादित करते समय दंगाइयों का सामना करते हुए दंगाईयों द्वारा हत्या दिनांक-28-9-89 को बदायु उ0प्र0 में कर दी गयी थी। शासनादेश संख्या-आवास-2-8740/37218 सित-78 सित-81 दिनांक-18-1-82 में यह उल्लेख है कि उक्त परिस्थितियों में भूखण्ड आवंटन में प्राथमिकता दी जाय। उक्त के क्रम में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक-20-6-95 को श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय पत्नी स्व0श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय पूर्व बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-1 बदायूं के पक्ष में बिल्सी खण्ड में भूखण्ड संख्या-6/3। आवंटित किया गया है। अतः बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमोदित करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, के आदेश दिनांक-20-6-95 के अनुपालन में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

अनु0अधि0 सहायक नगर अधिकारी स0सचिव-II

अनुपूरक

विषय संख्या: 24 पृष्ठ संख्या: 70

विषय: - श्री आर0के0भाडवेल, आवंटी भवन सं0 एम0आई0जी- 2/200 , सेक्टर एच, कानपुर रोड योजना का प्रार्थना पत्र गोमती नगर योजना में भवन परिवर्तन के संबंध में ।

प्रस्ताव

श्री आर0 के भाडवेल को कानपुर रोड योजना के अंतर्गत भवन सं0 एम0आई0जी0 2/200 आवंटित था , प्रश्नगत स्थल का विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण आवंटी द्वारा उक्त आवंटित भवन के स्थान पर गोमती नगर योजना में भवन आवंटित करने का अनुरोध किया । आवंटी के अनुरोध पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 24.6.95 को कानपुर रोड योजना के अंतर्गत आवंटित उक्त भवन को विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण बोर्ड की प्रत्याशा में गोमती नगर योजना के अंतर्गत विराट खांड के "अ" श्रेणी अर्ध निर्मित भवन सं0 4/11 में बिना परिवर्तन शुल्क के परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान कर दी । जिसके अनुक्रम में श्री आर0के0भाडवेल को सूचित कर दिया गया । चूकि प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड बैठक की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया था , अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

सं0नि0अ0

अनुपूरक
प्रस्ताव सं0: 25

पृष्ठ सं0: 71

विषयः, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चकबस्त रोड स्थित भू0खण्ड सं0: 1 पर प्रस्तावित कार्यालय भवन के मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावः मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भू0खण्ड सं0: 1, चकबस्त रोड पर कार्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है । प्रश्नगत स्थल संशोधित लखनऊ महायोजना 2001 में आवासीय क्षेत्र (आर-2) के अन्तर्गत आता है । महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय क्षेत्र में कार्यालय भवन को अवीकृति प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में अधिकतम भू-आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0-100 अनुमन्य होगा । प्रश्नगत स्थल यद्यपि कैसरबाग हेरिटेज जोन के अन्तर्गत आता है, परन्तु समीपस्थ ऐतिहासिक भवनों रेजीडेन्सी तथा रौशनुद्दौला कोठी से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है । महायोजना में हेरिटेज जोन में प्रस्तावित निर्माणों के संबंध में बनाये नियमों के अन्तर्गत 250 मीटर से अधिक दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की ऊँचाई पर प्रतिबन्ध का कोई उल्लेख नहीं है जिससे 40 प्रतिशत भू-आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 100 के साथ कार्यालय भवन की अनुमति पर विचार किया जा सकता है ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के उपरोक्त निर्माण का प्रस्ताव विश्व बैंक के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शीघ्र कार्यान्वित किया जाना है जिसको दृष्टिगत रखते हुए भवन चित्रों का तकनीकी परीक्षण कर तकनीकी स्वीकृति प्राधिकरण बोर्ड को प्रत्यावर्त में प्रदान कर दी गयी है, भवन चित्र

क्रमशः------2

तभी निर्गत किये जायेंगे जब प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव अनुमोदित हो जायेगा ।

यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि पुरानी महायोजना से पूर्व से प्रस्तावित स्थल पर कार्यालय भवन था जो कि नान-कन्फर्मिंग यूज़ के अन्तर्गत आता था जिसको तोड़कर पुनः कार्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव है जो महायोजना जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से स्वीकृत योग्य है ।

अतः महायोजना के आवासीय क्षेत्र आर-2 में कार्यालय भवन के निर्माण की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

Y

अनुपूरक
विषय संख्या: 26

पृष्ठ संख्या: 73

विषय:- श्री रत्नाकर एस0 रैकवार द्वारा रामनगर हाऊस 17, स्टेशन रोड म्यून्सपिल सं0-62/16 पर समूह आवास हेतु तल क्षेत्रानुपात 2.5करने के सम्बन्ध में ।

श्री रत्नाकर एस0 रैकवार द्वारा रामनगर हाऊस 17, स्टेशन रोड म्यून्सपिल सं0- 62/16 पर समूह आवास के निर्माण हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें तल क्षेत्रानुपात 1.2 से 2.5 करने का अनुरोध किया गया है । उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित स्थल महायोजना 2001 में स्टेशन रोड पर स्थित है जहाँ पर प्रस्तावित रोड की चौडाई 30.00मीटर है एवं मार्ग के मध्य से 45 मीटर तक भू-उपयोग बाजार स्ट्रीट है एवं अवशेष भाग का भू-उपयोग आवासीय है । जहाँ पर महायोजना 2001 के अनुसार बाजार स्ट्रीट भाग में भू-अच्छादन 40 %एवं एफ0ए0आर0 1.2 व आवासीय में समूह आवास हेतु भू-अच्छादन 35 %एवं एफ0ए0 आर0 1.20अनुमन्य है । चूँकि,प्रस्तावित स्थल महायोजना 2001 के प्लानिंग जोन आ-पूर्व-7 में स्थित है, जहाँ पर उपरोक्तानुसार भू-अच्छादन एवं एफ0ए0आर0 के साथ। अधिकतम ऊँचाई 13.00मीटर एवं 4 मंजिल भवन ही अनुमन्य है, लेकिन पक्षा द्वारा तल क्षेत्रानुसार 2.5 का अनुरोध किया गया है ।

अतः प्रस्तावित स्थल का तल क्षेत्रानुपात 1.2 से 2.5 करने के साथ. अधिकतम ऊँचाई 30.00मीटर एवं 10 मंजिल के निर्माण की छूट हेतु शासन को प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयोपरान्त प्रेषित किया जाना होगा । प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

21/11/95

(एस0 सी0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता-(भवन)

अनुलग्नक
विषय संख्या: 27 पृष्ठ संख्या: 74

विषय: हरदोई रोड योजना में 220के0वी0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन सम्बन्धित,

आस्या: अधिशासी अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड प्रथम, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र दि05·10·95 जिसकी फोटो प्रति संलग्न है (संलग्नक-1) द्वारा सूचित किया है कि लखनऊ महा नगर में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 220के0वी0 सब स्टेशन लखनऊ-हरदोई रोड पर तुरन्त बनाये जाने की आवश्यकता है । अतः 15 एकड भूमि की मांग लखनऊ-हरदोई रोड योजना पर की गई है।

2· हरदोइ रोड योजना मे धारा 4/17 का नोटीफिकेशन 1981 में हुआ था तथा भूमि का कब्जा 1986 में ल0वि0प्रा0 द्वारा लिया गया था । हरदोई रोड योजना में विशेष भूमि अध्याप्त अधिकारी द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में जो अभिनिर्णय घोषित किया गया था, उनमें प्रतिकर का धनराशि रू00·04प्र0व0फु0 से रू00·18प्र0व0फु0 तक घोषित किया गया था । उक्त अभिनिर्णय दर के विरूद्ध काश्तकारो ने धारा 18 के अन्तर्गत संदर्भ न्यायालय में प्रस्तुत किया । न्यायालय द्वारा जो भूमि समतल की है, उसका प्रतिकर रू04·00प्र0व0फु0 से रू06·00प्र0व0फु0 तक तथा गडढे वाली भूमि की दर रू01·50प्र0व0फु0 निर्धारित की गई । यद्यपि ल0वि0प्रा0 द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है, जो विचाराधीन है, परन्तु यदि उसमे से कोई भूमि आवंटित की जाती है तो उपरोक्त अभिनिर्णय के अनुसार ही भूमि की दर लगाई जायेगी । अतः यदि औसत दर, प्रतिकर की रू04·00प्र0व0फु0 मान ली जाय तो भूमि की लागत ही रू0205·00 प्र0व0मी0 आती है । बाह्य विकास व्यय को सम्मिलित करते हुए यदि दर निकाली जाय तो बल्क सेल में आवंटित होने वाली भूमि में 70प्रतिशत कि योग्य क्षेत्रफल मान लिया जाय तो दर रू0640·00 प्र0व0मी0 आती है । बल्क सेल के अन्तर्गत आवंटित होने वाली भूमि में आन्तरिक विकास कार्य ल0वि0प्रा0 को नहीं कराने पडते हैं ।

3· उपरोक्त दर के अनुसार 15 एकड भूमि की कुल देय धनराशि रू0388·50लाख आती है । यदि लीज डीड निष्पादित होती है तो उपरोक्त देय धनराशि पर 10प्रतिशत पटैटे का किराया, डीड के निष्पादन से पूर्व देय होगा जो लीज की पूरी अवधि अर्थात् 90वर्ष के लिये प्री-पेड माना जायेगा । यदि फ्री होल्ड डीड निष्पादित होती है तो उपरोक्त धनराशि का 12प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क देय होगा ।

क्रमशः····2

4. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना है कि हरदोई रोड योजना में भौतिक कब्जा ल0वि0प्रा0 को नहीं मिल पाया है । अतः उपरोक्त भूमि तभी दी जा सकेगी, जबकि पर्याप्त पुलिस बल प्राप्त हो जायें ।

5. उ0प्र0 राज्य विधुत परिषद द्वारा उपरोक्त भूमि निशुल्क माँगी जा रही है, अतः प्राधिकरण कृपया इस सम्बन्ध में निर्णय लेने का कष्ट करें ।

3/11/93

संलग्नक-1

ELECTRICITY TRANSMISSION DIVISION-1
विद्युत पारेषण खण्ड प्रथम
U. P. State Electricity Borad
उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद
लखनऊ

पृष्ठ: 76

पत्रांक [illegible]-वि०पा०ख०(प्र०)ल०/सी०एम०-37/केम्प दिनांक: अक्टूबर 6 ,95

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ
=====

महोदय,

आपको सूचित करना है कि लखनऊ महानगर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक 220 के०वी० का विद्युत उप संस्थान लखनऊ - हरदोई रोड पर तुरन्त बनाने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में शासन स्तर से पहले ही निर्देश प्राप्त हो चुके है ।

अत: आपसे निवेदन है कि इस उप संस्थान हेतु कम से कम 15 एकड़ भूमि लखनऊ - हरदोई रोड पर उपलब्ध कराने की कृपा करें । कार्य को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए मै अपने उप खण्ड अधिकारी श्री अब्दुल रज़ाक को आपसे सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा रहा है ।

भवदीय

(रामेश्वर पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
==========

अनुपूरक
विषय संख्या: 28 पृष्ठ संख्या: 77

विषय संख्या: पृष्ठ संख्या:

विषय: श्री शरद चन्द अवस्थी को आवन्टित भूखण्ड संख्या: 1/27, रश्मि खण्ड, शारदानगर को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

श्री शरद चन्द अवस्थी को शारदा नगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या: 1/27 रश्मि खण्ड आवन्टित है, श्री अवस्थी व्दारा अनुरोध किया गया है कि उक्त खण्ड को विकसित होने में अभी काफ़ी समय लगने की सम्भावना है, अतः उन्हे आवन्टित भूखण्ड का परिवर्तन गोमती नगर योजना के किसी विकसित खण्ड में कर दिया जाये।

चूकिं किसी एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। अतः श्री अवस्थी को शारदा नगर योजना में आवन्टित भूखण्ड को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

3/11

अनुपूरक
विषय संख्या: 29

विषय संख्या:

पृष्ठ संख्या:

विषय: श्री प्रकाश नाथ दीक्षित को आवन्टित भूखण्ड संख्या:1/26, रश्मि खण्ड, शारदानगर की गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

श्री प्रकाश नाथ दीक्षित को शारदा नगर योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या: 1/26 रश्मि खण्ड आवन्टित है, श्री दीक्षित व्दारा अनुरोध किया गया है कि उक्त खण्ड को विकसित होने में अभी काफी समय लगने की सम्भावना है, अतः उन्हे आवन्टित भूखण्ड का परिवर्तन गोमती नगर योजना के किसी विकसित खण्ड में कर दिया जाये।

चूंकि किसी एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति आवश्यक है। अतः श्री दीक्षित को शारदा नगर योजना में आवन्टित भूखण्ड को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

अनुपूरक विकास संख्या: 30 पृष्ठ संख्या: 79

विषय:- भूखण्ड संख्या बी-2/89 बिशुल खण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क माफ करने के सम्बंध में ।

प्रस्ताव:-

श्री आलोक टण्डन को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराट खण्ड में भवन संख्या 2/205 विराट दिनांक 21.8.94 को आवंटित किया गया था । तदोपरान्त आवंटी के इस अनुरोध पर कि प्रार्थी को बिशुल खण्ड में 288 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटित कर दिया जाय। प्रार्थी के इस अनुरोध पर बिशुल खण्ड में भूखण्ड संख्या बी-2/89 बिशुल खण्ड दिनांक 2.9.94 को उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार परिवर्तन शुल्क के साथ स्वीकृत प्रदान की गयी । आवंटी को अनुमानित मूल्य एवं परिवर्तन शुल्क जमा करने की सूचना दी गयी । प्रार्थी ने यह प्रश्न अनुरोध किया माँगागया परिवर्तन शुल्क रु 27,500/- माफ किये जाने के सम्बंध में विचार करते हुए परिवर्तन शुल्क माफ करने का कष्ट करें।

आवंटी के प्रार्थना- पत्र के क्रम में परिवर्तन शुल्क रु 27,500/- माफ करने के सम्बंध में विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष के समक्ष विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अनुपूरक

विषय संख्या: 31 पृष्ठ संख्या: 80

विषय: श्री मणि प्रसाद मिश्रा तत्कालीन विशेष्ठ नज़ूल अधिकारी लखनऊ को गोमती नगर योजना के विकास खण्ड में आवंटित भूखण्ड सं० सी-3/34 पर लगाये गये दण्ड ब्याज रू० 23,515.17 को माफ किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ आख्या:-

---

श्री मणि प्रसाद मिश्र को भूखण्ड सं० सी-3/34 विकास खण्ड दिनांक 17.10.90 को कर्मचारी कोटे के अन्तर्गत आवंटित किया । इस सम्बन्ध में श्री मिश्र को कुल रू० 1,95,570.35 की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी । श्री मिश्रा द्वारा उक्त भूखण्ड के मद में धनराशि जमा किये जाने हेतु शासन से ऋणहेतु प्रार्थना किया । लेकिन प्रार्थी को शासन के पत्र संख्या 3135/दो-6-92/91143192 दिनांक 24 जून 1992 से यह निर्देश प्राप्त हुए कि अपने श्रोतो से वह पैसा जमा करे । इसके उपरान्त प्रार्थी ने अपने भविष्य निधि खाते से ऋण हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर प्रार्थी को अधिकतम धनराशि 48000/= मिली । इस धनराशि को जमा करने के उपरान्त प्रार्थी ने शासन को पुनः ऋण दिये जाने की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी शासन से लगातार पत्र व्यवहार करता रहा । शासन द्वारा वर्ष 1993 में ऋण भूखण्ड के मद में जमा करने की स्वीकृति प्रदान की है । प्रार्थी ने दि० 24.12.93 को रू० 1,24,653.80 पैसे की धनराशि प्राधिकरण कोष्ठ में जमा कर दिया । चूँकि प्रार्थी सरकारी सेवक है तथा प्रार्थी के पास कोई ऐसा आय का श्रोत नही है । जिससे प्रार्थी इस धनराशि को जमा कर सके । चूँकि प्रार्थी का 50% दण्ड ब्याज उपाध्यक्ष द्वारा माफ किया जा चुका है प्रार्थी की विशेष्ठ परिस्थितियों को देखते हुए इनके ऊपर लगाये गये दण्ड ब्याज रू० 23,517.57 पैसे को माफ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

दिनाँक 09 नवम्बर 95

अनुपूरक (तृतीय)



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

अनुपूरक विषय संख्या: 32 पृष्ठ संख्या: 81

विषय:- भूखण्ड संख्या बी-2/11 विपुल खण्ड गो0 न0 योजना पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ करने के सम्बंध में।

प्रस्ताव:-

गोमती नगर योजना में श्रीमती कनक चतुर्वेदी को भवन संख्या ई-5/302 विकास खण्ड दिनाँक 18.6.94 को नगद भुगतान पर आवंटित किया गया। तदोपरान्त उक्त भवन के स्थान पर परिवर्तन शुल्क के साथ भूखण्ड संख्या बी-2/11 विपुल खण्ड गोमती नगरदिनाँक 26.6.94 को आवंटित कर दिया गया। श्रीमती चतुर्वेदी द्वारा उक्त भूखण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ करने हेतु अनुरोध किया है। अतः परिवर्तन शुल्क रू0 3300/- को माफ करने पर प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत।

4.11.94

विषय: गोमती नगर योजना में गोल्फ कोर्स विकसित किये जाने से सम्बन्धित,

आख्या: गोमती नगर योजना में गोल्फ कोर्स विकसित किये जाने के सम्बन्ध में विषय प्राधिकरण (बोर्ड) की बैठक दि029·12·94 में विषय सं08 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था बोर्ड द्वारा इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :

"योजना पर विचार विमर्श तथा जिन एजेन्सीज/कम्पनीज के आफर प्राप्त हुए थे, उनके प्रतिनिधियो द्वारा किये गये प्रेजेन्टेशन के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधियो को प्रस्तावित भूमि का विवरण 3-4 दिनो में कास्ट एकाउन्टेन्ट-एवं-इकोनामिक प्लानर द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा और उनके गोल्फ कोर्स से सम्बन्धित बनाई जा रही प्रस्तावित योजना का विवरण (कन्सेप्चुअल प्लान) 15 दिनो में प्राप्त कर लिया जायें । प्लान प्राप्त होने पर उन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञो की समिति के समक्ष रखा जायें ।"

2· बोर्ड द्वारा उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यक्ष ल0वि0प्रा, द्वारा निम्नलिखित उप समिति का गठन किया गया:

1: अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ — अध्यक्ष,

11: उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, — सदस्य,

111: मुख्य नगर नियोजक, — सदस्य,

11/: मुख्य अभियन्ता, जल निगम, — सदस्य,

1/: विशेष आमंत्रि

क: श्री लक्ष्मी चन्द, सचिव परिवहन विभाग,

ख: श्री दिनेश राय, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग,

ग: श्री प0के0 जैन, निदेशक, पर्यटन विभाग,

घ: श्री अमिताभ तायल,

ड: श्री राकेश सेठ,

3· उपरोक्त उप समिति की बैठक क्रमशः दि021·2·95, दि013·3·95 तथा 20·7·95 को अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में हुई । उप समिति की बैठक दि020·7·95 में जो निर्णय लिये गये, उसके कार्यवृत्त की फोटो प्रति संलग्न है(संलग्नक-1)। अनुबन्ध

क्रमशः···2

का जो ड्राफ्ट उपरोक्त हाथ की हुई बैठक में उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उस पर समिति के सदस्यों द्वारा विचार किया गया तथा अपने संशोधन प्रस्तुत किये गये । विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संशोधनों का समावेश करके अनुबन्ध के ड्राफ्ट को पुनरीक्षित करके अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 से अनुमोदित करा लिया जायें । तदनुसार अनुबन्ध के ड्राफ्ट को पुनरीक्षित किया गया तथा उसका विधिक परीक्षण भी चीफ स्टैन्डिंग कौन्सिल से करा लिया गया है। इसके पश्चात् यह अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है §संलग्नक- 2 §

अतः निम्न प्रस्ताव है :

1. उप समिति द्वारा अपनी बैठक दि020·7·95 में लिये गये निर्णय को अनुमोदित कर दिया जायें ।

11: चीफ स्टैन्डिंग कौन्सिल ने अनुबन्ध का धारा 12 जो monitoring committee से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में अपनी राय दी है कि उपरोक्त कमेटी के सदस्यों का उल्लेख कर दिया जाये, जबकि प्राधिकरण §बोर्ड§ द्वारा गठित समिति की बैठक दि020·7·95 में सदस्यों ने यह राय दी कि कमेटी का गठन अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 अपने विवेक से करें । अतः प्राधिकरण कृपया इस बिन्दू पर विचार करते हुए प्रस्तावित अनुबन्ध को अनुमोदित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक-1

पृष्ठ-84

गोमती नगर योजना में गोल्फ कोर्स विकसित किये जाने से सम्बन्धित अध्यक्ष, लसन0वि0

विकास प्राधिकरण द्वारा गठित उप समिति की बैठक दि0 20-7-95 को अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0

की अध्यक्षता में हुई बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित

1. श्री दिनेश राय,
सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

2. श्री पी0 एल0 लोई,
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,

3. श्री एम0पी0 अनेजा,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0,

4. श्री संतोष कुमार,
सचिव, उ0प्र0 पर्यटन निगम,

5. श्री आमताभ तायल,
गोल्फर,

6. श्री राकेश सेठ,
गोल्फर,

अन्य उपस्थित,

1. डा0 एम0ए0ए0खान,
सचिव, ल0वि0प्रा0,

2. श्री के0 बी0 सक्सेना,
का0एका0-एवं-झो0प्ला0,

दि0 13-3-95 को हुई उप समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में उपरोक्त बैठक हुई ।

डा0 आनल कुमार गुप्ता, ततकालीन सचिव पशुधन एवं मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन के अ0शा0प0सं043/एसएफ/95 दि0 12-5-95 जो आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ एवं अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को सबोधित है, को उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उप समिति द्वारा इस पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित

क्रमशः...

निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी विचार किया गया :

1- कन्सेप्चुवल प्लान,

मे0 इंडियन होटल्स कं0 लि0(ताज ग्रुप) के प्रतिनिधियो द्वारा 18 होल्स गोल्फ कोर्स का कन्सेप्चुवल प्लान प्रस्तुत किया गया जो उप समिति के सदस्यो द्वारा अवलोकित किया गया । अन्य कम्पनियो द्वारा प्रस्तुत कन्सेप्चुवल प्लान्स तथा उपरोक्त कन्सेप्चुवल प्लान की तुलनात्मक समीक्षा की गई तथा यह पाया गया कि उपरोक्त कं0 द्वारा प्रस्तुत कन्सेप्चुवल प्लान में निम्न बिन्दु अधिक अच्छे हैं :

(a) Firm tie-up with consultant.

(b) Taj Group proposal has better landscaping with more water ponds/hazards which would make the course more challanging and competitive.

(c) Taj Group has proposed a pratice range area alongwith a coaching facility which would be useful for budding Golfers of Lucknow and U.P.

(d) The course as designed by Taj Group although has lesser yardage, is challenging and interesting.

(e) The Taj Group have assured that they are flexible in the layout of the course andwouldbewillingtoincorporatesuggestions of our Monitering committee.

(f) Taj Group has experience of constructing Golf Course.

(g) In case of acute shortage of land/space they could be persuaded to use part of the 25acres land already given to them from the green belt.

(h) The Taj Group would have a vested interest

contd...3

in expeditious development, construction and well maintenance of the Golf course because of their Hotel adjoining to the Golf Course. This should ensure the successful implementation by the promoter/developer.

उपरोक्त तकनीकी बिन्दुओं के आतारिक्त वित्तीय पहलुओं पर भी विचार किया गया तथा उप समिति के सदस्यो को बताया गया कि मे0 इंडियन होटल्स कं0 लि0 ही केवल रू0200.00 लाख की बैंक गारन्टी देने के लिये तैयार है अन्य आफरदाताओं में से कोई बैंक गारन्टी देने के लिये तैयार नहीं है । इसके अतिरिक्त मे0 इंडियन होटल्स कं0 लि0 पूरा योजना का वित्त पोषण अपने आन्तारिक ससाधनो से करेगी, उन्हें कोई ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी । अन्य कम्पनियो की अपेक्षा इस कं0 की वित्तीय स्थिति भी अधिक सुदृढ है । अतः उपरोक्त कं0 द्वारा प्रस्तुत कन्सुप्चुवल प्लान का अनुमोदन किया गया ।

11-दि013.3.95 को हुई उप समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जो अनुबन्ध का ड्राफट बनाया गया था, उस पर उप समिति के सदस्यो ने विचार किया तथा अपने संशोधन प्रस्तुत किये । अतः यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत संशोधनो का समावेश करके अनुबन्ध के ड्राफट को पुनरीक्षित कर लिया जायें तथा अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित करा लिया जायें ।

(पी0एल0लोई)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0,

(एम0पी0अनेजा)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजन,
उ0प्र0,

(संतोष कुमार)
सचिव,
उ0प्र0 पर्यटन निगम

(राकेश सेठ)
गोल्फर

(आर्मदाम तायल)
गोल्फर

(दिनेश राय)
सचिव,
कार्यक्रम कार्यान्वयन, उ0प्र0शा
- शासन, लखनऊ.

अनुमोदित

(अतुल कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण लखनऊ

संलग्नक-2

पृष्ठ: 87

AGREEMENT

This agreement made this day of.....1995 between Lucknow Development Authority, 6 J.C.Bose Marg, Lucknow a local Authority constituted under the provisions of Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act. 1973 through its Secretary (hereinafter called the Licensor) on the one part. ..... and ..... (hereinafter called the Licensee) of the other part.

Whereas the Licensor is owner in possession of land measuring.....acres (equevalent to .....Sq.mts) in Gomti Nagar Scheme situated at .....Lucknow and has decided to give on license the same for development of Golf Course to the Licensee on terms and conditions mentioned herein below:

Now, therefore, it is mutually agreed between the Licensor and the Licensee as follows:

1. TERMS OF DEVELOPMENT OF GOLF COURSE

1.1 That the Licensee shall have no right of ownership or any other right or interest or benefit other than as Licensee in the said land.

1.2 The Licensee will have no right to letout or lease out or sub licence or sublet the whole or any part of the said land & shall not make any sub-division of the said land or transfer and assign it in any manner.

2. MAINTENANCE OF GOLF COURSE

2.1 The entire maintenance of Golf Course shall be carried out by the Licensee.

2.2 The Golf Course shall be maintained and kept in good condition and order at the expense of the Licensee and the Licencee shall be responsible for the same.

.....2

3. MAINTENANCE & AUDIT OF ACCOUNTS

3.1 The accounts shall be maintained by the Licensee on commercial pattern.

3.2 The accounts shall be annually closed at the end of 31st March of every year.

3.3 The accounts maintained by the Licensee shall be open for examination by the Chief Accounts Officer,LDA or his authorised representative at any time. But the Audit of Accounts shall be carriedout by Chartered Accountant(s) designated by the Vice Chairman of L.D.A.

4. BANK GUARANTEE

The Licensee shall furnish a bank guarantee of Rs.200.00 lacs within 30 days from the date of issue of acceptance letter. The duration of bank guarantee shall be the period allowed for the construction of Golf Course scheme one month. But it shall be extended by the Vice - Chairman LDA for further period if extension of time is appliedfor by the Licensee. The bank guarantee will be xx release after completion of work on the recommendations of monitoring committee. However, the Bank Guarantee may be forfeited if the terms and conditions of agreement are not fulfilled by the Licensee or Licensee deviates from the terms of the Agreement and/or Golf Course scheme.

5. EXECUTION OF AGREEMENT

5.1 The Bank Guarantee will be submitted by the Licensee within 30 days from the date of issue of acceptance letter, as mentioned in clause 4 above.

5.2 The agreement will be executed within 30 days from tne date of receipt of Bank Guarantee as mentioned in 5.1 above.

....3

Y05:89

6. POSSESSION OF LAND

The possession of land shall be given after execution of agreement. If the possession of land is not taken within 30days from the date of execution of agreement, the agreement shall automatically come to an end.

7. UTILISATION OF LAND

The entire land shall be utilised for the development of Golf Course only. However, a small portion may be used for providing services to its members e.g. Snacks bar, Store, Toilet and other utilities etc. with a covered area of not more than 250 Sq.mt.

8. SANCTION OF LAYOUT AND BUILDING PLAN

8.1 The Licensee shall submit layout and building plans within 30 days from the date of execution of agreement.

8.2 The provisions and directions of Lucknow Master plan as well as other bye-laws applicable shall be followed while submitting layout and building plans.

9. COMPLETION OF SCHEME

9.1 The entire Golf Course and allied facilities will be completed within one and half year from the date of possession of land.

9.2 If the development work is not completed within the time specified above, the Licensee may send an application to V.C. LDA for extension of time three months before the expiry date of the completion of the scheme. If ressons/grounds are found genuine, the extension may be granted by V.C.L.D.A.

9.3 The Licensee shall develop 18 holes Golf Course as per International standards.

.....4

पृष्ठ: 90

10. DEVELOPMENT WORK

The Licensor will provide external development works which will include approach road and S.W.drain only. All the other development works shall be carried-out by the Licensee as per specifications/norms approved by LDA.

11. INSPECTION OF WORKS AND DIRECTION BY LDA

The Licensee shall submit a schedule of development works. The schedule should contain mile stones (achievement of major works to be completed every three months) . The LDA's committee shall monitor the progress of work and shall have power to issue directions.

12. MONITORING COMMITTEE

The committee as consituted by Chairman, LDA shall monitor the progress of work of Licensee.

13. PERIOD OF LICENSE

13.1 The aforesaid land is being given to the Licensee for development of Golf Course only for a period of Twenty Five years. The period will be reckoned from the date of execution of the agreement.

13.2 Three months from the expiration of the aforesaid period, the Licensee may apply for the extension of License period to the Vice Chairman, LDA & if the VC, LDA deems proper, he may renew the ----------

contd....5

License for a further period not exceeding further period of twenty five years.

13.3 If after the expiry of the license period, the license is not renewed, the Licensor shall be the owner for the total propery 'as it is' on the above land including the land and the Licensee shall not be entitiled to any compensation whatsoever.

14. MORTGAGE OF LAND

The Licensee shall not mortgage or create any lien or charge on the land as allotted infavour of any person or Finanacial Institution or any body else for borrowing funds for development of Golf Course or for any other purpose in any case. If done so by the Licensee the same shall be XXXX void.

15. SUBMISSION OF PROJECT

The Licensee shall submit complete project before execution of the agreement in which itemwise cost for each item required for Golf Course should mentioned.

16. LICENCE FEE

The moratorium of sicty months will be given from the date of execution of the agreement during this period no license fee shall be charged. But the License fee shall be charged @ 10% on gross turnover including all kinds of membership fee etc. from the end of 60 months(sixty months) reckoned from the date of execution of the agreement. The License fee shall be paid by Licensee to Licensor on quarterly basis in advance through bank draft infavour of Secretary,LDA Lucknow subject to final adjustment at the XXXXX close of the relevant year. This fee shall be enhanced as per the decision of the Licensor, if Licensee renewed

after the period of twenty five years from the date of the agreement. In case of delay in payment of License fee, a simple interest @ 21% p.a. shall be charged. The arrear on account of License fee and other dues, if any, shall also be recoverable as arrears of land revenue.

17. CONNECTIONS

The Licensee shall have to obtain electricity, telephone and other infrastructural facilities as required. The expenses in connection therewith, shall be borne by Licensee.

18. CANCELLATION OF LICENCE AND REVOCATION OF AGREEMENT

18.1 If it is noticed that the said land in the Golf Course so allotted is not being used for the purpose specified above or any of the conditions of the agreement are violated the Licensor shall give thirty days notice in writing to the Licensee specifying the violation or default or failure or breach and calling upon the Licensee to explain, remedy the same at its cost and consequence. If after the expiry of such notice the violation or default or failure is not remedied or no steps are taken or intitiated to the satisfaction of the Licensor complaining of the breach, then and in that event the Licensor shall have the right to cancel the License & revoke the agreement.

18.2 If the License is cancelled and the agreement is revoked on any ground mentioned hereinbefore the Licensee shall not get any compensation. The Licensor shall have the right to takeover the work done alongwith the contract of design/

.....7

layout which the licensee may have entered into with any consultant without compensation to the Licensee for payment made by the Licensee to consultant till date of taking over by the Licensor. The Licensee shall mention the above condition in the agreement which they will execute with the consultant.

19. MANAGEMENT COMMITTEE

19.1 There will be a management committee for carrying out the activities of the Golf Course. The management committee shall have the accounts audits & checking by a Chartered Accountant upto 31st March each year.

19.2 The Chairman of above committee shall be the Chief Secretary to the U.P. Govt. The V.C. LDA shall be the Vice Chairman of the above committee. The Secretary shall be the nominee of Licensee.

19.3 Besides the above, there shall be four more members i.e. two nominated by Licensee and two nominated by Licensor.

19.4 The power for taking decision on administrative and financial matters shall vest in the above committee. In case of any dispute, the decision of the majority shall prevail.

20. DEPRECIATION

The depreciation will be charged on straight line method on yearly basis as per companies Act 1956 as amended from time to time.

21. DISCHARGE OF LIABILITIES

The Licensee shall be liable to discharge all the liability to loan and other liabilities/dues, if any.

22. STAFF

The staff for development/running of Golf Course shall be deployed by the Licensee. The Licensee shall be responsible for all the claims of employees. The Licensor shall have no liability in this regard.

23. CAPITAL EQUIPMENTS

If period of Licence is not renewed as per clause 13.3 mentioned hereinbefore, the capital equipments may be taken over ny the Licensor on written down value as per provisions of Income Tax Act 1961 as amended from time to time.

24. ARBITRATION

The Chairman, LDA shall be the Arbitrator in any dispute between the parties to this agreement. If any dispute arises regarding any matter between the Licensee and Licensor, the decision of the above Arbitrator shall be final and binding on both the parties.

25. OTHER CONDITIONS

25.1 The Licensee shall comply with all the environmental laws, rules and directives issued from time to time by appropriate Authority or by the Govt. and shall carryout the direction of the Licensor issued from time to time for the development of of the Golf Course.

25.2 The Licensee shall be liable to pay all electricity bills, water taxes and all other charges, taxes imposed or levied by Nagar Nigam, the State Govt. or the Jal Sansthan or LESU or any other competent Authority or body constituted under the provisions

of law and no liability in respect thereof shall lie upon the Licensor.

25.3 That the Licensee shall stand revoked by efflux of time on the expiry of 25 years from the date of execution of this agreement and the possession of land in question shall revert back to the Licensor. The Licensor shall be entitled to enter and takeover the vacant possession of the said land alongwith the structures etc. after the expiry of the period of this agreement.

25.4 For any violation/breach of the terms and conditions as mentioned aforesaid allotment to the Licensee shall be liable to be cancelled and the Licensee shall not be entitled to any compensation whatsoever, nor to return of any expenses incurred by them.

25.5 The Jurisdiction of Courts shall be at Lucknow District only. Subject to any dispute being vendered by the named Arbitrator only(Chairman).

25.6 The regulations for running of Golf Course shall be prepared by the Licensee before the Golf Course is used and the above shall be got approved from the V.C.LDA.

25.7 Any loss to the land, building equipment and other perraphernalia at the Golf Course due to natural calamities or any other reason shall be borne by Licensee and made good by them.

25.8 In case the Licensee abondons the Golf Course scheme before the expiry of the period of 25 years of the Agreement, the Licensee shall make good to any loss arising to the Licensor and all assets, equipment etc. on the Golf Course land shall belong to the Licensor.

.....10

25.9 Since the following persons have been associated in the scheme of Golf Course from the very begining M/S Indian Hotels Co.Ltd.(Taj Group) have agreed to nominate the following persons as life members of the Golf Course and they will not charge any fee from them.

(i) Chief Secretary to the U.P.Govt.

(ii) Chairman,LDA and/or Commissioner LKO Division.

(iii) Sri Laxmi Chand, presently Principal Secretary-Heavy Industries to the U.P. Govt. LKO.

(iv) Sri Dinesh Rai, presently Secretary Monitoring and programme implementation to the U.P. Govt.

(v) Sri A.K. Gupta, Presently Director,State Planning Institute, LKO.

(vi) Sri A.K. Jain, Director,Tourism Deptt.U.P.

(vii) Vice Chairman , LDA.

(viii) Chief Town & Country Planner, U.P.

(ix) Chief Engineer, Jal Nigam, U.P.

(X) Dr. M.A.A. Khan, Presently Secretary,L.D.A.LKO.

(xi) Sri M.S. Tyagi, Ex.C.T.P. LDA.LKO.

(xii) Sri K.B. Saxena, Presently Cost Acctt.-cum-Economic Planner. LDA.LKO.

(xiii) Sri Amitabh Tayal, Golfer.

(xiv) Sri Rakesh Seth. Golfer.

25.10 The entire legal expenses of execution of agreement shall be borne by the Licensee.

****

अनुपूरक विषय संख्याः14 पृष्ठ 51 पृष्ठ संख्याः 97

आंशिक संशोधन सहित

विषयः **गोमती नगर योजना में तृतीय जलकल की स्थापना हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।**

आख्याः अधिशासी अभियन्ता, चतुर्थ शाखा उ॰प्र॰ जलनिगम लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्याः 1768/डब्लू-30/23, दिनांक 10.10.95(संलग्नक-1) द्वारा 10 हेक्टे॰ भूमि आवन्टित करने का अनुरोध किया है।

2. इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख करना है कि 10 हेक्टेयर(25 एकड़) भूमि दी जा सकती है। गोमती नगर योजना मे इस समय आवासीय भूमि की दर रू0 1100.00 प्र॰वर्गमीटर है। बल्क सेल के अन्तर्गत आवन्टित की जाने वाली भूमि में ल॰वि॰प्रा॰ को आन्तरिक विकास कार्य नही कराने पड़ते हैं। अतः भूमि की दर निकाली गई है जो रू0 550.00 प्र॰व॰मी॰ आती है। इस दर मे भूमि अर्जन की लागत तथा वाह्य विकास व्यय सम्मिलित है। इस दर के अनुसार 10 हैक्टेयर भूमि का कुल प्रीमियम रू0 550.00 लाख आता है। यदि भूमि लीज् पर दी जाती है तो उपरोक्त धनराशि का 10 प्रतिशत पट्टे के किराये के रूप मे देय होगा जो लीज् की पूरी अवधि अर्थात 90 वर्ष के लिये प्री-पेड माना जायेगा। यदि फ्री-होल्ड डीड निष्पादित की जाती है तो उपरोक्त धनराशि की 12 प्रतिशत धनराशि भी देय होगी।

3. इस सम्बन्ध मे यह भी उल्लेखनीय है कि हरदोई रोड योजना मे द्वितीय वाटर वर्क्स के लिये 6300 व॰मी॰ भूमि आवन्टित की गई है। उक्त भूमि का आवन्टन वर्ष 1985 में किया गया था और उस समय भूमि रू0 107.00प्र॰व॰मी॰ पर उपलब्ध कराई गई थी।

4. जलनिगम तृतीय वाटर वर्क्स के लिये भूमि निःशुल्क चाहता है। अतः प्राधिकरण कृपया इस सम्बन्ध मे निर्णय लेने का कष्ट करें।

विषय:- परिवर्तन शुल्क न लिये जाने से सम्बन्धित

प्रस्ताव:-

श्री कर्ण सिंह चौहान को भूखण्ड संख्या-ई-5/833 विकास खण्ड में माह जुलाई 1994 में नगद क्रय पर आवंटित किया गया था इसके उपरान्त कर्ण सिंह चौहान के प्रार्थना-पत्र पर ई-5/833 विकास खण्ड का परिवर्तन बिपुल खण्ड में भूखण्ड संख्या-सी-4/115 परिवर्तन शुल्क के साथ दिनांक-16-6-94 द्वारा आवंटित किया गया। श्री कर्ण सिंह ने पुन: प्रार्थना-पत्र देते हुए यह अनुरोध किया कि भूखण्ड संख्या-सी-4/115 बिपुल खण्ड छोटा है होने के कारण एक बिपुल खण्ड में ही परिवर्तित/कर बड़ा भूखण्ड आवंटित कर दिया जाय।

अत: दिनांक-22-11-94 को बी-2/156 बिपुल खण्ड में परिवर्तन शुल्क के साथ परिवर्तित किया गया। श्री कर्ण सिंह चौहान ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक-27 सितम्बर 1995 के द्वारा यह प्रार्थना की है कि उनके उपर बिपुल खण्ड में भूखण्ड संख्या-सी-4/115 से भूखण्ड संख्या-बी-2/156 पर जो परिवर्तन शुल्क लगाया गया है वह न्याय संगत नही है। क्यों कि बोर्ड के निर्णय दिनांक-13-5-95 के अनुसार एक ही खण्ड में परिवर्तन किये जाने पर परिवर्तन शुल्क देय नही है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि कर्ण सिंह चौहान का परिवर्तन बोर्ड के निर्णय से पूर्व का है तथा इनकी रजिस्ट्री ला0अि0ब्रा0 द्वारा निष्पादित भी नही कराई गयी है।

इसी प्रकार के कुछ और आवंटी भी है जिनके भूखण्ड के परिवर्तन एक ही खण्ड में बोर्ड के निर्णय दिनांक-13-5-95 से पूर्व हुए।

अत: बोर्ड की बैठक दिनांक-13-5-95 में लिये गये निर्णय की भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण कृपया यह निर्णय लेने पर विचार करना चाहे कि जिन मामलो में एक ही खण्ड में परिवर्तन तो 13-595 से पूर्व हुए परन्तु रजिस्ट्री अभी नही हो पायी है तो ऐसे मामले में परिवर्तन शुल्क न लिया जाय।

4/10/95

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 9 नवम्बर, 1995 का कार्यवृत्त

उपस्थित:

1.	श्री अतुल कुमार गुप्ता	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
2.	श्री एस. आर. लाखा	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री प्रदीप शुक्ला	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री एस. के. सिन्हा	सँयुक्त सचिव, उ. प्र. शासन, वित्त विभाग।
5.	श्री हरे कृष्ण शर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6.	श्री पी. के. पाण्डे	मुख्य अभियन्ता, जलनिगम, लखनऊ।
7.	श्री एम. ए. ए. खान	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

विषय सँख्या:1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 13 मई, 1995 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय: — कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय सँख्या:2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 13 मई, 1995 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा कुछ बिन्दुओं पर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 29 दिसम्बर, 94 में लिये जा चुके निर्णय के क्रम मे निर्देशित किया गया कि नैपियर रोड में डा. अतुल खन्ना को भूखण्ड परिवर्तित कर दिया गया है रिक्त भूखण्ड पर से अनधिकृत अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाये।

2. 21 जनवरी, 94 एवं 29 दिसम्बर, 1994 में लिये गये निर्णय के क्रम निर्देश दिये गये कि अलीगॅज योजना के हाइटेन्शन लाइन से आच्छादित भूखण्डों को अन्यत्र समायोजित कर दिया जाये तथा आच्छादित क्षेत्र पर पार्क का विकास शीघ्र कराया जाये जिससे अतिक्रमण न हो सके।

3. कालविन कालेज की भूमि के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया कि अब कालविन कालेज का प्रबन्धक मण्डल भूमि देने हेतु ईच्छुक नहीं है, अतः इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है परन्तु यह देख लिया जाये कि इस नजूल भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे शासन ने क्या निर्णय लिया है तथा प्राधिकरण व्दारा क्या कोई धनराशि धनराशि इस पर व्यय तो नही की गई है।

4. प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 29.12.94 के विषय सॅख्याः11 पर प्रस्तुत किये गये श्रीराम व्यवसायिक केन्द्र से सम्बन्धित प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि पन्दह दिनों मे कार्यवाही पूर्ण की जाये।

5. प्राधिकरण की बैठक 29.12.94 के विषय सॅख्याः22 के अन्तर्गत गोमती नगर योजना में भूमि अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव पर गठित उपसमिति की बैठक आवश्यकतानुसार यथा-समय कर ली जायेगी।

6. प्राधिकरण की बैठक 29.12.94 के अनुपूरक विषय सॅख्याः10 के अन्तर्गत लखनऊ नगर की भविष्य की जलापूर्ति हेतु अन्डर ग्राउन्ड वाटर स्टडी की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

7. 29.12.94 के अनुपूरक विषय सॅख्याः 11 के अन्तर्गत गाजियुद्दीन हेदर कैनाल के ऊपर एलीवेटेड एक्सप्रेस हाई-वे के निर्माण से सम्बन्धित निर्णय के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया।

8. विकास प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 9 फरवरी, 95 के विषय सॅख्याः3 के अन्तर्गत उ.प्र. आवास विकास परिषद के इन्दिरा नगर, विकास नगर आदि क्षेत्रों को नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर यथा-समय विचार किया जायेगा।

9. 9 फरवरी, 95 में अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधो के शमन हेतु सॅशोधित उपविध 1994 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत प्रस्ताव के विषय मे निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी बैठक मे प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

10. 9 फरवरी, 95 के विषय सॅख्याः 9 पर गोमती नगर योजना मे क्लब के निर्माण से सम्बन्धित गठित उपसमिति का पुनरीक्षण करते हुए उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता मे समिति गठित की गई। इस समिति मे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. तथा इस क्षेत्र में निपुणता प्राप्त 2 विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञों का चयन, उपाध्यक्ष व्दारा स्वयॅ किया जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि गठित समिति शीघ्र अपनी बैठक कर सॅस्तुतियॉ प्रस्तुत करें।

11. 9 फरवरी, 95 के विषय सॅख्याः 13 अवध जिम खाना क्लब के निकट स्थित नजूल भूमि के सम्बन्ध मे उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया कि वे उक्त स्थल की उपयोगिता को दृष्टिगत रखकर इसके सदुपयोग हेतु विचार करें।

12. 9 फरवरी, 95 के विषय सॅख्याः 14 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत राजा बिजली पासी ट्रस्ट को भूमि दिये जाने का उच्च स्तर पर औचित्य नहीं पाया गया जिसके क्रम मे शासन को सूचना प्रेषित कर दी गई है। यह भी निर्देश दिये गये कि कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत 19.327 एकड़ भूमि को आवासीय से हरित पट्टी मे तथा उतने ही क्षेत्रफल की हरित पट्टी की भूमि को आवासीय किये जाने का जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, के अनुसार कार्यवाही की जाये।

13· 9 फरवरी, 95 के विषय सँख्याः17 डा· बी·आर·अम्बेदकर विश्वविद्यालय परिसर हेतु 226·45 एकड़ भूमि की व्यवस्था के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को एक पत्र भेज दिया जाये कि उक्त भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार, आवास विभाग उत्तर प्रदेश शासन मे निहित है। यदि सम्बन्धित भूमि विश्वविद्यालय व्दारा अर्जित की जाती है तब प्राधिकरण व्दारा भू-उपयोग परिवर्तन मे कोई आपत्ति नही है। तद्नुसार आवास विभाग, उ·प्र·शासन अग्रिम कार्यवाही करेगा।

14· 9 फरवरी, 95 के विषय सँख्याः 18 पर प्रस्तुत अविकसित भूखण्ड सँख्याः 285, मौजा इरादत नगर के सम्बन्ध मे निर्देश दिये गये कि उक्त स्थल से अनधिकृत अतिक्रमण को शीघ्र हटवाकर वहाँ चहारदीवारी बनवाई जाये।

15· 9 फरवरी, 95 के अनुपूरक विषय सँख्याः 12 सिन्डर्स डम्प योजना, आलमबाग मे अन्तर्जिला बस टर्मिनस निर्माण से सम्बन्धित निर्णय के क्रम मे अवगत कराया गया कि पूर्व मे इस हेतु जो योजना बनाई गई थी उसपर बिल्डर्स व्दारा विशेष रूचि नही दिखाई गई। यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्डर्स ऐसोसियेशन के साथ विचार विमर्श करके यह देख लें कि क्या पूर्व मे बनाई गई योजना मे कुछ सँशोधनो की आवश्यक्ता है जिससे बिल्डर्स योजना के प्रति आकर्षित हो सकें। उपाध्यक्ष, ल·वि·प्रा· इस सम्बन्ध मे डेढ़ माह के अन्दर अपनी सँस्तुति प्रस्तुत करेगें ताकि तद्नुसार आफर माँगे जा सकें।

16· इनकेन कन्स्ट· लि· एवं मेरिट डेव· ऐण्ड का· प्रा·लि· व्दारा 5 ए,बी, लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर ग्रुप-हाउसिंग के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 13·5·95 के अनुपूरक विषय सँख्याः14 पर प्रस्तुत किया गया था। कार्यालय भवन क्षेत्र मे आवासीय भवन हेतु भू-आच्छादन 30 प्रतिशत तथा एफ·ए·आर· 150 की स्वीकृति प्राधिकरण व्दारा प्रदान कर दी गई थी परन्तु निर्णयानुसार पत्रावली पर अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवशेष था। इसी मध्य पक्ष व्दारा अपना प्रस्ताव परिवर्तित कर दिया गया तथा माँग की गई कि स्थल का भू-उपयोग परिवर्तन जी-2 से आवासीय क्षेत्र आर-2 मे परिवर्तित कर दिया जाये। यह अधिकार आवास विभाग, उ·प्र·शासन मे निहित है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित मामला आवास विभाग, उ·प्र·शासन को प्राधिकरण व्दारा सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय सँख्याः 3 लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक 1995-96

निर्णयः निम्नांकित निर्देशों के साथ प्रस्तुत आय-व्ययक, 1995-96 पर स्वीकृति प्रदान की गईः-

1· भू-अर्जन के प्रतिकर की देनदारियों के सम्बन्ध मे शासन स्तर पर बैठक हुई है तथा भुगतान-सारणी निर्धारित होनी है, निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यकता हो तो भुगतान सारणी के अनुसार आय-व्ययक में प्राविधान कर लिया जाये।

न्यायालयों के आदेशों के अनुसार भी भुगतान हेतु आवश्यक प्राविधान कर लिये जायें।

2· प्राधिकरण की अगली बैलेन्स शीट आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

3· अधिष्ठान मद में कुछ यथा-सम्भव कटौती किये जाने का मत व्यक्त किया गया।

4· सीवेज डिस्पोजल के मद् मे किये गये प्राविधानों के सम्बन्ध मे यह सुझाव दिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा जो योजनाये बनाई गई हैं उनमें गोमती ऐक्शन प्लान में किये गये प्राविधानों के अनुसार सुँशोधन कर लिया जाये क्योकिँ सीवेज डिस्पोजल अब गोमती नदी मे ही किया जाना है। इस कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल अधिकारी नामित किया गया।

विषय सँख्याः 4 अभियन्त्रण कार्यो की भौतिक प्रगति आख्या।

निर्णयः प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकिँत निर्देश दिये गयेः

1· जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण होने की तिथि निर्धारित है एवँ मूल्य में वृध्दि किये जाने पर रोक है, वहाँ से सम्बन्धित लम्बित बिलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाये तथा उसकी मानीटरिंग की जाये कि वे निर्माण/विकास कार्य निश्चित समय में पूर्ण हो जायें।

2. जिन सम्पत्तियों का विक्रय केशसेल पध्दति के अन्तर्गत किया गया है, उनके अवशेष निर्माण/विकास कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. आवन्टित सम्पत्ति का कब्जा दिये जाने की कार्यवाही सम्पत्ति विभाग तथा अभियन्त्रण विभाग की टीम बनाकर अभियान के रूप मे एक माह के अन्दर पूर्ण कराई जाये।

4. आवन्टित आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों पर निर्धारित अवधि के अन्दर अथवा आठ वर्ष या अधिक समय तक निर्माण कार्य पूर्ण न करने, आवन्टित दुकानों में व्यवसाय न प्रारम्भ करने की दशा में आवन्टियों को नोटिसें देकर उनके निरस्तीकरण एवं पुर्नआवन्टन की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय सँख्याः 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवन्टित भवनों/भूखण्डों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्कूलों, अस्पतालों एवं अन्य सामाजिक सँस्थाओं जिनको रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई गई है, उनमे फ्री-होल्ड करने की कार्यवाही न की जाये। शासन को तद्नुसार सँस्तुति भेज दी जाये। व्यवसायिक भूखण्डों की भूमि को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड किये जाने की कार्यवाही की जाये परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि नीलाम के समय जो सेट-बैक, डेनसिटी व एफ.ए.आर. उस भूखण्ड के लिये दिया गया है उसमे कोई परिवर्तन नही होगा।

विषय सँख्याः 6 डाकूमेन्टेशन ऐण्ड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णयः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इन्स्टीट्युशनल एरिया की भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध मे एक नीति निर्धारित कर ली जाये और उपलब्ध भूमि का नियोजन कर लिया जाये। इस सम्बन्ध मे ग्रेटर नोयडा व्दारा बनाये गये नियमों का भी अध्ययन कर लिया जाये तत्पश्चात् प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि किन-किन सँस्थाओं को किन प्रयोजनो हेतु किस दर पर भूमि आवन्टित की जानी है। सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्याः 7 — कानपुर रोड योजना/शारदा नगर योजना मे प्राइवेट बिल्डर्स को लाइसेन्स पर आवन्टित भूमि से सम्बन्धित।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिस भूमि का कब्जा बिल्डर्स को नहीं दिया गया है उसके लिये यह विकल्प रखा जाये कि यदि बिल्डर्स व्दारा वाह्य विकास व्यय इस समय नहीं दिया जाता है तो जिस समय उन्हे कब्जा दिया जायेगा, तब वाह्य विकास शुल्क की पुरानी दर न लेकर कब्जा देते समय की नई वाह्य विकास दर बिल्डर्स को देनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई भूमि बिल्डर्स स्वयं अर्जित करता है और उसकी बाउन्ड्री के अन्तर्गत भूमि आती है तब उस पर भी वाह्य विकास व्यय मौजूदा लागत से देना होगा।

विषय संख्याः 8 — गोमती नगर योजना मे टेनिस काम्पलेक्स की स्थापना हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि टेनिस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु आवासीय दर की 10 प्रतिशत दर से भूमि उपलब्ध करा दी जाये।

विषय संख्याः 9 के सम्बन्ध में । — नेहरू इनक्लेव स्थित गोमती नगर के भवनों की हायर परचेज किश्त

निर्णयः — प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्याः 10 — गोमती नगर योजना के विराम-खण्ड-1 व 2 में भूखण्डों पर अनधिकृत कब्जेदारों को विनीत खण्ड के ई-डब्लू-एस-भवनों मे समायोजित करने के सम्बन्ध में।

निर्णयः — प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्याः 11 — श्री राजबीर सिंह, अवर वर्ग सहायक, आवास विभाग को कर्मचारी कोटे के अन्तर्गत भवन आवन्टित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णयः — विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विषय सँख्याः 12 श्री वी॰सी॰पान्डेय को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड सँख्याः बी-62/ई, के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय सँख्याः 13 श्री अनूप चन्द्र पान्डेय को अलीगँज योजना मे आवन्टित भूखण्ड सँख्याःबी-63/ई के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णयः विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विषय सँख्याः 14 छत्रपति साहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण सँस्थान हेतु विपिन खण्ड, गोमती नगर योजना में प्रस्तावित स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित परिचालित प्रस्ताव।

निर्णयः परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अनु॰विषय सँख्याः1 मूल बजट 95-96 पारित होने की प्रत्याशा मे किये गये व्यय की औपचारिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णयः विचारोपरान्त बजट पारित होने की प्रत्याशा में किये गये व्ययों की स्वीकृति प्रदान की गई।

अनु॰विषय सँख्याः2 मूल बजट 95-96 की स्वीकृति हेतु आख्या।

निर्णयः प्रस्तुत की गई आख्या का अवलोकन किया गया।

अनु॰विषय सँख्याः3 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इन्कलेव मे निर्मित भवनो/भूखण्डों से सम्बन्धित।

निर्णयः प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित आवन्टियों की माँग पर उनके व्दारा जमा धनराशि बिना कटौती के सव्याज वापस कर दी जाये।

2॰ सेना के अधिकारियों व्दारा न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र दिया है कि उनके व्दारा आवन्टियों के कार्यों में कोई

व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जायेगा। अब यदि कोई आवन्टी इस प्रकार की शिकायत करता है तो उसका शपथ-पत्र न्यायालय मे दाखिल कराया जाये।

3. विवाद को समाप्त कराने हेतु समुचित कार्यवाही की जाये।

अनु॰विषय सँख्या:4 रजिस्ट्री से पूर्व पँजीकरण हस्तान्त्रण के सम्बन्ध में।

निर्णय: प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया:

1. 3 जनवरी,95 से पूर्व विद्यमान पँजीकरण हस्तान्त्रण की प्रक्रिया को पुनःप्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि, आवन्टी हस्तान्तरण के फलस्वरूप जो भवन/भूखण्ड प्राप्त करेगा उसे पुनः किसी अन्य खण्ड/सेक्टर मे, अपना भवन/भूखण्ड परिवर्तित कराने का अधिकार नही होगा, क्योंकि यह भवन/भूखण्ड वर्तमान स्थिति को देखकर सोच-समझकर उसके व्दारा प्राप्त किया गया है।

2. भवन के स्थान पर भूखण्ड एवं भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित किये जाने पर प्रतिबन्ध पूर्व में लगा दिया गया था इसे सँशोधित करते हुए भूखण्ड के स्थान पर भवन परिवर्तित कराने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु भवन के स्थान पर भूखण्ड परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

3. किराया क्रय पध्दति पर आवन्टित भवनों के सम्बन्ध मे यदि किसी आवन्टी व्दारा हस्तान्तरण कराया जाता है तो नये आवन्टी के पक्ष मे अनुबन्ध करने से पूर्व देय अवशेष धनराशि ले ली जाये तभी परिवर्तन स्वीकार किया जाये।

अनु॰विषय सँख्या:5 श्री विजयानन्द सिँह को अलीगँज योजना मे आवन्टित भूखण्ड सँख्या:सी-42 सेक्टर ए के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु॰विषय सँख्या:6 श्री श्रीश कुमार श्रीवास्तव को अलीगँज योजना में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना मे भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:7 श्री मोहम्मद असलम को अलीगँज योजना मे आवन्टित भूखण्ड सी-55/ई के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:8 श्रीमती एवँ श्री आदर्श भाटिया को अलीगँज योजना मे आवन्टित भूखण्ड सँख्या: सी-10 ए/बी, सेक्टर सी के स्थान पर गोमती नगर योजना मे भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:9 श्रीमती सुधारानी को रायबरेली रोड मे आवन्टित भवन सँख्या:5/157 रजनी खण्ड के स्थान पर सीतापुर रोड योजना में भवन परिवर्तन के सम्बन्ध मे।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:10 बटलरगँज योजना के भूखण्ड सँख्या: 23 को धारा-48(1) के अर्न्तगत अर्जन से अवमुक्त करने के सम्बन्ध मे।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अर्जित क्षेत्रों के मध्य छोटे छोटे क्षेत्रों के सम्बन्ध मे अलग-अलग प्रस्ताव न लाकर एक साथ प्रस्ताव लाया जाये एवँ गुण-अवगुण के आधार पर अर्जन से मुक्त करने अथवा न करने पर विचार किया जाये।

अनु·विषय सँख्या:11 खसरा सँख्या: 141,147,152,155,156,158,159,160 ग्राम आदिल नगर परगना व तहसील जिला लखनऊ कुर्सी रोड के भू-उपयोग को बस टर्मिनल से आवासीय मे परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवँ मुख्य नगर एवँ ग्राम नियोजक स्थल का सँयुक्त निरीक्षण कर अपनी सँस्तुति प्रस्तुत करें।

अनु·विषय संख्या:12 महिला प्रशिक्षण एवं स्वयं रोजगार संस्थान, लखनऊ में आयोजित "महिला-95 सम्मेलन" को आर्थिक सहायता से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अनु·विषय संख्या:13 गोमती नगर योजना के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मचारी/अधिकारी आवास योजना के समस्त पँजीकृत आवेदकों को आश्वासन सीमित में दिये गये आश्वासन के अनुपालन में भवन उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन आवेदकों के हायर परचेज में पँजीकरण अवशेष हैं, धनराशि वापस नहीं ली गई है उनसे इस बात की सहमति प्राप्त कर ली जाये कि कि क्या वे उपलब्ध अन्य श्रेणी के भवन लेने हेतु सहमत हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सहमति प्राप्त की जाये कि क्या वे विनम्र खण्ड, वास्तुखण्ड एवँ विनीत खण्ड में प्रस्तावित डिजाइन एवँ मूल्य पर भवन प्राप्त करने हेतु सहमत हैं। तद्नुसार कार्यवाही की जाये एवँ अवशेष पँजीकृत व्यक्तियों हेतु भवन बनाये जायें।

अनु·विषय संख्या:14 गोमती नगर योजना में तृतीय जलकल की स्थापना हेतु भूमि के आक्टन से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि तृतीय जलकल की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाये। तद्परान्त प्रतिपूर्ति हेतु शासन को पत्र भेजा जाये।

अनु·विषय संख्या:15 ल·वि·प्रा·की विभिन्न योजनाओं में आवासीय/व्यवसायिक निर्मित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु कमीशन एजेन्ट की नियुक्ति से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तथा कमीशन एजेन्ट नियुक्त करने का निर्णय निरस्त किया गया।

अनु·विषय संख्या:16 निदेशक पँचायतराज को अलीगँज योजना सेक्टर ई में दी गई भूमि पर व्यवसायिक/आवासीय भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त कार्यालय एवँ आवासीय भवन हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया परन्तु व्यवसायिक प्रयोग हेतु प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया।

अनु·विषय सँख्या:17 गोमती नगर योजना मे पब्लिक स्कूल की स्थापना हेतु 10 एकड़ भूमि के आक्टन से सम्बन्धित।

निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इन्टरमीडिएट स्कूल के लिये निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विपुल खण्ड गोमती नगर के इन्स्टीट्युशनल क्षेत्र मे 18000 वर्गफिट भूमि उपलब्ध करा दी जाये।गोमती नगर योजना मे अन्य स्थान पर हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट स्कूल के लिये जहाँ भूमि आरक्षित हो उसमें से समान क्षेत्रफल को इन्स्टीट्युशनल क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाये।

2· जिलाधिकारी से स्कूल हेतु भूमि दिये जाने हेतु सँस्तुति प्राप्त कर ली जाये।

3· शासन व्दारा निर्धारित शर्तो एवं भुगतान पध्दति के अनुसार भूमि आवन्टित की जाये।

4· विद्यालय के प्रत्येक सेक्शन में तीन प्रवेश की दर से सीटो का आरक्षण प्रत्येक क्लास में किया जाये जिनपर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की सँस्तुति पर प्रवेश दिया जाये।

अनु·विषय सँख्या:18 रीजनल रिसर्च इन्स्टीट्युट आफ़ यूनानी मेडिसिन को कानपुर रोड योजना में स्थित रिक्त भूमि (ग्रीनबेल्ट) हेतु आरक्षित भूमि मे हर्बल गार्डेन की स्थापना हेतु भूमि दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:19 श्री जगदाम्बिका पाल, एम·एल·ए·को आवन्टित भूखण्ड ए-3/249 विनय खण्ड में अनिर्माण लेवी न लेने एवं 31·12·96 तक समयवृध्द प्रदान करने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त अनिर्माण लेवी न लिये जाने एवं 31·12·96 तक समय वृध्द दिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:20 श्री रामलखन वर्मा को आवन्टित बी-2/147,विपुल खण्ड को किरायाक्रय पध्दति पर परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त किरायाक्रय पध्दति पर परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:21 गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड मे आवन्टित भूखण्ड सँख्या: 2/1, विपुल खण्ड के भूखण्डो के सम्बन्ध मे।

निर्णय: प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विनीत खण्ड मे आवन्टन के समय अर्थात जूलाई, 92 में प्रचलित दर रु0 750/- प्र·वर्गमीटर की दर से धनराशि प्राप्त की जाये।

अनु·विषय सँख्या:22 कानपुर रोड योजना के अर्न्तगत आवन्टित भूखण्ड सँख्या:डी-1/874 एच, के स्थान पर गोमती नगर योजना मे भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:23 राजकीय कार्य सम्पादित करते समय हत्या किये जाने के परिप्रेक्ष्य मे भूखण्ड आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय: उपाध्यक्ष व्दारा श्रीमती पूर्णिमा पान्डेय, विधवा श्री सतीश चन्द्र पान्डेय को विपुल खण्ड में आवन्टित भूखण्ड सँख्या:6/31 का अनुमोदन किया गया।

अनु·विषय सँख्या:24 श्री आर·के·माडवेल को कानपुर रोड योजना में आवन्टित एम·आई·जी·भवन सँख्या:2/200 सेक्टर एच के स्थान पर गोमती नगर योजना में भवन परिवर्तन से सम्बन्धित।

निर्णय: प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति के प्रत्याशा मे उपाध्यक्ष व्दारा किये गये परिवर्तन का अनुमोदन किया गया। परन्तु [illegible] देय होगा।

अनु·विषय सँख्या:25 मुख्य चिकित्साधिकारी व्दारा चकबस्त रोड स्थित भूखण्ड सँख्या:1 पर प्रस्तावित कार्यालय भवन के मानचित्र की स्वीकृति से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:26 श्री रत्नाकर एस·रैकवार व्दारा रामनगर हाउस 17-स्टेशन रोड म्युनिसपल स0:62/16 पर समूल आवास हेतु क्षेत्रानुपात 2·5 करने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति शासन को भेज दी जाये।

अनु·विषय सँख्या:27 हरदोई रोड योजना में 132 के·वी·सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के आवन्टन से सम्बन्धित।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि 132 के·वी·सबस्टेशन हेतु भूमि नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जाये। शासन को प्रतिपूर्ति हेतु पत्र भेज दिया जाये।

अनु·विषय सँख्या:28 श्री शरतचन्द्र अवस्थी को रश्मि खण्ड शारदा नगर में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:29 श्री प्रकाशनाथ दीक्षित को रश्मि खण्ड में आवन्टित भूखण्ड के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:30 भूखण्ड सँख्या:बी-2/89 विपुल खण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:31 श्री मणि प्रसाद मिश्र को आवन्टित भूखण्ड सँख्या:सी-3/34 विकास खण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:32 भूखण्ड सँख्या:बी-2/11 विपुल खण्ड गोमती नगर योजना पर लगाये गये परिवर्तनशुल्क को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय: विचारोपरान्त परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनु·विषय सँख्या:33 गोमती नगर योजना मे गोल्फ़ कोर्स विकसित किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। समिति के सदस्यों का चयन मानीटरिंग कमेटी हेतु करने के लिये अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

अनु·विषय सँख्या:34 श्री कर्णसिँह चौहान आक्न्टी भवन सँख्या:ई-/833 विकास खण्ड पर लगाये गये परिवर्तन शुल्क को माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय: विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अन्य प्रस्ताव

1· लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 18·7·94 के विषय सँख्या:5 पर लिये गये निर्णय के क्रम में अलीगँज योजना के हाईटेन्शन लाइन से आच्छादित क्षेत्र में पड़ रहे भूखण्डो को अन्यत्र समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में हाईटेन्शन लाइन से आच्छादित भूखण्ड की आक्न्टी श्रीमती मन्जू जौहरी को आवन्टित भूखण्ड सँख्या:बी-1/4 सी·एस· के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।

2· श्री आर·एस·निगम को आवन्टित भूखण्ड के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि इनको जो भूखण्ड आवन्टित किया गया है उसके विरुध्द धनराशि प्राप्त करने हेतु जो माँगपत्र भेजा जाना है उसमे से, श्री निगम को जितनी मुआवजे की धनराशि प्राधिकरण से प्राप्त होनी है, उसे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि का माँगपत्र भेजा जाये।

3· सेवारत या सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व केन्द्र तथा राज्य सरकार के निगमों व प्राधिकरणों के अधिकारियों कर्मचारियों को आवन्टित सम्पत्ति के परिवर्तन शुल्क रु0 35,000/- तक माफ़ किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, ल·वि·प्रा· को दिये जाने का निर्णय लिया गया। माह में 10 व्यक्तियों तक के प्रकरणों पर परिवर्तन शुल्क माफ़ किये जाने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त अधिक धनराशि या अन्य विशिष्ट प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

{एम·ए·ए·खान}
सचिव

{एस·आर·लाम्बा}
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

{अतुल कुमार गुप्ता}
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवँ
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।